खण्ड-192, अंक-9
बुधवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(12 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३२३)

अक्षयवर्रासिह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय शंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमल कुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोबिन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बाबूराम, श्री मेश, श्री
बाबूलाल कुसु
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री

भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री

लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथ बहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई) , श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमन्त्री, श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १२ मार्च, १९५८ ई०

तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले में कत्ल, डाका तथा आग लगाने की घटनायें

*१—श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५७ से २० जून, १९५७ तक जिला कानपुर के थाना महाराजपुर व विधनू में फसलों में आग लगाने के कितने जुर्म हुए और सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इस अवधि में थाना महाराजपुर के अन्तर्गत केवल एक अभियोग हुआ। इस अभियोग का अनुसंधान किया गया और शहादत पर्याप्त न होने के कारण अंतिम रिपोर्ट भेजी गयी, पर थाना विधनू में इस प्रकार का कोई जुर्म नहीं हुआ।

*२—श्री मोती लाल अवस्थी (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उसी जिले के थाना घाटमपुर तथा नरवल में उक्त अवधि में कितनी हत्यायें तथा डाकाजनी की घटनायें हुयीं ? उक्त घटनाओं में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में थाना घाटमपुर में ७ और थाना नरवल में ४ हत्याकांड की घटनायें हुयीं। सब मामलों में जांच की गयी और ५ में चालान किया गया, बाकी के ६ मामले लापता रहे और उनमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी। डाकाजनी की कोई घटना इन थानों में इस अवधि में नहीं हुई।

बरेली जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स

*३—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में बरली जिले में तहसीलवार कुल कितने फायर आर्म्स के लाइसेंस दिये गये ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—सन् १९५६ में १९४ तथा १९५७ में १३३।

*४—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त जिले में D. B. B. L. Gun के लाइसेंस के निमित्त प्रार्थना-पत्र छः माह से भी अधिक से पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

श्री शिवराज बहादुर—माननीय अध्यक्ष जी, मुझको जवाब इसमें सही नहीं मिला है। मैंने तो तहसीलवार पूछा था, लेकिन इसमें लिखा है १९५६ में १९४ तथा १९५७ में १३३। तो मैं तहसीलवार पूछना चाहता हूं।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, प्रश्न तो यही था कि जिले में कुल कितने फ़ायर आर्म्स के लाइसेंस दिये गये।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने जो प्रश्न है उसमें तहसीलवार पूछा है।

श्री कैलाश प्रकाश—क्षमा कीजिये श्रीमन्, प्रश्न में कहीं गलती हो गयी। जो प्रश्न मेरे पास आया था उसी का उत्तर दिया गया है। इसमें तो यह है कि बरेली जिले में कुल कितने फ़ायर आर्म्स के लाइसेंस दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—तहसीलवार है। मैं समझता हूं आप किसी दूसरे रोज इसकी जानकारी हासिल करके दे दें। अगर आप दूसरे रोज के लिये मुल्तवी करना चाहते हैं तो मैं कर दूंगा।

श्री शिवराज बहादुर—दोनों को मुल्तवी कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—तो मुल्तवी हो गये।

आजमगढ़ जिले में एस० बी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, तेरही को भवन निर्माण अनुदान न मिलना

*५—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भवन निर्माण अनुदान (Building Grant) देने के सरकारी नियम क्या हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—ये नियम शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ९ में दिये हुए हैं।

*६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में एस० बी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, तेरही को सन् १९५३ से १९५७ तक दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर कुल कितना-कितना अनुदान भवन निर्माण हेतु दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—वर्ष १९५५-५६ .. १,५०० रु०
वर्ष १९५६-५७ .. ५०० रु०

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त धन बाढ़ से हुई क्षति के निमित्त दिया गया है या जो बिल्डिंग ग्रान्ट का प्रार्थना-पत्र विद्यालय की ओर से दिया गया था उसके लिये दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिस धन का उल्लेख किया गया है यह तो साधारण रूप में जो धन दिया जाता है वही है।

श्री मुक्तिनाथ राय—शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जब बिल्डिंग ग्रांट १९५३ में दिय गया तो १९५४ से १९५७ तक ग्रान्ट न स्वीकृत करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कारण तो कुछ नहीं है। कोई अनिवार्य नहीं है कि हर शिक्षा संस्था को सरकार ग्रान्ट दे ही दे। उसके पास जितना धन रहता है उस हिसाब से देती है।

ग्राम सुरक्षा समितियों को बन्दूक के लाइसेन्स देने की सिफारिश

*७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार ग्रामों में सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बन्दूक के लाइसेंस लेने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने और वर्तमान समय में जो लाइसेंस देने की प्रचलित सिफ़ारिशों (recommendations) के तरीके चालू हैं उनमें संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—ग्रामों में सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को बन्दूक का लाइसेंस लेने के लिये प्रोत्साहित करने के प्रश्न पर तो सरकार विचार नहीं कर रही है परन्तु ऐसे आदेश अवश्य जारी हुए हैं जिनमें गांव सुरक्षा समितियों के सुयोग्य सदस्यों को लाइसेंस देने के लिये कहा गया

है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, लाइसेंस देने के नियम में सिफारिश का कोई प्राविधान नहीं है, अतः उसमें संशोधन का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या प्रदेश के समस्त जिलों में गांव रक्षा समितियों का संगठन कर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। कोशिश की जा रही है, बहुत से जिलों में हो गयी हैं ग्राम रक्षा समितियां।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बतायेगी कि जहां गांव सुरक्षा समितियों का संगठन नहीं हुआ है वहां ग्रामीणों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध सरकार ने किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुरक्षा का प्रबन्ध पुलिस द्वारा होता है और ग्राम सुरक्षा समितियां इस विचार से बनायी गयीं हैं कि उस में और मदद मिल जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि गांव में लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी रक्षा करने में सफल हो सकें और प्रत्येक गांव में कोई हथियार, बन्दूक या इसी तरह की कोई चीज दी जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस बात की कोशिश हो रही है कि गांव सुरक्षा समितियां हमारी अधिक से अधिक संख्या में बन जांय क्योंकि उनसे उपयोगी काम होता है और लोगों में आत्म-निर्भरता आती है और डकैती आदि के अपराधों को रोकने में मदद मिलती है। सरकार की तरफ से आदेश हैं कि ऐसे गांवों में जो वांछनीय व्यक्ति हों उनको लाइसेंस इत्यादि दिये जायं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि आजादी की रोशनी में टोपीदार हथियारों पर से लाइसेंस हटा लिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कोई विचार इस समय नहीं है।

आजमगढ़ जिले में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कथित मुकदमें

*८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५७ से लेकर अगस्त के तृतीय सप्ताह तक आजमगढ़ जिले के किन-किन थानेदार, मुन्शी एवं सिपाहियों के विरुद्ध जाब्ता फौजदारी की दफा १०७ की कार्यवाही की गयी और परिणाम क्या हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस अवधि में आजमगढ़ जिले के किसी सब-इंस्पेक्टर, हडकांस्टबुल अथवा कान्सटेबुल के विरुद्ध जाब्ता फौजदारी की धारा १०७ के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, सवाल गलत छप गया है। मेरा आशय विभागीय दफ़ा १०७ से था और छप गया है शब्द " फौजदारी "।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरा सवाल कीजिये। जैसा आपका प्रश्न आया होगा उसी हिसाब से छपा होगा, आपका इरादा चाहे कुछ भी हो।

लखनऊ में पुलिस भूख हड़तालियों की गिरफ्तारी

*९—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में लखनऊ के पुलिस विभाग के कितने व्यक्तियों ने भूख हड़ताल की थी और क्यों ?

श्री कलाश प्रकाश—पांच व्यक्तियों ने । भूख हड़ताल का कारण उनकी निम्नलिखित मांगों का पूर्ण न होना था:—

१—यह अधिकार दिया जाय कि बाहरी व्यक्ति भी नानगजेटड पुलिस एसोसियेशन के पदाधिकारी बनाये जा सकें तथा उनके द्वारा विधान विरुद्ध बनाये गये एसोसियेशन को मान्यता दी जाय ।

२—कुछ सब इंसपेक्टरों और जी० ओ० लाइन्स का तबादला कर दिया जाय ।

३—पुलिस एसोसियेशन के पदाधिकारियों का तबादला पांच वर्ष के लिये रोक दिया जाय ।

*१०—श्री गौरीशंकर राय—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल में लखनऊ में पुलिस विभाग के कितने लोग गिरफ्तार हुए थे और किस-किस दफा में ?

श्री कैलाश प्रकाश—कुल ६५ कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे । जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	व्यक्तियों की सं०	उन पर लगाई गयी धाराओं का विवरण
१	६२	धारा १४७ भा० द० वि०, धारा ७ क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट, धारा ३ पुलिस (इंसाइटमेंट टु डिसएफेक्शन) ऐक्ट व २९ पुलिस ऐक्ट ।
२	२	धारा ७ क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट, धारा ३ पुलिस (इंसाइटमेंट टु डिसएफेक्शन) ऐक्ट व धारा २९ पुलिस ऐक्ट ।
३	१	धारा ३ पुलिस (इंसाइटमेंट टु डिसएफेक्शन) ऐक्ट व धारा २९ पुलिस ऐक्ट ।

*११—श्री गौरीशंकर राय—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में पुलिस सुधार समिति या इस प्रकार के अन्य संगठन बने हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस प्रकार का कोई संगठन किसी जिले में नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि यह एसोसियेशन किस विधान के विरुद्ध था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एसोशियेशन जिन शर्तों पर स्वीकार किया गया था और जिन शर्तों के अनुसार इस एसोसियेशन का संविधान बना था, उसके विरुद्ध था ।

श्री गौरीशंकर राय—मैं यह नहीं जानना चाहता था कि यह भारतीय संविधान के विरुद्ध था, बल्कि मैं यह जानना चाहता था कि किस विधान के विरुद्ध एसोसियेशन बना था?

श्री अध्यक्ष—वही तो बतला दिया गया ।

श्री गौरीशंकर राय—उत्तर ९(२) में कहा गया है कि कुछ सब-इंस्पेक्टरों और जी० ओ० लाइन्स का तबादला चाहते थे, तो यह तबादला वे क्यों चाहते थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चाहते थे उनका तबादला, उनसे संतुष्ट नहीं थे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब पुलिस विभाग एसेंशियल सर्विस में आता है तो वहां पर एसोसिएशन बनाने की आज्ञा क्यों दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आज्ञा दी नहीं, रोका नहीं गया। सन् १९२६ से ये एसोसिएशन बने हुए हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार इस एसोसिएशन के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तो इसका विचार प्रतीत नहीं होता ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—माननीय मन्त्री जी ने कहा कि असंतुष्ट थे, तो असंतोष का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप किसी का दिल टटोलना चाहते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या इस विभाग के इन ६५ गिरफ्तार व्यक्तियों के मुक्त करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन पर अदालत में मुकदमा चल रहा है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि इसी सदन में शिक्षा मंत्री जी ने पुलिस सुधार समिति बलिया और जो दूसरे जिलों में बनी हैं, इस पर कुछ चर्चा की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो बनीं थी तब बनी थीं । जब से एसोसिएशन चले हैं तब से समितियां खत्म हो गयीं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या यह सही है कि पिछली दफा बीच में इस तरीके की एसोसिएशन बन्द हो गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, सन् १९४७ तक ये बन्द थे । अभी फिर चालू हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय गृह मंत्री इसको स्पष्ट करें कि 'सन् १९४७ तक बन्द थे' इससे उनका क्या तात्पर्य है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नवल किशोर जी ने यह पूछा कि "क्या ये एसोसिएशन्स बीच में कुछ दिनों के लिए बन्द थे ?" तो उसका मैं उत्तर दे रहा था कि हां, सन् १९४७ से ये बन्द थे ।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब वह सन् १९४७ से बन्द थे तो यकायक क्या आवश्यकता पड़ गयी कि फिर इनको पुनर्जीवित कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यकता कुछ नहीं पड़ी । वह डिफंक्ट हो गये थे और फिर कुछ लोगों ने मिल कर, हमारे पुलिस के दल वालों ने, एसोसिएशन को जारी करने की इजाजत मांगी, संभवतः १९५६ के दिसम्बर में । उस वक्त उनसे कहा गया कि आप को इजाजत दे दी जायगी, क्योंकि पहले से चले आ रहे हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस यूनियन बनाने की आज्ञा इस सरकार की ओर से पहले कब दी गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९२६ में ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार पुलिस एसोसिएशन या पुलिस वर्ग के आपसी संगठन के सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नीति तो सम्प्रति स्पष्ट ही है । एसोसिएशन बनाने की उनको इजाजत है । जिन शर्तों पर उन्होंने एसोसिएशन बनाया था उसके अनुसार उनका कांस्टीट्यूशन बना हुआ है । किसी एसोसिएशन को स्वीकार करने के लिये सरकार की ओर से शर्तें लगा दी गयी हैं। वे शर्तें दी हुई हैं। उन शर्तों के अनुसार जो एसोसिएशन बनेंगे उन्हें सरकार स्वीकार करेगी । उनके विरुद्ध जो बनेंगे उनको सरकार स्वीकार नहीं करेगी और उसमें अगर कुछ लोग उभाड़े जायेंगे अनुशासन या नियमों को तोड़ने के लिये तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी ।

राजनीतिक पीड़ितों को शीघ्र पेन्शन दिलाने के लिए एकाउन्टेन्ट जनरल, इलाहाबाद के कार्यालय में कार्यवाही

*१२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने एकाउन्टेंट जनरल, इलाहाबाद के कार्यालय से राजनीतिक पीड़ितों की पेन्शनों के आदेश शीघ्रातिशीघ्र निकालने के लिये कोई आदेश या सुझाव दिया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाश प्रकाश---लगभग तीन वर्ष पूर्व वित्त सचिव तथा एकाउन्टेन्ट जनरल से इस सम्बन्ध में वार्तालाप हुआ था जिसके फलस्वरूप एकाउन्टेन्ट जनरल ने अपने यहां स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को पेन्शन आदि देने के आदेश शीघ्र निकलवाने के उद्देश्य से एक नया विभाग खुलवाया था। चूंकि इधर हाल में देर से पेन्शन मिलने की कोई खास शिकायत नहीं आयी है उससे यह अनुमान होता है कि स्थिति अब सुधर गयी है ।

डिप्टी जेलरों तथा असिस्टेंट जेलरों के वेतन-क्रम में अन्तर

*१३---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या समाज सुरक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यू० पी० की जेलों में डिप्टी जेलर तथा सहायक जेलर के वेतनक्रमों में अन्तर है ?

समाज सुरक्षा राज्यमंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)---जी हां ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेंट जेलर का पद कब क्रियेट किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह मैं इस वक्त कह नहीं सकता ।

श्री उग्रसेन---जब डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर एक ही किस्म का काम जेलों में करते हैं तो उनके वेतन-क्रम में यह अन्तर क्यों है ?

श्री मुजफ्फर हसन---एक तरह का काम तो नहीं करते । डिप्टी जेलर ज्यादातर एक्जीक्युटिव काम करते हैं और असिस्टेंट जेलर ज्यादातर क्लेरिकल काम करते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी जेलर हिन्दी में क्या कहलाते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---आप डिक्शनरी देख लें तो अच्छा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी जेलर और असिस्टेन्ट जेलर के अलग अलग वेतन-क्रम क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---डिप्टी जेलर की तनख्वाह तो १२०-८-२००-ई० बी०-१०-३०० रु० है और असिस्टेंट जेलर की ८५-५-१२०-ई० बी०-८-२०० रु० है ।

कानपुर जिले में चौरा ग्राम के प्राइमरी स्कूल बनने में व्यय

*१४—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम चौरा, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर, में प्राइमरी स्कूल बनने में कुल कितना खर्च हुआ और वह रुपया किन मदों से प्राप्त हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२,९२५ रुपया अब तक कुल व्यय हुआ है वह रुपया निम्नांकित मदों से प्राप्त हुआ है :—

			रु०
(१)	ग्राम सभा दौलतपुर से	..	१,०००
(२)	ग्राम सभा कोरियांपुर से	..	१,०००
(३)	जिला नियोजन विभाग से	..	९००
(४)	श्रमदान आदि से ..	..	२००
	योग	..	३,१००

१७५ रुपया शेष है जिससे अभी और सीमेंन्ट खरीदना है।

*१५—श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)—क्या उक्त प्राइमरी स्कूल के निर्माण के सम्बन्ध में रुपयों के गबन की शिकायत ग्राम पंचायत, चौरा ने जिला अधिकारियों के पास भेजी ह ? यदि हां, तो सरकार की ओर से उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत चौरा या अन्य कहीं से रुपयों के गबन की कोई शिकायत नहीं आयी है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

अलीगढ़ जिले में कत्ल सम्बन्धी मुकदमे तथा पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*१६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में १९५६-५७ में कुल कितने कत्ल हुए और उनमें से कितनों के मुकदमे सिद्ध नहीं हो सके ?

श्री कैलाश प्रकाश—१९५६ में ५६ तथा १९५७ में ५५ कत्ल के मामले दर्ज हुए। १९५६ के ३४ मुकदमे तथा १९५७ के ३२ मुकदमे न्यायालयों में चालान किये गये जिनमें से क्रमशः १६ तथा ७ मुकदमे बरी हुए।

*१७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या गृह मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमे साबित नहीं हुए उन मामलों में पुलिस की लापरवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—१९५६ के ४ मुकदमों तथा १९५७ के दो मुकदमों में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उनकी लापरवाह जांच तथा उचित पैरवी न करने के सम्बन्ध में वैभागिक कार्यवाही की गयी तथा चेतावनी या आचरण-पत्रिका में प्रतिकल प्रविष्टि अथवा वेतन में अवनति की गयी।

*१८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष तहसील हाथरस के सासनी थाने में कत्लों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रायः सभी हत्याएं आन्तरिक वैमनस्य के कारण हुईं जिनका स्थानीय पुलिस को ज्ञान नहीं। जहां जहां वैमनस्य ज्ञात हुआ वहां धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। इस वर्ष (१९५८) में अभी तक कोई हत्या की घटना नहीं हुई।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन थानों के कितने अधिकारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—१९५६ के सिलसिले में तो पुलिस स्टेशन हरदुआगंज के एस० आई० श्री पूपल सिंह। दूसरे पुलिस स्टेशन मुरसान के सब-इन्सपेक्टर मुमरेज खां, तीसरे पुलिस स्टेशन हरदुआगंज के एस० आई० श्री भूपालसिंह, चौथे पुलिस स्टेशन इगलास के एस० आई० श्री हरस्वरूप शर्मा। सन् १९५७ के सिलसिले में हरदुआगंज पुलिस स्टेशन के भूपालसिंह एस० आई० के विरुद्ध दो बार कार्यवाही की गयी।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या थाना सासनी के सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जब तक जजमेंट में इनका जिक्र न हो, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जजमेंट हुआ है उसमें थाना सासनी के इन्चार्ज का नाम नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन एस० आई० के खिलाफ कार्यवाही की गयी उनको क्या दंड दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्री पूपलसिंह को एडवर्स एन्ट्री। मुमरेज खां को एक साल के लिये १७४ रुपये से १६८ रुपये पर कर दिया गया। भूपालसिंह को वार्निंग दी गयी। हरस्वरूप शर्मा को वार्निंग दी गयी और वह पर्सनल फाइल में रख दी गयी। सन् १९५७ के सिलसिले में भूपालसिंह को वार्निंग दी गयी और वह पर्सनल फाइल में रख दी गयी। इसी सिलसिले में श्री मुंशी सिंह को वार्निंग दी गयी और दूसरे भूपालसिंह के खिलाफ एडवर्स एन्ट्री की गयी।

देवरिया जिला बोर्ड को फीस माफी से क्षति

*१९—श्री उग्रसेन—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बोर्ड को कक्षा ६ तक विद्यालयों में फीस माफी के लिये कितने रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—९७,८२७ रुपये।

*२०—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कक्षा ६ तक फीस माफी से जिला बोर्ड, देवरिया को कितनी क्षति उठानी पड़ रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त ६८,४२३ रुपये की।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ६८,४२३ रुपये की क्षति किस कारण से हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिस दर से फीस की यह क्षति पूर्ति सरकार की ओर से दी जाती है उस दर से अधिक फीस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ले रहे थे।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी वह दर बताने की कृपा करेंगे कि जिस दर से सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों को सहायता देती है फीस माफी की, और जिस दर से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहले से फीस लेते रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, सरकार की ओर से जिस दर से सहायता दी जाती है वह है कक्षा १ से ५ तक २ आना मासिक प्रति छात्र और कक्षा ६ में ३ रुपया मासिक प्रति छात्र । जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के फीस लेने का संबंध है वह भिन्न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भिन्न फीस लेते रहे हैं और उसके आंकड़े इस समय मौजूद नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी देवरिया जिला बोर्ड की इस क्षति पूर्ति का आदेश देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न नीति का है और सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि हमारी शिक्षा संहिता में जो शेड्यूल दिया हुआ है उस के हिसाब से हम यह क्षतिपूर्ति कर रहे हैं और बहुत से जिला बोर्ड ऐसे हैं कि जिन्होंने फीस अधिक लगा रखी थी और उस से उनको आमदनी होती थी। अब दर्जा ६ तक फीस माफी करने की वजह से जो विशेष अतिरिक्त आय उनको होती थी, अधिक फीस लेने की वजह से, वह खत्म हो गयी है और उस से उनकी क्षति हुई है । यह हमारे प्रदेश के बहुत से जिला बोर्डों की बात है और इस संबंध में सरकार विचार कर रही है कि क्या करना है ।

मैनपुरी जिले में पिछड़ी जाति के कांस्टेबिलों की भर्ती

*२१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में पुलिस कान्स्टेबिल सन् १९५६ में और सन् १९५७ में नवम्बर तक कुल कितने भर्ती किये गये हैं ? उनमें हरिजन और पिछड़े हुए वर्ग में से कितने लिये गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—सन् १९५६ में जिला मैनपुरी में कुल ३५ कान्स्टबिल भर्ती किये गये, जिनमें से २० पिछड़ी हुई जातियों के हैं और हरिजन कोई भी नहीं है। १९५७ में कान्स्टेबिलों की भर्ती नहीं की गयी ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किसी भी हरिजन के भर्ती न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, कान्स्टेबिलों की भर्ती के लिये कुछ योग्यता निर्धारित है । जो प्रार्थी होते हैं यदि वह उस योग्यता के नहीं होते तो उनको भर्ती नहीं किया जाता ।

श्री रामायण राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने हरिजन युवकों ने कान्स्टेबिल बनने के लिये आवेदन-पत्र दिया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

*२२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३–२५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

१९३१ व ३२ में सरकारी कर न देने के कारण जब्तशुदा जायदादों की वापसी की मांग

*२६—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९३१ व १९३२ में विदेशी सरकार को टैक्स न देने के सम्बन्ध में जो आन्दोलन हुआ था उसमें टैक्स न देने से जो जायदादें विदेशी सरकार ने जब्त कर ली थीं या लगान न देने से जिन काश्तकारों की भूमि जब्त कर ली गयी थी क्या वह उन्हें वापिस कराने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं ।

*२७---श्री गनेशचन्द्र काछी---यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९३१ और ३२ ई० में विदेशी सरकार को टैक्स न देने के सिलसिले में जो आन्दोलन हुआ था उसमें लगान न देने से जिन काश्तकारों की भूमि चली गयी या टैक्स न देने से जिनकी जायदाद चली गयी उसे वापस कराने के लिये पहले से विचार न हो सकने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कारण यह है कि एक तो वह बात बहुत पुरानी हो गयी। दूसरे यह कि उस समय के कागजात भी हमारे पास नही मिलते और तीसरे यह कि सन् १९४२ के सिलसिले में तो हमने यह प्रबन्ध किया कि एक कानून पास हुआ कि वह बिल्डिंग्स या लैंड रिस्टोर कर दी जायं, लेकिन सन् १९३२ के लिये यह करना संभव नहीं था क्योंकि बहुत दिन की बात हो चुकी थी ।

राजनीतिक पेंशनरां

*२८---श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में राजनैतिक पेन्शनर किन-किन वर्गों (categories) में पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मांगी गयी सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६४ पर)

*२९---श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५६-५७ में उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---७,४२,८११ रुपये ।

उत्तर प्रदेश नान-गजटेड पुलिस एसोसिएशन

*३०---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि हाल ही में सरकार अथवा पुलिस आई० जी० की ओर से कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि प्रदेश के पुलिसमैन अपना "संघ" बना सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिसमैनों को संघ बनाने की आज्ञा हाल ही में देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उत्तर प्रदेश नान-गजेटेड पुलिस एसोसियेशन को सरकारी मान्यता सन् १९२६ से ही प्राप्त है ।

*३१---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या उस आदेश अथवा सुझाव की प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बोर्ड, नैनीताल के अपर प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का बकाया वेतन

*३२---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला नैनीताल के जिला बोर्ड के अपर प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को कई माह से तनख्वाह नहीं मिली है ? यदि हां, तो कितने माह से और उसका क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां । परिषद् के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का दो माह अर्थात् दिसम्बर, १९५७ तथा जनवरी, १९५८ तथा भूतपूर्व राजकीय प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों का तीन माह अर्थात् नवम्बर व दिसम्बर, १९५७ तथा जनवरी, १९५८ के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, धनाभाव के कारण ।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार को मालूम है कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में इस बोर्ड को पर्याप्त रुपया दिया गया था, और फिर भी धनाभाव का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, चौथी किस्त सरकार की ओर से बोर्ड को नहीं दी गयी थी, इसलिये उनका वेतन नहीं दिया जा सका ।

श्री प्रतापसिंह---परिषद् के प्राइमरी और राजकीय प्राइमरी स्कूलों के कितने अध्यापकों को अब तक वेतन नहीं दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गेंदासिंह---सरकारी ग्रान्ट क्यों नहीं इस अवधि में दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गवर्नमेंट ग्रान्ट ३-३ महीने की चार किस्तों में दी जाती है । नैनीताल के बोर्ड को तीसरी किस्त दी जा चुकी थी जो अक्तूबर, नवम्बर और जनवरी के वेतन के लिये होती है । फिर भी, उन्होंने अध्यापकों का वेतन नहीं दिया था । चौथी किस्त जनवरी, फरवरी में जाती है, वह गयी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि जिला बोर्ड नैनीताल ने नवम्बर और दिसम्बर की तनख्वाह इसलिये नहीं बांटी की उन्होंने अनधिकृत रूप से कुछ नये अध्यापक २, ३ मास के लिये रख लिये थे और उनके वेतन में रुपया लग गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे सूचना नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार जिला बोर्ड नैनीताल को आदेश देगी कि उस रुपये को शीघ्र बांट दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरी धारणा है कि नवम्बर, दिसम्बर की तनख्वाह बंट चुकी है ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चौथे क्वार्टर की ग्रान्ट पहली दिसम्बर को पेऐबिल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हां, हो जानी चाहिये, मैं समझता हूं, जनवरी तक अवश्य । मुझे मालूम है कि इसमें विलम्ब हो जाता है और अध्यापकों को वेतन देने में जिला बोर्डों को कठिनाई होती है । मैं समयानुकूल ग्रान्ट जाने का प्रबन्ध कर रहा हूं ।

*३३---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---[माल मंत्री से संबंधित नवें गुरुवार में प्रश्न संख्या १३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आगरा जिले का श्री वीरेश्वर सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल, टूंडला नामक कथित विद्यालय

*३४---श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आगरा जिला के श्री वीरेश्वर सिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, टूंडला में सभी अछूत विद्यार्थियों से जुलाई से लकर अभी तक बराबर फीस वसूल की जा रही है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आगरा जिले में श्री वीरेश्वर सिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, टूंडला, नामक कोई विद्यालय नहीं है ।

*३५-३६—श्री जगन्नाथ लहरी (अनुपस्थित)—[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

अलीगढ़ जिले के नयपूरा तथा नन्दना ग्रामों की डकैतियों में मृतकों के आश्रितों को पेंशन देने का विचार

*३७—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थानान्तर्गत ग्राम नयपूरा तथा नन्दना में दिनांक २४ नवम्बर, १९५७ ई० की रात्रि में सशस्त्र डकैतियां हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां ।

*३८—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या यह सत्य है कि ग्राम नयपूरा की डकैती में डकैतों का मुकाबला करते हुए उक्त ग्राम के तीन व्यक्ति बन्दूक के फायर से तत्काल मर गये तथा ग्यारह व्यक्ति बुरी तरह घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, घायल व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुए थे और सब अच्छे हो गये ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या सरकार मृतक व्यक्तियों के आश्रित परिवारों को मासिक पेन्शन तथा घायल व्यक्तियों को पुरस्कार देने की कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिलाधीश महोदय घायल व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं । मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन देने के मामले में लिखापढ़ी की जा रही है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—जिलाधीश क्या प्रयत्न कर रहे हैं और किस तरह से सहायता देने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिलाधीश कुछ धन जमा करके सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन देने के बारे में किससे लिखापढ़ी की जा रही है और यह लिखापढ़ी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और अन्तिम रूप से पेंशन मिलना कब शुरू हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लिखापढ़ी विभाग में, स्थानीय अधिकारियों में और सरकार में होती है । यही तो एजेन्सी है । जो कुछ उचित होगा, शीघ्र से शीघ्र किया जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—ऐसे मामलात में जहां ग्रामवासी डकैतों का मुकाबला करते हैं और जान से जाते हैं, क्या सरकार भी कोई व्यवस्था उनकी मदद करने की रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां, सहायता की जाती है । उसमें थोड़ी सी कानूनी दिक्कतें हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश भी की जाती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—तो ऐसी हालत में सरकार अपनी ओर से कोई सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विचार हो रहा है, उत्तर दिया हुआ है ।

श्री गौरीशंकर राय---पेन्शन के पहले तात्कालिक सहायता के लिये अगर कोई चन्दा जमा न हो सके तो क्या सरकार के पास सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---व्यवस्था तो सरकार सब कर लेती है ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार अपने पास से सहायता देगी और चन्दे की रकम खजाने में जमा हो जावेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सहायता देने में थोड़ी सी कानूनी अड़चन हैं, केस जो होते हैं उनके बारे में । इसे बहुत स्पष्ट नहीं करना चाहता हूं । इसलिये कानून को देखते हुए उचित व्यवस्था की जाती है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् में सदस्यों का कोआप्शन

*४०---**श्री दीनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्त्तमान माध्यमिक शिक्षा परिषद् (Intermediate Board) के पूर्व के परिषद् में इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत कौन-कौन से व्यक्ति कोआप्ट किये गये थे एवं उसका आधार क्या था ?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रारम्भ में निम्नांकित तीन सज्जन कोआप्ट किये गये थे:---

१---श्री विजय शंकर हैकरवाल, शिक्षा विभाग ।

२---श्री नरेन्द्र जीत सिंह, बैरिस्टर, कानपुर ।

३---श्री बद्री प्रसाद माथुर, प्रिंसिपल राधास्वामी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयाख बाग, आगरा ।

श्री माथुर का स्वर्गवास होने के कारण रिक्त स्थान पर श्री प्राणेन्द्र नाथ घोषाल, प्रिंसिपल, सी० ए० वी० कालेज, इलाहाबाद को कोआप्ट किया गया ।

परिषद् ने अपनी कार्यवाही में आधार का कोई उल्लेख नहीं किया ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कोआप्शन हुआ उसमें आधार नहीं लिखा गया, तो यह नियम के अनुकूल नहीं हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश---कोआप्शन का अधिकार बोर्ड को है, प्रोसीडिंग्स में कुछ नहीं लिखा है ।

गाजीपुर जिले में १९४२ के आन्दोलन के शहीद श्री अलगू सिंह यादव का स्मारक बनवाने की मांग

*४१---**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार अलगू सिंह यादव के, जो सन् १९४२ के आन्दोलन में गाजीपुर जिले के सादात थाने पर थानेदार की पिस्तौल से शहीद हुए थे, स्मारक बनवाने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ? क्या सरकार के समक्ष उक्त शहीद के परिवार के भरण-पोषण के लिये कोई पेन्शन देने का प्रश्न विचाराधीन है ?

गृह मंत्री के सभा-सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---प्रादेशिक स्तर पर सरकार ने जिन स्मारकों को बनाने का निश्चय किया था वे बनाये जा चुके । सम्प्रति अब और किसी स्मारक को बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

स्वर्गीय श्री यादव के परिवार के भरण-पोषण के लिये पेन्शन देने का प्रश्न भी इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री यमुना सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यादव स्मारक बनाने में सरकार को क्या परेशानी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---स्मारक बनाने में तो कोई परेशानी नहीं है । इस समय तक जिन स्मारकों का बनाया जाना निश्चित किया गया था, और जिनको हम समझते थे कि प्रान्तीय स्तर पर उनको बनना चाहिये वे स्मारक बनाये जा चुके हैं । अब स्थानीय लोग और कोई स्मारक बनाना चाहते हैं तो यह उनका कार्य है ।

*४२---४४---**श्री रामकिंकर**---[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५---**श्री झारखंडे राय**---[मुख्य मंत्री से संबंधित दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ में कटते पेड़ के नीचे दब कर श्री लक्ष्मण की मृत्यु

*४६---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि माह जून के दिनांक २२, सन् १९५७ को लखनऊ के ऐशबाग से खजुहा बाजार जाते समय लक्ष्मण नामक व्यक्ति सड़क पर पेड़ के कटने से गिरते वक्त दब कर मर गया ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस द्वारा इसमें क्या छानबीन की गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां । पुलिस ने तफतीश करके तीन व्यक्तियों का, जिनके कारण दुर्घटना हुई थी, चालान किया और अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो दुर्घटना हुई उस घटना के कितने दिनों बाद यह चालान हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन लोगों के चालान हुए हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं, और कहां के रहने वाले हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जांच के पश्चात् पुलिस ने झुमरन खां, ठेकेदार तथा मुहम्मद शफी और मजीद नामक दो मजदूरों का चालान किया है ।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आदमी मर गया है वह कहां का रहने वाला था ? उसके बाल-बच्चों को खबर गई या नहीं हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे खयाल से लखनऊ का ही रहने वाला था ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को मालूम है कि जो व्यक्ति मर गया वह एक ओवरसियर के यहां काम पर था और सरकारी काम से जा रहा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, मेरी रिपोर्ट यह नहीं है ।

जिला बोर्ड, फर्रुखाबाद के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*४७---**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बोर्ड, फर्रुखाबाद के अध्यापकों का वेतन कई महीने का बाकी है ? यदि हां, तो कितने महीने का और यह कब तक अदा किया जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*४८---**श्री यमुना सिंह**---[न्याय मंत्री से संबंधित दसवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की प्रार्थना

*४९--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों के वेतन क्रम को उच्च करने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं ।

*५०-५२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

वाराणसी जिले के चौबेपुर तथा चोलापुर थानों के अन्तर्गत कत्ल

*५३--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि थाना चौबेपुर व चोलापुर, वाराणसी में कत्ल के कितने केस सन् १९५७ में अब तक हो चुके हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--थाना चौबेपुर में चार तथा चोलापुर में तीन कत्ल के केस १९५७ में हुए ।

श्री लोकनाथ सिंह--थाने चौबेपुर और चोलापुर में जो कत्ल के केसेज हुए, उनके बाद क्या गृह मंत्री जी ने कोई ऐसी योजना बनायी है जिससे आगे चल कर कत्ल के कम केसेज हों या न हों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, चेष्टा तो यही है ।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कत्ल हुए हैं, उनमें कितने फायर आर्म्स से हुए हैं और कितने धारदार आलों से हुए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तफसील तो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि इनमें फायर आर्म्स का कोई प्रयोग नहीं हुआ ।

*५४-५५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण सातवें बुधवार में प्रश्न संख्या ११९-१२० से निर्धारित किये गये ।]

श्री राजाराम सिंह, निवासी ग्राम लमेड़ा, जिला फर्रुखाबाद की हत्या

*५६--श्री हरदयाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार को जानकारी है कि स्वर्गीय राजाराम सिंह, निवासी ग्राम लमेड़ा, थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद की हत्या दिनांक २२-११-५७ को लाठी और भाले द्वारा कर दी गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां ।

*५७--श्री हरदयाल सिंह--क्या सरकार ने अपराधी का सही पता लगा लिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--उस मामले में अनुसंधान के उपरान्त कुल १९ अभियुक्तों का चालान दिनांक ६-२-५८ को कर दिया गया। यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री हरदयाल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो घटना जिला फर्रुखाबाद में घटी है, जिसमें दो कत्ल हुए हैं, वहां की स्थानीय पुलिस उस केस में दिलचस्पी नहीं ले रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, यह तो मैं प्रश्न ५७ के उत्तर में कह चुका हूं कि मामला न्यायालय में जा चुका है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि स्थानीय पुलिस इस मामले की पैरवी में अड़ंगेबाजी कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--यह मामला तो अदालत में है, कोई मिनिस्टर वहां २४ घंटे हाजिर नहीं रह सकता कि वह सारी बातें बतलावे ।

श्री हरदयाल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि यह घटना घटने के बाद राजाराम सिंह की ४८ घंटे के बाद मौत हुई, फिर भी मैजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान नहीं लिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरी जानकारी यह है कि यह घटना घटने के बाद उसका चालान कर दिया गया और कुछ आदमियों ने सरेंडर कर दिया । केस अदालत के अन्दर है, इसलिये इसके डिटेल्स के सम्बन्ध में कुछ कह भी नहीं सकते हैं ।

टेहरी-गढ़वाल जिले में जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*५८--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टिहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला टिहरी-गढ़वाल में बेसिक व जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को पिछले आठ माह से वेतन क्यों नहीं प्राप्त हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह ठीक नहीं है कि पिछले आठ मास से वेतन नहीं मिला । वेतन मिल चुका है ।

*५९-६०--श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)--[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

६ मास से कम कारावास में रहने वाले राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन देने की प्रार्थना

*६१--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--क्या सरकार उन राजनीतिक पीड़ितों को जो सन् १९२१ तथा सन् १९३० में कारावास में रहे हैं तथा सन् १९४२ में केवल नजरबन्दी या छः महीने से कम जेल में रहे हैं, पेंशन देने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--ऐसे राजनीतिक पीड़ितों को जो सन् १९२१ और सन् १९३० में भी ६ मास या ६ मास से अधिक कारावास भोग चुके हैं और पेंशन पाने के नियमों की अन्य बातों जैसे निर्धारित वय, शोचनीय वित्तीय स्थिति, इत्यादि को भी पूरा करते हैं, पेंशन बराबर दी जाती है ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--प्रश्न यह है कि सन् १९४२ में ६ महीने से कम जेल में रहे हों या नजरबन्द रहे हों तो उनको पेंशन दी जा सकती है या नहीं ? इसको कृपा करके स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--उत्तर में जिक्र नहीं है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--यानी ६ महीने उनको साधारणतः जेल में होना चाहिये, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो असमर्थ हो गया हो या शरीर से अपंगु हो गया हो और ६ महीने जेल में न भी रहा हो, तो भी उनको दे देते हैं । ऐसे साधारणतः ६ महीने होने चाहिये ।

हिस्ट्री शीटरों की निगरानी बन्द करने के नियम

*६२--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चोरी और डकैती के अपराधों से बरी हुये व्यक्तियों की निगरानी खोल देने के बारे में सरकारी नीति क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के पैरा २४० के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध डकैती, नकबजनी, मवेशी की चोरी, रेल के माल के डिब्बों में से चोरी और अन्य ऐसे अपराध जो पेशेवर अपराधी करते हैं, के सिलसिले में मुकदमा चला हो उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाती है, यदि यह सन्देह हो कि वह आदमी चोर या डकैत हो जायेंगे या ऐसे अपराधियों के सहयोगी हो जायेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों की निगरानी खुल जाती है उनकी निगरानी पुनः बन्द करने की सरकार की क्या व्यवस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--व्यवस्था यही है कि जब अच्छी रिपोर्ट आ जाती है और एस० पी० मुनासिब समझते हैं तब बन्द कर दी जाती है ।

श्री होरीलाल यादव--जिन व्यक्तियों की निगरानी खोली जाती है वह कितने दिन क बाद बन्द की जाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जब एस० पी० इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि अब उससे समाज को खतरा नहीं है तब बन्द हो जाती है ।

*६३--श्री सूरतचन्द रमोला--[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य करने के लिये बांदा नगरपालिका का प्रार्थना-पत्र

*६४--श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बुन्देलखंड की किन-किन नगरपालिकाओं में बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य की ?

श्री कैलाश प्रकाश--बुन्देलखंड की किसी भी नगरपालिका में बालिकाओं की शिक्षा अभी तक अनिवार्य नहीं है ।

श्रीमती सियादुलारी--क्या माननीय मंत्री जी के पास इन नगरपालिकाओं में से किसी ने प्रार्थनापत्र भेजे हैं कि हमारे यहां बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश--इस प्रकार के प्रार्थनापत्र तो म्युनिसिपैलिटीज से आते ही रहत हैं ।

श्रीमती सियादुलारी--क्या इस सम्बन्ध में बांदा नगरपालिका से भी कोई प्रार्थना पत्र आया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, आया था ।

श्रीमती सियादुलारी--क्या माननीय मंत्री जी इस वर्ष उस प्रार्थना-पत्र पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अवश्य विचार करेंगे ।

लखनऊ शहर के बिना इमारत वाले बेसिक स्कूल

*६५--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में कुछ बेसिक प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें नहीं हैं ? यदि हां, तो वे कहां-कहां पर हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां । लखनऊ शहर में नगरपालिका के अधीन ११ ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतें नहीं हैं। वे निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:--

१---पिपराघाट, पिपराघाट मोहल्ला ।
२---बंदरियाबाग, बंदरियाबाग मोहल्ला ।
३---शाहनजफ, शाहनजफ ।
४---बटलरगंज, बटलरगंज पैलेस ।
५---पेपर मिल, पेपर मिल बाबा का पुरवा ।
६---कटरा मकबूलगंज, कटरा मकबूलगंज ।
७---बैरूनी खंदक, माडल हाउस ।
८---विक्टोरिया पार्क, चौक ।
९---तालकटोरा, तालकटोरा मिल ।
१०---लालबाग, लालबाग दारुलशफा ।
११---खवास पुरवा, खवास पुरवा ।

*६६---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेसिक प्राइमरी स्कूल, लालबाग जो दारुलशफा ए ब्लाक के दक्षिण द्वार पर सड़क पर जारी है वह कितने दिनों से चल रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश---गत ८ वर्षों से चल रहा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये ११ स्कूल जिन की इमारतें नहीं हैं वह किराये की इमारतों में चल रहे हैं या मैदान में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी तो हमने अभी जांच नहीं करायी है, सूचना मिलने पर करायेंगे ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लालबाग स्कूल जो दारुलशफा के सामने सड़क पर चल रहा है उसके लिये कोई इमारत का प्रबंध हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह तो म्युनिसिपैलिटी को करना चाहिये, इसकी मैं जांच करा लूंगा । बाकी हम उनको सुझाव दे सकते हैं, अक्सर उनके स्कूल किराये के मकानों में चल रहे हैं और नगरपालिकायें स्कूलों की इमारतें नहीं बना पाई हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---यह ११ स्कूल जो किराये के मकानों में चल रहे हैं उनके लिये मकान की व्यवस्था करने के विषय में सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष---एक उत्तर दे दिया । मैं समझता हूं कि वह काफी है । उन्होंने बताया कि यह म्युनिसिपैलिटी का फर्ज है ।

अन्सार स्कूल, गोरखपुर में पांचवीं कक्षा में फीस लेना

*६७---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि अन्सार स्कूल, गोरखपुर, में दर्जा ५ में फीस अब भी ली जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, ली जा रही थी। उनको लिख दिया गया है कि वह फीस न लें और पिछली फीस वापस कर दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दर्जा पांच की फीस जो बहुत पहिले से माफ हो चुकी है, यह स्कूल क्यों ले रहा था और अगर नाजायज ले रहा था तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ले रहा था इस कारण कि गोरखपुर अन्सार हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहीं से प्राइमरी पाठशाला भी संलग्न है। म्युनिसिपल बोर्ड ने दर्जा पांच से दस तक क्षति पूर्ति करने के लिये ग्रान्ट नहीं दिया इस खयाल से कि पूरे सेकेंडरी स्कूल के साथ लगा हुआ है, अलग वन टु फाइव का ब्लाक नहीं है। अब उन्हें लिख दिया गया है कि वह अनुदान दें और वह फीस माफ कर दी जाय।

शाहजहांपुर जिला बोर्ड के अध्यापकों के वेतन मिलने में अनियमितता

*६८—**श्री रूम सिंह** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों का वेतन जून, १९५७ से आज तक भुगतान नहीं किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जनवरी, १९५८ तक का भुगतान किया जा चुका है।

*६९—**श्री रूम सिंह**—यदि हां तो उन अध्यापकों के गुजारे का, जो केवल वेतन ही पर निर्भर करते हैं, सरकार क्या प्रबंध कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रूम सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने मासिक वेतन न देकर कई-कई महीने के बाद अध्यापकों को वेतन दिया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी प्रश्न ६८ और ६९ को मद्देनजर रखते हुये प्रान्त के स्तर पर एक कमेटी बिठायेंगे जो इस वेतन के मामले पर जांच करे ?

श्री कैलाश प्रकाश—कोई इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह वेतन जनवरी, १९५८ तक का जो दिया गया है, भुगतान हो चुका है, यह प्रश्न के पहुंचने के बाद ही किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—सम्भव हो सकता है कि प्रश्न पहुंचने के बाद भुगतान किया गया हो। इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है कि कब किया गया।

रामपुर जेल से एक हवालाती का भाग जाना

*७०—**श्री बालकराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजकल रामपुर जेल में ऐसे कितने हवालाती हैं जिनको हवालात में रहते हुये एक साल से ज्यादा हो गया है और उनके मुकदमें अभी तक फैसल नहीं हुये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसे हवालाती बंदियों की संख्या १७ है।

*७१—**श्री बालकराम**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामपुर जेल से जो हवालाती माह अगस्त, १९५७ में भाग गया उस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और उसमें कौन-कौन जेल कर्मचारी मुअत्तल किये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---माह अगस्त, १९५७ में रामपुर जेल से कोई हवालाती बन्दी नहीं भागा बल्कि जुलाई, १९५७ में एक हवालाती बन्दी भागा था। इस सम्बन्ध में दो वार्डर नौकरी से अलग कर दिये गये, दो हेड वार्डर से वार्डर बना दिये गये तथा एक रिजर्व वार्डर और एक वार्डर की सालाना तरक्की दो वर्ष के लिये रोक दी गई है।

जिन वार्डरों को अलग कर दिया गया तथा जो हेड वार्डर से वार्डर बना दिये गये, वे ही मुअत्तल किये गये थे।

श्री बालकराम---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १७ हवालाती जो रामपुर जेल में एक साल से ज्यादा के हैं उनकी मियाद कितने-कितने दिन की हवालात में हो गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह पूरी तफसील तो मेरे पास नहीं है। साल भर से ज्यादा के हैं। यह है ।

दरियाबाद, जिला बाराबंकी में बालिका जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना

*७२---श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में जिला बाराबंकी में कितने और कहां-कहां जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---केवल एक बालिका जूनियर हाई स्कूल खोलने की (दरियाबाद में)।

गाजीपुर जिले में शेरपुर ग्रामवासी डाक्टर शिवपूजन राय का स्मारक बनवाने की मांग

*७३---श्री यमुना सिंह---क्या सरकार गाजीपुर जिले की शेरपुर ग्राम के डाक्टर शिवपूजन राय का स्मारक मुहम्मदाबाद तहसीली कचहरी के सामने बनवाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी जो १९४२ के आन्दोलन में उक्त स्थान पर सीने पर गोली खाकर शहीद हुये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रादेशिक स्तर पर सरकार ने जिन स्मारकों को बनाने का निश्चय किया था वे बनाये जा चुके। संप्रति अब और किसी स्मारक को बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन देने के नियम

*७४---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में राजनैतिक पीड़ितों को कितने माह की सजा भोगने पर तथा कम से कम कितने बार जेल जाने पर पेंशन देने का नियम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---स्वतंत्रता संग्राम में कम से कम ६ माह की सजा भोगने पर तथा कम से कम २ बार जेल जाने पर अथवा केवल १९४२ में ६ मास या उससे अधिक जेल जाने पर लोगों को राजनैतिक पीड़ित माना जाता है परन्तु यह आवश्यक रूप से अनिवार्य नहीं कि ये व्यक्ति पेंशन देने के नियम के भी अन्तर्गत आते हों।

*७५---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

लखनऊ नगरपालिका की अनिवार्य प्राइमरी कन्या पाठशालाओं की अप्रशिक्षित अध्यापिकायें

*७६---श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड की अनिवार्य प्राइमरी महिला पाठशालाओं में कितनी अप्रशिक्षित अध्यापिकायें ऐसी हैं जिनकी सेवायें पांच वर्षों से अधिक की हैं ?

नोट---प्रश्न ७१ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--६४ ।

*७७--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--क्या सरकार उनको प्रशिक्षण से मुक्त करने अथवा संक्षिप्त प्रशिक्षण होकर उन्हें स्थायित्व प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । यह प्रश्न सामान्य रूप से विचाराधीन है ।

*७८--श्री गंगाप्रसाद सिंह--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

*७९--श्री गनेशचन्द्र काछी--[सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण ग्यारहवें बुधवार में प्रश्न संख्या ३७ में स्थानान्तरित किया गया ।]

थानेदार, चौविया, जिला इटावा के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट

*८०--श्री भजन लाल (जिला इटावा)--क्या सरकार जून सन् १९५२ में नियुक्त स्पेशल सी० आई० डी० द्वारा थानेदार, चौविया, इटावा के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं । रिपोर्ट गोपनीय जांच से संबंधित थी तथा उसका प्रकाश में लाना जन हित में नहीं होगा ।

मैनपुरी जिले में ग्राम सभाओं एवं स्वशासन संस्थाओं के प्रधानों की पुलिस द्वारा निगरानी

*८१--श्री मलिखान सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि मैनपुरी जिले में कितने ऐसे निगरानीशुदा व्यक्ति हैं जो ग्राम सभाओं के प्रधान हैं अथवा स्वशासन संस्थाओं के प्रधान हैं तथा उन पर पुलिस पक्ष ने क्या-क्या दोष लगाये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे ६ व्यक्ति हैं । मुकदमों में चालान होने तथा बदमाशों से मेल रखने के कारण उनकी निगरानी की जाती है ।

यूनियन हायर सेकेण्डरी स्कूल, रामनगर, जिला बाराबंकी में कृषि शिक्षा देने का विचार

*८२--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में यूनियन हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर में कृषि शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिलाधीश द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल में कृषि शिक्षा की व्यवस्था कर रही है और कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, केवल जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी ने संस्तुति की है । अनुदान देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

संस्थाधिकारियों ने कृषिवर्ग में १९६० की हाई स्कूल परीक्षा से मान्यता हेतु प्रार्थना की है । मामला माध्यमिक परिषद्, उत्तर प्रदेश के विचाराधीन है ।

थाना छावनी, जिला बस्ती में चोरियां

*८३--श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)--क्या पुलिस मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९५३ से दिसम्बर, १९५३ में कितनी चोरी, डकैती, कत्ल, छावनी थाना, जिला बस्ती में हुये और जनवरी, १९५५ से दिसम्बर, १९५५ में कितने हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—थाना छावनी, जिला बस्ती के क्षेत्र में सन् १९५३ तथा १९५५ में क्रमशः ९ तथा १० चोरियां हुईं। इस थाने में उक्त वर्षों में डकैती तथा हत्या कोई नहीं हुई।

*८४—श्री जंगबहादुर वर्मा—[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सहारनपुर जिले में खुलने वाले राजकीय विद्यालय

*८५—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले में गवर्नमेन्ट की ओर से कितने जूनियर हाई स्कूल तथा राजकीय विद्यालय खोले जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहारनपुर जिला में १० जूनियर हाई स्कूलों को खुलवाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक केवल इस जिले में ३ जूनियर हाई स्कूल खोले जा चुके हैं, जिसमें से एक बालिकाओं का राजकीय जूनियर हाई स्कूल, ज्वालापुर, सहारनपुर में है तथा २ जूनियर हाई स्कूल अनुतानिक आधार पर मछरेरी और मुज्जफराबाद में खोले गये हैं।

सहारनपुर जिले में हत्यायें

*८६—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहारनपुर में १९५५ व १९५६ में अलग-अलग कितने-कितने कत्ल हुये और उन कत्लों के कारण विशेषतया क्या-क्या थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५५ में कुल २२ कत्ल हुये। इनमें से २ कत्ल गर्भ छिपाने के विचार से, १ सिंचाई के सिलसिले में झगड़े के कारण, ३ पुरानी शत्रुता के कारण, १ गिरफ्तारी से बचने के लिये, ३ भूमि सम्बन्धी झगड़े के फलस्वरूप, १ विवाह में असफलता के कारण, १ धन के सम्बन्ध में तथा ११ मामलों में कारण अज्ञात हैं क्योंकि अपराधी का पता न चल सका।

सन् १९५६ में कुल २७ कत्ल हुये। इसमें ११ भूमि व धन सम्पत्ति सम्बन्धी झगड़े के कारण, ९ पुरानी शत्रुता के विषय में, १ साधारण झगड़े के कारण तथा ६ मामलों में कारण अज्ञात हैं क्योंकि अपराधी का पता न लग सका।

प्रदेश में हरिजन थानेदार

*८७—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हरिजन थानेदार हैं और कुल थानेदारों में उनका प्रतिशत क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रदेश में इस समय ९३ हरिजन थानेदार हैं तथा कुल थानेदारों में उनका प्रतिशत तीन से कुछ अधिक है।

*८८-८९—श्री प्रताप सिंह—[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

सीतापुर जिला जेल के फाटक पर कथित घूसखोरी

*९०—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जेल सीतापुर के सदर फाटक पर अगस्त, १९५७ ई० में एक वार्डर १२ रु०, की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुजफ्फरहसन—जी नहीं। इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

*९१—श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल—[कृषि मंत्री से संबंधित सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती जिले में सिकटा ग्रामवासी श्री हरखू की दीवार के नीचे दब कर मृत्यु

*९२—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि ५ मार्च, १९५७ को ग्राम सिकटा, थाना त्रिलोकपुर, बस्ती में दीवार गिराते समय किसी हरिजन की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन परिस्थितियों में उक्त मृत्यु हुई और क्या सरकार ने उसकी जांच की और उस सिलसिले में संबंधित व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही की और उक्त परिवार के सहायतार्थ कुछ किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। मृतक श्री हरखू, ग्राम सिकटा के निवासी, श्री पटेश्वरी सिंह के यहां मजदूरी पर एक पुरानी दीवार गिराने का काम कर रहा था। दीवार अकस्मात् उसके ऊपर गिर पड़ी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की जांच की। चूंकि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु में किसी का हाथ नहीं था इसलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार द्वारा मृतक के परिवार को सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दुर्घटना से सरकार का कोई संबंध नहीं था।

चन्द्रनगर, जिला बस्ती के प्राइमरी स्कूल की इमारत गिर जाना

*९३—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार को विदित है कि चन्द्रनगर, डमरियागंज, बस्ती स्थित प्राइमरी स्कूल की इमारत पिछले ढाई-तीन साल से गिरी पड़ी है और अभी तक उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, व्यवस्था की जा रही है।

*९४—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार को विदित है कि उक्त प्राइमरी पाठशाला के बच्चे बरसात में स्थानीय आर्य समाज मंदिर में बैठते हैं और इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही इस दुर्व्यवस्था के लिये की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पाठशाला का अपना भवन न होने के कारण उनको आर्य समाज मंदिर तथा अन्य किसी मकान में बैठना पड़ता है। बच्चे कहीं मारे मारे नहीं फिरते। जिला परिषद्, भवन बनवाने की कार्यवाही कर रही है, इस कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिलान्तर्गत बलरामपुर नगरपालिका में अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*९५—श्री धर्मपाल सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलरामपुर नगरपालिका, जिला गोंडा में अध्यापकों का वेतन गत तीन मास से बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वहां के अध्यापकों का कोई वेतन बाकी नहीं है।

*९६-९७—श्री रामस्वरूप वर्मा—[११ वें बुधवार में प्रश्न संख्या ३५-३६ के सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण स्थानान्तरित किये गये।]

उन्नाव जिले में हसनगंज थाने के अन्तर्गत कत्ल व डकैतियां

*९८—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना हसनगंज, जिला उन्नाव में साल सन् १९५५, १९५६ और सन् १९५७ ई० में कितने कत्ल व डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५५, १९५६ तथा १९५७ में क्रमशः १,१ तथा १ डकैतियां हुईं और ४,५,१ कत्ल हुये।

बलन्दशहर जिले में डिप्टी सुपरिन्टेन्डन्ट पुलिस, कम्पलेंट्स द्वारा जांच किये गये भ्रष्टाचार के मामले

*९९–श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५६ व १९५७ में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेंट) के पास कितनी–कितनी शिकायतें, किस–किस महकमें की आई और उनमें से कितनी की जांच की गई और कितनी सच पाई गईं ?

*१००––श्री हिम्मतसिंह––क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त शिकायतों के आधार पर कितने कर्मचारियों को विभागवार क्या–क्या दंड दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६५–७६६ पर)

*१०१––श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)––[हरिजन कल्याण मंत्री से सम्बन्धित सातवें शुक्रवार में प्रश्न संख्या ९५ से स्थानान्तरित किया गया ।]

*१०२–१०३––श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)––[२६ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

राजकीय महिला इण्टर कालेज, वाराणसी में बायलोजी विषय न होना

*१०४––श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)––क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि वाराणसी जिले के किसी भी महिला इन्टर कालेज में बायलोजी के साथ साइंस का विषय नहीं है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री राजकीय महिला इंटर कालेज में बायलोजी के साथ साइंस विषय शीघ्र ही खुलवाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––जी हां, जहां तक राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाराणसी में बायलोजी के साथ साइंस विषय खोलने का प्रश्न है, इस पर विचार किया जायगा ।

*१०५––श्रीमती सज्जनदेवी महनोत––क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इंटर कालेज, वाराणसी के भवन बनाने के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाराणसी के भवन निर्माण के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है ।

मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वाड द्वारा दीक्षित अध्यापक

*१०६––श्री मोतीलाल अवस्थी––क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एजूकेशन कोड पैराग्राफ २४३–ए के अनुसार मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वाड (Mobile Training Squad) द्वारा ट्रेंड अध्यापक प्राइमरी स्कूल के मुख्याध्यापक होने से वंचित किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वाड द्वारा दीक्षित अध्यापक प्राइमरी स्कूल के मुख्याध्यापक होने से वंचित नहीं किये जाते । प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इण्टरमीडियेट कालेज, उरई में विद्यार्थियों की भर्ती

*१०७––श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)––क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उरई के राजकीय इन्टरमीडियेट कालेज में साइन्स के फर्स्ट इयर व सैकेन्ड ईयर में मौजूदा सेशन में कितने विद्यार्थी भर्ती किये गये और कितनों का ऐडमिशन रिफ्यूज कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कक्षा	भर्ती किये गये विद्यार्थियों की संख्या	रिपयूज किये गये विद्यार्थियों की संख्या
११	५८	३१
१२	६०	२८

युवक कांग्रेस सम्मेलन, मोतीमहल, लखनऊ की प्रदर्शनी में गृह विभाग का स्टाल

*१०८—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय युवक कांग्रेस सम्मेलन के अवसर पर मोती महल, लखनऊ में जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें गृह विभाग का भी कोई स्टाल लगा था ?

श्री मुजफ्फरहसन—जी हां । अखिल भारतीय युवक कांग्रेस सम्मेलन के अवसर पर मोती महल, लखनऊ में जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें गृह (कारागार) विभाग का एक स्टाल लगा था ।

*१०९—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्टाल में कितनी जमीन ली गई थी और उसके लिये क्या किराया अदा किया गया था ?

श्री मुजफ्फरहसन—उक्त स्टाल के लिये १६'×९' क्षेत्र की जमीन मिली थी। किस विभाग से कितना किराया लिया जाय यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

लखनऊ में पुलिस आन्दोलन के अवसर पर, श्री रामानन्द तिवारी, सदस्य विधान सभा, बिहार का आगमन

*११०—श्री गौरीशंकरराय—क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ में पुलिस के आन्दोलन के अवसर पर बिहार के पुलिस नता श्री रामानन्द तिवारी, सदस्य विधान सभा, बिहार के लखनऊ आने की सूचना सरकार को कब और किस के द्वारा मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में सरकार के पास पहले से किसी ने भी कोई सूचना नहीं भेजी थी ।

*१११—श्री गौरीशंकरराय—क्या यह सत्य है कि जब श्री तिवारी मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर उनसे मिलने के लिये गये उस समय वहां पर बड़ी संख्या में गुप्तचर विभाग के लोग उपस्थित थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

*११२—श्री गौरीशंकरराय—क्या यह भी सत्य है कि श्री तिवारी के लखनऊ में रहते हुये विधान सभा के माननीय सदस्य श्री गेंदा सिंह के निवासस्थान तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राज्य कार्यालय पर गुप्तचर विभाग का विशेष पहरा था ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह भी सत्य नहीं है ।

हाथरस के दंगल में दंगे के समय पुलिस की मौजूदगी

*११३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या यह सच है कि कुछ मास पूर्व हाथरस में जो दंगल और झगड़ा हुआ था उसके नियंत्रण के लिये कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी नहीं था जो मौके पर उपद्रवकारियों को रोक सकता ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । दंगल के समय पंडाल के भीतर व बाहर शहर कोतवाल के अलावा तीन सब-इंस्पेक्टर और मौजूद थे ।

*११४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यह सच है कि श्री वाऊ जी के इस मेले तथा कुश्ती-दंगल के लिये दंगे वाले दिन के लिये स्वीकृति नहीं मिली थी ? यदि हां, तो इसके जिम्मेदार कौन अधिकारी थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं । दिनांक ६-९-५७ के मेले व दंगल दोनों के लिये सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति दी गई थी । इसी दिन दंगा हुआ था । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

देवरिया जिले में डकैतियां, चोरियां तथा कत्ल

*११५--श्री उग्रसेन--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५७ से आज तक देवरिया में कितनी डकैतियां, चोरियां तथा कत्ल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जनवरी, १९५७ से ३ फरवरी, १९५८ तक देवरिया जिले में १४ डकैतियां, ६११ चोरियां तथा १७ कत्ल हुये ।

*११६--श्री उग्रसेन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितनी डकैतियों में चालान हुआ है और कितने में जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१४ डकैती की घटनाओं में ९ डकैतियों में चालान हुआ और ५ मामलों में अभी जांच हो रही है । किसी भी डकैती में जांच के बाद अन्तिम रिपोर्ट नहीं लगी ।

*११७--श्री उग्रसेन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस थाने के क्षेत्र में सबसे अधिक हथियार बन्द डकैतियां जनवरी, १९५७ से १५ अक्तूबर, १९५७ तक हुई हैं और उनकी संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में थाना खामपार क्षेत्र में सब से अधिक हथियार बन्द डकैतियां हुईं और उनकी संख्या २ है ।

युवक कांग्रेस अधिवेशन पर राज्य सरकार का व्यय

*११८--श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा), राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर), श्री राजनारायण तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि युवक कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर प्रान्तीय सरकार ने कितनी सहायता दी व प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा उपराष्ट्रपति के स्वागत में सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--५,००० रु० का अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा सांस्कृतिक आयोजन हेतु तथा २,००० रु० चिकित्सा विभाग द्वारा जल वितरण व्यवस्था तथा स्वच्छता के रखरखाव के लिये दिया गया ।

स्वागत में विशेष रूप से कोई व्यय नहीं हुआ ।

जिला बोर्ड गोंडा के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*११९--श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बोर्ड गोंडा के अध्यापकों को ४ माह से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बदायूं जिले में सूचना अधिकारी द्वारा कार्य

*१२०--श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बदायूं में सूचना विभाग के अधिकारी ने जिले में १९५६ में तथा जून, १९५७ तक क्या कार्य किये और क्या सरकार उनके द्वारा किये गये कार्य की सूची मेज पर रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला सूचना अधिकारी, बदायूं द्वारा १९५६ से जून, १९५७ तक जिले में किये गये कार्यं की सूची संलग्न है ।

(देखिये परची 'ग' आगे पृष्ठ ७६७-७६९ पर)

बरेली जिले में नवाबगंज-कुटइया नहर पर श्री करन सिंह, कलेक्शन अमीन का लूटा जाना

*१२१---श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ९ अक्तूबर, १९५७ को करीब ७ बजे सायंकाल कस्बा नवाबगंज (जिला बरेली) से कुटइया जाने वाली नहर पर कस्बा नवाबगंज से दो फर्लांग के फासले पर ठाकुर करन सिंह, सरकारी कलेक्शन अमीन व एक दूसरे महकमे के चपरासी को चार डाकुओं ने मारा-पीटा और उनकी साइकिलें व रुपया छीन लिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---९ अक्तूबर, १९५७ को करीब ६ बजे सायंकाल नवाबगंज से कुटइया जाने वाली नहर पर बीजामऊ गांव के निकट श्री करन सिंह, कलेक्शन अमीन व मुई चपरासी को चार सशस्त्र व्यक्तियों ने मारा-पीटा और दोनों की साइकिलें छीनकर भाग गये। रुपया छीन ले जाने की कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं की गई ।

*१२२---श्री शिवराजबहादुर---क्या उपर्युक्त विषय से संबंधित कोई रिपोर्ट थाना नवाबगंज में दर्ज हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । श्री करन सिंह, कलेक्शन अमीन ने एक रिपोर्ट थाना नवाबगंज पर ९ अक्तूबर, १९५७ को करीब ७ बजे सायंकाल दर्ज कराई थी ।

सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र शुक्ल को गिरफ्तारी के बाद साधारण श्रेणी में रखना

*१२३---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डा० रामचन्द्र शुक्ल, सोशलिस्ट सत्याग्रह के सम्बन्ध में २० मई, १९५७ को गिरफ्तार किये जाने के बाद किस श्रेणी में रखे गये थ ?

श्री मुजफ्फरहसन---डा० रामचन्द्र शुक्ल को गिरफ्तार किये जाने के बाद साधारण श्रेणी में रक्खा गया था।

हरिजन असिस्टेन्ट अटेंडेंस आफिसर न रखने पर मैनपुरी नगरपालिका से शिकायत

*१२४---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मैनपुरी की नगरपालिका की अगस्त, १९५७ में कोई शिकायतें आई हैं कि सरकार का आदेश था कि असिस्टेन्ट अटेंडेंस आफीसर हरिजन या पिछड़ी हुई जाति का रक्खा जाय, पर ऐसा न करके एक सवर्ण जाति के उम्मीदवार को रख लिया गया है ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । जिला विद्यालय निरीक्षक ने नियुक्ति अस्वीकार कर दी है और नगरपालिका को नियमानुसार नियुक्ति करने का निर्देश दिया है ।

हाथरस तहसील के गांवों में आग्नेय अस्त्रों की कमी

*१२५---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में तहसील हाथरस में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें एक भी फायर आर्म नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१२९ ।

युवक सम्मेलन, लखनऊ में प्रदर्शनी पर व्यय

*१२६--श्री मोहन लाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आल इंडिया यूथ कांग्रेस कन्वेन्सन जो लखनऊ में २७ अक्तूबर से ३० अक्तूबर, १९५७ तक हुआ उसके उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी मोती महल, लखनऊ में सरकार द्वारा आयोजित की गई उसमें कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्र की जा रही है।

नैनीताल जिले में पुलिस सिपाहियों को दण्ड तथा काशीपुर के थानेदार के खिलाफ शिकायतें

*१२७--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बतायेगी कि काशीपुर, जिला नैनीताल के दरोगा के खिलाफ अगस्त, १९५७ में जो शिकायत आई है उसमें सरकार ने क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शिकायतों के बारे में जांच की गई। किन्तु उनमें से कोई प्रमाणित न हो सकी।

*१२८--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार उपर्युक्त शिकायत की प्रमुख बातों को सदन में रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुख्य शिकायतें निम्नलिखित थीं:--

(१) थानेदार काशीपुर ने इलाके में आतंक फैला रखा है और अपराध छिपा कर रिश्वत ली।
(२) रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये रिश्वत मांगते हैं।
(३) शराब की नाजायज भट्ठियों की ओर ध्यान नहीं दिया।
(४) वह स्वयं शराबी और चरित्रहीन है ?

*१२९--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में कितने पुलिस के सिपाहियों को १९५६-५७ में स्थानान्तरित व मुअत्तल किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७७० पर)

उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांडा, जिला अल्मोड़ा में हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र रखने की प्रार्थना

*१३०--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांडा, जिला अल्मोड़ा में सन् १९५७ से हाई स्कूल की परीक्षा केन्द्र तोड़ा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। केन्द्र पर अव्यवस्था के कारण।

*१३१--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या सरकार कांडा में मार्च, १९५८ से फिर हाई स्कूल परीक्षा केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा समिति ने परीक्षा केन्द्र बनाना स्वीकार नहीं किया।

उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती भागों में अपराध बढ़ने की शिकायत

*१३२--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमांचलों में गत तीन मास में डकैतियां एवं जरायम बढ़ गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बलिया, गोरखपुर तथा मिर्जापुर जिलों के उन पुलिस क्षेत्रों में जो बिहार सीमा से लगते हैं डकैतियां एवं अन्य अपराधों में नवम्बर, १९५७ से जनवरी, १९५८ की अवधि में कोई वृद्धि नहीं हुई । केवल गाजीपुर तथा देवरिया के सीमावर्ती क्षेत्र में इस अवधि में डकैती में तथा वाराणसी में बलवे की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है ।

*१३३—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सीमान्त भागों की इस अशान्ति की रोकथाम के लिए उसकी ओर से क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अपराधों की रोकथाम के लिए जो प्रबन्ध किए गए हैं, उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७७१ पर) ।

अतारांकित अश्न

बरेली के कुछ अध्यापकों पर एक्जामिनर और इनविजीलेटर होने का प्रतिबंध

१—श्री शिवराज बहादुर—क्या यह सच है कि बरेली के कुछ अध्यापकों को सन् १९५५ में यू० पी० बोर्ड आफ हाई स्कूल ने एक्जामिनर बनने और इनविजीलेटर होने से डिबार किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

२—श्री शिवराज बहादुर—क्या यह सच है कि सन् १९५५ में उन अध्यापकों को इनविजीलेशन करने पर भी पारिश्रमिक (रेम्युनरेशन) नहीं दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

३—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह आदेश कितने समय के लिये था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अध्यापकों को तीन वर्ष (१९५६ से १९५८ तक की परीक्षा) के लिये समस्त पारिश्रमिक कार्यों से बंचित किया गया था किन्तु सात अध्यापकों पर से यह प्रतिबन्ध १९५७ की परीक्षा से हटा लिया गया ।

४—श्री सुल्तान आलम खां—[२६ मार्च, १९५७ के लिये स्थगित कियागया ।]

पलिया कलां, जिला खीरी निवासी डाक्टर राम निरंजन सिंह की मुख्य मंत्री के बंगले पर गिरफ्तारी

५—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पलिया कलां, जिला खीरी के निवासी डाक्टर राम निरंजन सिंह १४-१२-५६ को मुख्य मन्त्री के लखनऊ स्थित बंगले पर किस अपराध में, किस ऐक्ट की किस दफा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डाक्टर राम निरंजन सिंह को श्री जागीर सिंह नामक एक व्यक्ति के साथ मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर एक जाली पत्र पेश करने के अपराध में धारा ४२०/५११ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

दोनों अभियुक्तों का चालान हो गया है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, कम्पलेंट्स, जिला शाहजहांपुर द्वारा मामलों की जांच

६---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ जनवरी, १९५७ से ३१ जनवरी, १९५८ तक कितने मामलों की जांच डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंन्ट ऐन्टीकरप्शन (कम्पलेन्ट्स), जिला शाहजहांपुर ने की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कथित अवधि में डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स), शाहजहांपुर ने १७१ मामलों में जांच की ।

७---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उन शिकायतों में से कितनी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ थी और कितनी दूसरे विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त शिकायतों में से १५१ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध और २० अन्य विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध थीं ।

८---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उन शिकायतों में से कितनी सत्य पाई गईं और उनमें से कितनी शिकायतों पर सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जांच करने पर ६० शिकायतों में लगाये गये आरोप सत्य पाये गये । इन ६० में से ३२ मामलों से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है और शेष मामलों में की जा रही है ।

११ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न ९८ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन †

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, कल तारांकित प्रश्न ९८ के श्री वीरेन्द्र वर्मा के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया था कि हरदोई डी० सी० एफ० को १९५३-५४ में सुपरसीड किया गया था । मुझे खेद है कि यह सूचना गलत थी । वास्तव में हरदोई डी० सी० एफ० को १५ मई सन् १९५१ में सुपरसीड किया गया था । आपसे प्रार्थना है कि कल की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर लिया जाय ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के तीन प्रश्नों की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री पद्माकर लाल जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है । एक रोज वह नहीं आये थे तब उन्होंने कहलवाया था कि दूसरे रोज उनका प्रश्न ले लिया जाये । फिर दूसरे रोज मैं भूल गया और अपने साथ प्रस्ताव नहीं लाया जब कि उस रोज वह मौजूद थे । इसलिए मैंने कहा था कि आज मैं उसको ले लूंगा । तो वे एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं, श्री चरण सिंह जी माल मन्त्री के विरुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर के सिलसिले में । यह प्रश्न पूछे गए थे कि "क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रेवेन्यू मैन्युअल के पैरा १७० के अनुसार पन्द्रह रोजा रिपोर्ट कलेक्टरों की लैंड रिफार्म्स कमिश्नर की कोई आयी ? यदि हां, तो अन्तिम रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?" इसके उत्तर में माल मंत्री ने कहा कि "जी हां, रिपोर्ट आयी है, वह कार्यालय में देखी जा सकती है ।" दूसरे इसी तरह से रेवेन्यू मैन्युअल के पैरा फलां फलां के अनुसार कलेक्टरों की रिपोर्ट राज्य सरकार को पहुंची या नहीं ? इस प्रश्न में भी उन्होंने जवाब दिया कि वे रिपोर्टें आई हैं और वे कार्यालय में देखी जा सकती हैं । उनकी प्रतिलिपि तैयार कराने में जो समय तथा श्रम व्यय होगा वह इससे

---

†११ मार्च, १९५८ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा। तीसरा २६ नंबर का प्रश्न यह है कि लैंड रेवेन्यू मैन्युअल के पैरा १७५ के अनुसार क्या कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो खरीफ १३६५ फसली के सम्बन्ध में राज्य सरकार को लैंड रिफार्म्स कमिश्नर की रिपोर्ट क्या और कब आई और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? इसका उत्तर मंत्री जी ने यह दिया कि "जी नहीं, कार्यवाही नियम के अनुसार हुई है। सरकार के पास जो रिपोर्टें आई हैं वे कार्यालय में देखी जा सकती हैं। उनकी प्रतिलिपि तैयार करने में जो समय लगेगा तथा श्रम व्यय होगा, वह इससे होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा। सरकार ने उन पर नियमानुसार कार्यवाही की है।"

एक तो इसमें उनका कहना यह है कि १३ तारीख को उत्तर देना चाहिए था क्योंकि ११ तारीख को वह प्रश्न भेजा जा चुका था उनके पास। तो एक तो मंत्री जी ने नियम को भंग किया है। पहला तो यह आक्षेप वह बताते हैं। ये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न थे। मेरे दफ्तर की रिपोर्ट यह है कि १७ फरवरी को प्रश्न भेजे गए माननीय माल मन्त्री के पास और तारीख २१ को हमारे कार्यालय से जवाब देने का दिन मुकर्रर हुआ। उसी रोज जवाब उन्होंने दिया। तो तीन रोज बाद दिया। अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम यह है कि मन्त्री चाहें तो उन्हें स्वीकार करें और चाहें तो वे इनकार भी कर सकते हैं। उन्होंने उसको स्वीकार किया और जवाब दिया। अगर एक रोज देर भी हो जाय तो कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उससे उठता नहीं क्योंकि जिस चीज को वह स्वयं इनकार भी कर सकते हैं उसका उत्तर एक दिन बाद भी दिया तो प्रश्न नियम भंग करने का उठता नहीं है। और फिर उनका जो दिन मुकर्रर था वह तीसरे रोज नहीं पड़ता था क्योंकि मन्त्रियों के दिन बंधे हुये हैं कि फलां दिन फलां मन्त्री के प्रश्न लिये जावेंगे। तो हमारे दफ्तर के पास अगर १७ को प्रश्नों की स्वीकृति प्राप्त हुई तो तारीख २१ को उन्हें लिस्ट कर दिया। इसमें हमारे दफ्तर की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। २० को वह रख देते और मन्त्री जी उस दिन उत्तर दे देते तो एक दिन की देरी का प्रश्न नहीं उठता। दूसरी चीज यह है कि अगर यह भी मान लिया जाय कि एक दिन देरी हो गयी मन्त्री जी द्वारा तो भी विशेषाधिकार का प्रश्न उसमें नहीं उठता।

दूसरी बात वह यह कहते हैं .....

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---कितनी देर होने में विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है ?

श्री अध्यक्ष---जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में बोल कर विशेषाधिकार की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह---मेरी मजबूरी है अध्यक्ष महोदय, जब व्यापक तौर पर सारे मिनिस्टर्स नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तो उसके लिये कोई रास्ता आप बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष---इस प्रकार की नियम की अवहेलना नहीं होती उनके द्वारा जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सके।

श्री गेंदा सिंह---मैंने १० तारीख को प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास यह रिपोर्ट है कि १७ तारीख को वह प्रश्न सरकार को भेजा गया और २१ तारीख को जवाब दिया गया। हमारे दफ्तर में ११ तारीख को आया यह बात सही है।

अब दूसरी शिकायत यह है। रिपोर्ट मंत्री जी के दफ्तर में देखने पर यह पद्माकर लाल जी का कहना है कि जो माल मंत्री जी ने उत्तर दिया वह उत्तर भी गलत है, और वह जान बूझकर गलत दिया गया। मैंने उत्तर पढ़ कर सुना दिये, उनमें कोई भी ऐसा उत्तर नहीं है जो स्पष्टतः गलत दिखाई देता है। माल मंत्री तो केवल यह कहते हैं कि रिपोर्टें आई हैं, आप दफ्तर में देख लीजिये। उन्होंने उत्तर इस किस्म का नहीं दिया जिसके बारे में कहा जा सके कि जानबूझ कर गलत इत्तिला दी हो। ऐसी अवस्था में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने भेजा है 'ब्लिट्ज' अखबार को ऐडवरटिजमेंट देने के सिलसिले में । और मैंने सदन का प्रस्ताव इसके सम्बन्ध में पढ़ा । तो प्रस्ताव में कहीं भी यानी सदन के प्रस्ताव में यह नहीं है कि 'ब्लिट्ज' अखबार को कोई एडवरटिजमेंट न दिये जायं । बल्कि यह प्रस्ताव है कि :—

"This House accepts the finding of the committee of Privileges dated 18th January, 1952 and adjudges Sri Homi Dinshaw Mistri to be guilty of contempt of the House and requests the Speaker to issue necessary process for his presence at the Bar of the House for receiving such punishment as the House may determine after hearing such submission as he may wish to make."

तो यह आदरणीय सदन का प्रस्ताव था । क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक इंटेरिम फैसला हुआ था कि श्री मिस्त्री को २४ घंटे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं किया गया, इसलिए उनको छोड़ देने के लिए जो आज्ञा दी गई--उसी के अनुसार उन्हें यहां से छोड़ दिया गया । फिर इसके बाद प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट यहां सदन में पेश हुई और उसके बाद यह फैसला हुआ सदन का, जैसा कि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा यानी संक्षेप में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और पनिशमेंट के लिये उनको सदन में बुलाया जाय । फिर प्रश्न यह उठता था कि उनको गिरफ्तार फिर से किया जाय या न किया जाय । इस बीच श्री मिस्त्री ने एक मुकदमा बम्बई की अदालत में दायर कर दिया जिसमें कि वह कोर्ट से हार चुके हैं और हाईकोर्ट में उनकी अपील अभी पेश है । मेरे पास प्रश्न आया था कि अब इस प्रस्ताव के ऊपर कोई कार्यवाही होनी चाहिये कि नहीं । तो मैंने कहा जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक यह अनुचित होगा कि श्री होमी मिस्त्री के खिलाफ इस प्रस्ताव के अनुसार कोई कार्यवाही की जाय । यह परिस्थिति है । इसमें कहीं भी 'ब्लिट्ज' अखबार के खिलाफ प्रस्ताव नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय या उसको एडवरटिजमेंट दिये जायं या न दिये जायं । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । तो सदन की आज्ञा की अवहेलना का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है और ऐसा कोई भी डाक्युमेंट माननीय राज नारायण जी ने पेश भी नहीं किया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कोई ऐसी सदन की आज्ञा है । इस लिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--- श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता था । जहां तक 'ब्लिट्ज' को विज्ञापन भेजने की बात है, मैंने तारीख ७ को ३ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लगाये थे । उन्हें लगाये हुये काफी दिन हो गये हैं । कोई सूचना दी जाती कि कब तक लिये जायंगे तो अच्छा होता ।

श्री अध्यक्ष--उनके ऊपर आज्ञा अभी नहीं हुई है । मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष जी उनको देख कर आज्ञा दे देंगे । एक बात मैं बतला दूं कि मेरे पास यह सूचना आई है कि इस तरह 'ब्लिट्ज' को एडवरटिजमेंट्स दिये जाते हैं और उस पर कहीं से एतराज भी उठाया गया है । मैं यह उचित समझता हूं कि सम्बन्धित मंत्री के पास जो एतराज उठाया गया है उसे भेज दूं और वे जो उचित कार्यवाही होगी उसे करेंगे । लेकिन इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता । इसलिये मैंने इजाजत नहीं दी ।

श्री गेंदा सिंह--मैंने प्रश्न १० तारीख को दिये थे और १० तारीख से १७ तारीख तक ये प्रश्न कहां पड़े रहे यह कृपा कर बतला दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--विधान सभा सचिवालय में रहे । मैंने तहकीकात नहीं की है, लेकिन मेरे कमरे में आकर आप पूछ सकते हैं ।

श्री गेंदा सिंह-- तो मैं आपको सूचना दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--सूचना देने की जरूरत नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह---मैं आपकी आज्ञा से हाउस को यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने १० तारीख को प्रश्न दिये और ११ तारीख को वे माननीय मिनिस्टर साहेब को पहुंच गये....

श्री अध्यक्ष---वे तो मेरे दफ्तर में रहे। ऐसी सूचना देने से क्या होता है ?

श्री गेंदा सिंह---मैं आप से यह चाहता हूं कि अगर मेरी सूचना गलत है तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप कार्यवाही चाहते हैं अपनी तरफ से तो कोई सदस्य इस बात को उठा दे कि आप जानबूझ कर गलत बात कह रहे हैं और अगर सिद्ध हो जाय और मुझे यकीन हो जाय कि आप जानबूझ कर गलत बात कह रहे हैं तो कार्यवाही हो सकती है ।

श्री गेंदा सिंह---मैं इस सम्बन्ध में यह पुनः कहना चाहता हूं कि १० तारीख से १७ तारीख तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया और मिसलीड किया गया उत्तर देने में ....

श्री अध्यक्ष---ये दोनों चीजें उसमें नहीं हैं ।

श्री गेंदा सिंह---१० तारीख से १७ तारीख तक ये प्रश्न कहां रहे ? मेरी जानकारी यह है कि मिनिस्टर साहब के पास रहे। अगर मिनिस्टर साहब के पास रहे तो उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया ।

श्री अध्यक्ष---आप जानबूझ कर कह रहे हैं कि १७ तारीख तक मिनिस्टर साहब के पास रहे जब कि मैं कहता भी जा रहा हूं कि वे १७ तारीख तक मेरे दफ्तर में रहे। लिहाजा मेरे लिये तो लाचारी है। मैं तहकीकात तो कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप अपनी ही बात पर जोर देते हैं और जानबूझ कर ऐसी बात कहते हैं तो कोई माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकते हैं कि आप जानबूझ कर एक घटना को दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह---तो फ़ैसला अभी नहीं होना चाहिये जब तक इसकी इनक्वायरी न हो जाय ।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---आपने रूलिंग दे दी फिर भी गेंदासिंह जी गलत बयानी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मैं ब्रीच आफ प्रिविलेज उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप लिखकर भेज दें ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---मैं लिखकर भेज दूंगा ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मैंने जहां तक समझा माननीय गेंदासिंह जी की बात, वह यह कि उनको विश्वस्त सूत्र से यह सूचना प्राप्त हुई है कि ११ तारीख को ये प्रश्न सम्बन्धित मंत्री की सेवा में भेज दिये गये। कार्यालय से सूचना मान्यवर को प्राप्त हुई है वह १७ तारीख है। ११ और १७ को अगर हिन्दी में लिखा जाय तो ज्यादा अन्तर नहीं होता है। केवल मैं जो समझा, मेरे ऊपर असर पड़ा कि माननीय गेंदासिंह जी के कहने का अर्थ यह है कि इसकी जांच करा ली जाय कि इनकी जो इत्तला है वह सही है या गलत है, केवल इतनी बात है।

श्री अध्यक्ष---अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि 'सेवेन्टीन'। हिन्दी का सवाल नहीं उठता है। अब सवाल यह है .....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, जब आपने कह दिया कि मेरे कार्यालय की जिम्मेदारी थी और १० से १७ तक यहां रहा तो इस निर्णय के बाद बार-बार इस बात को कहना कि मेरा कोई दूसरा है, यह सदन का अपमान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---मैंने कह दिया कि जो कोई दूसरे सदस्य प्रश्न उठाना चाहें वह उठा सकते हैं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---प्वांइट आफ़ आर्डर, जब माननीय अध्यक्ष बोल रहे थे तो क्या माननीय सदस्य को खड़े होने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो व्यवस्था दे दी है , लेकिन उसके बीच में हम यह निवेदन करना चाहते थे कि हमने उस प्वांइट पर प्रिविलेज नहीं उठाया, हमने यह नहीं कहा है कि इस सदन में कोई ऐसा आर्डर पास किया था या प्रस्ताव किया था कि उसको विज्ञापन न दिया जाय, हमारे मुख्य प्रश्न दो हैं । कम से कम यह तो सुन लिया जाय कि उसको हम प्रिविलेज में कैसे लाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---वह मैंने देख कर ही किया है , मगर मैं उस चीज को सामने ला रहा था । आप कृपा कर बैठें । मैं पढ़ता भी हूं और मैं जानता हूं कि जो आर्गुमेंट्स आपने रखे हैं वह इस किस्म के हैं कि मैं उनको पढ़ता तक नहीं और उस सम्बन्ध में कमरे में ही बात करता, लेकिन चूंकि वह महत्व का विषय था और मेरे पास शिकायत भी उठ सकती थी तो मैंने सोचा कि कुछ जिक्र कर दूं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, जो सूचना आपको ११ और १७ के बारे में दी गयी, मैं इस बारे में आपको जानकारी कराना चाहता हूं कि रोज इसी तरह से गलत सूचनायें दी जाती हैं और आपको भी गलत सूचना दी गयी ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें, इससे कोई उनका मतलब है नहीं । मेरे दफ्तर की जो सूचना है उसके विषय में अगर आप कुछ कहना चाहें तो मेरे कमरे में कह सकते हैं । जब मेरे दफ्तर की कोई बात आती है तो उसके विषय में प्रश्न भी हम स्वीकार नहीं करते हैं और यहां पर जवाब भी नहीं देते हैं । यह आदरणीय सदन की प्रथा है और उसके अनुसार मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को कार्यवाही करनी चाहिए, जब मैं कहता हूं कि यह दफ्तर का सवाल है तो मेरे दफ्तर में उसकी इनक्वायरी हो सकती है, क्योंकि जो मुझे सूचना है उसके अनुसार मैं कहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि गलत सूचना दी गयी है तो मेरे दफ्तर में कहें, मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, 'ब्लिट्ज' के सम्बन्ध में एक आवश्यक जानकारी स्वयं आप से प्राप्त करनी है ।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त आप बात नहीं कर सकते । आप कृपा कर बैठें ।

शिवप्रसाद जी नागर ने एक सहकारिता मंत्री के कल के उत्तर के बारे में कि उन्होंने गलत उत्तर दिया, यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । तो मंत्री जी को मालूम हुआ कि उन्होंने गलत उत्तर दिया है, उन्होंने दुरुस्ती कर दी और खेद प्रकट कर दिया । मैं समझता हूं अब शिव प्रसाद जी इसको प्रेस नहीं करेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं तो अर्ज कर चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि यह सदन में एक बार नहीं, बल्कि जब से मैं आया हूं तमाम बार हो चुका है और कितनी मर्तबा गलत इन्फार्मेशन आती है । मैं आभारी हूं सहकारिता मंत्री जी का कि उन्होंने गलती स्वीकार कर ली और उनको बधाई देता हूं, लेकिन मंत्रिमंडल की तरफ से इस भूल का सुधार किया जाय और एक बीमारी हो गयी है उस का इलाज किया जाय ।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इधर इन्सान हैं, इन्सान से गलती होती है ।

श्री अध्यक्ष—मैं तो यही कह सकता हूं कि आदरणीय सदन के कोई साधारण सदस्य भी हों या मन्त्री हों या चाहे मुख्य मंत्री हों, जो उत्तर दिया जाय वह जांच करने के बाद बिलकुल सही उत्तर दिया जाय, लेकिन यह नहीं कह सकता कि कोई कभी भी गलती न करे क्योंकि आखिर सभी इन्सान हैं। आदरणीय सदन के जो सदस्य हैं वे भी सवाल करने में कभी-कभी ग़लती करते हैं और गलती मालूम होने पर वे अपना खेद प्रकट करते हैं और मंत्री जी भी जब कोई गलत बात कहते हैं तो वे बाद में अपना खेद भी प्रकट करते हैं। यह तो इन्सान की एक कमजोरी है कि वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वह इनफौलबिल हो।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—श्रीमन्, कल जो प्रश्न का उत्तर दिया गया उसमें गलती जरूर हुई लेकिन उससे बड़ी गलती मेरी यह हुई कि मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया।

श्री अध्यक्ष—जिस खूबसूरती से वह बात खत्म हो गयी अब आप उस खूबसूरती को क्यों खत्म करते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—क्योंकि जो इन्फार्मेशन डाक्युमेंट्स में है, पब्लिक आफ़िसेज़ में है उसके बारे में प्रश्न होना और मेरा जवाब देना असल में वह सब से बड़ी गलती थी। उस के लिये मैं और माफी मांगता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मामले में बिलकुल एक डाक्युमेंटरी फैक्ट है कि सन् १९५० में यह सस्पेंड....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो चीज़ आपने बड़ी खूबसूरती के साथ निपटायी और खत्म की उस को क्यों बढ़ाया जाय। मैं उनसे भी यही अर्ज़ कर सकता था और आप से भी यही कहता हूं। इस आदरणीय सदन में एक आध दफ़ा जोश चाहे भले ही आ जाय, लेकिन क्रोध न आये।

भदोही के कालीन उद्योगपतियों तथा मजदूरों में झगड़े के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब एक कामरोको प्रस्ताव भदोही के सम्बन्ध में श्री ऊदल जी ने दिया है। (श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) आप कृपा कर के बैठें। बात यह है कि मैं कामरोको प्रस्ताव ले रहा हूं। तो यह ऊदल जी का कामरोको प्रस्ताव है जो मालिकों और मजदूरों में भदोही में कुछ झगड़ा होने से हड़ताल वगैरह हुई उसके सम्बन्ध में है। इसमें कोई भी निश्चित बात कि कब से हड़ताल हुई, क्या झगड़ा हुआ और कैसी मारपीट हुई, यह कोई चीज़ इसमें स्पष्ट नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

रुड़की वर्कशाप के अधिकारियों द्वारा दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री भगवतीसिंह विशारद का है। यह रुड़की वर्कशाप के अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिये गये उसके सम्बन्ध में है। यह शायद एक दफा उठाया भी गया है और मैं अस्वीकृत कर चुका हूं। दुबारा यह उठाया नहीं जा सकता। इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है।

इलाहाबाद पुलिस की अकर्मण्यता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री पद्माकर लाल जी ने फिर इलाहाबाद पुलिस की जो अकर्मण्यता चोरी, डकैती के सम्बन्ध में है उसके बारे में कामरोको प्रस्ताव दिया है। इस सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव को दो दफ़ा नामन्जूर कर चुका हूं। तीसरी बार फिर यह आया है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अबकी बार कृपा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, यह तो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य श्री कल्याणचन्द मोहिले की गिरफ्तारी के ऊपर हमने दिया है।

श्री अध्यक्ष—उसके ऊपर तो कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता।

दूल्हापुर, जिला मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—इसके बाद श्री हलीमुद्दीन साहब ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है। वह भी अनिश्चित है लेकिन पत्र में शायद दिया है कि १७ मार्च को ५ हजार हथियारबन्द मजमे ने मुस्लिम आबादी पर हमला किया, जो निश्चित भी नहीं मालूम होता है। यह जरूर है कि यह महत्व का इस दृष्टि से है कि यदि घटना गुप्त रह गयी और अगर सदन को सूचना न दी जाय तो उससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि यदि उनको कोई सूचना इस विषय में हो तो वह कृपया इस सदन को दे दें। वैसे मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की मंजूरी नहीं दे रहा हूं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, जो सूचना मेरे पास है उससे यह पता लगता है कि दूल्हापुर गांव में होली के दिन झगड़ा हुआ। वह होली के दिन नहीं हुआ बल्कि होली के दूसरे दिन हुआ। होली के दिन एक जलूस, जिसमें अखाड़े वगैरह रहते हैं, गाता बजाता जा रहा था जो हिन्दुओं का था। होली का त्यौहार मनाते हुये वह किसी एक स्थान पर पहुंचे तो वहां कुछ लड़कों ने इस बात पर आपत्ति की कि अखाड़े के लोग तलवार ले कर क्यों चल रहे हैं और तलवार लेकर हम आगे नहीं जाने देंगे और उन्होंने रोकने की कोशिश की। ऐसा लगा कि आपस में झगड़ा हो जायगा। तो वहां पर एक कानस्टेबिल था उसने लोगों को समझा बुझा कर रोका और इस पर जो जलूस गाता बजाता जा रहा था चौकी को लेकर वह वापस हुआ। वह वापस हो कर घर चला गया और उसने होली का बायकाट किया। दूसरे दिन बहुत से वहां के बुजुर्ग हिन्दू और मुसलमान उस गांव के दोनों तरफ के लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि यह बात जरूरी है और चौकी निकलने देनी चाहिये और उन्होंने आपस में समझौता कराया।

दूसरे दिन ७ तारीख को ढाई बजे उन लोगों के मनाने से आपस में कुछ सुलह करा देने से फिर यह जलूस निकला चौकी इत्यादि का। रिपोर्ट यह है कि जब वह जलूस उसी जगह पर पहुंचा जहां वह पहले दिन रोका गया था तो कुछ ढेले चले और शोर मचा कि यह लोग जलूस पर ढेले मार रहे हैं। उसमें कुछ लोगों के चोटें भी आयीं और उत्तेजना बढ़ी और उनमें मारपीट शुरू हुई जिससे यह पता चलता है कि ८० झोपड़ियों और ८० मकानों में आग लग गई और वह जल गये। इसमें हिन्दुओं के भी मकान हैं और मुसलमानों के भी मकान हैं। कुछ आदमियों के चोटें भी आयीं हैं। गिरफ्तारी इसमें हुई है। पुलिस वहां पर पहुंच गई है और मामला नियन्त्रण में है। वहां पर इस समय पूरी शान्ति है। यह रिपोर्ट मेरे पास है। जांच पड़ताल चल रही है। फिर इसके बाद पूरी कार्यवाही होगी।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई) (जिला मुरादाबाद)— मुहतरमे सदर, असल में मैं यह चाहता था कि जो लोग वहां पर तबाह हो गये हैं, जो बच्चे वहां पर मर रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं उनके रिलीफ के लिये क्या कोई इंतजाम सरकार की तरफ से हुआ है ? यह भी बात सही नहीं है कि वहां पर शान्ति है। लोग अभी तक डर की वजह से खेतों में पड़े हुए हैं। तमाम वहां के लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। उनके खाने पीने के लिये उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास जो था वह सब जल गया है। तो मैं यह जानना चाहता था कि हकूमत ने वहां पर क्या इन्तजाम उनकी रिलीफ के लिये किया है।

श्री अध्यक्ष—गृह मंत्री जी यह बता दें। माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ कुछ ज्यादती हो गयी है उनकी मदद के लिये कोई इन्तजाम किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब जो और सूचना आप चाहते हैं वह मैं मंगा लूंगा। जो सूचना मेरे पास थी वह मैंने दे दी। गिरफ्तारी हो रही है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि न तो कोई खास वहां पर आतंक है और न कोई खास ज्यादती हुई है।

श्री अध्यक्ष—उनका तो यह स्पेसिफिक क्वैश्चन है कि वहां पर अगर किसी के साथ ज्यादती हो गयी है, जो बच्चे मर रहे हैं, लोग खाने से परेशान हैं, या कोई मर गया है, या आग से जो घर जल गये हैं तो ऐसे लोगों की मदद के लिये सरकार ने कुछ किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मरने की बात उनमें नहीं हुई है। आग वहां पर लगी है जिससे शायद ८० मकान जल गये हैं। उनकी मदद के लिये कोई इन्तजाम किया गया है या नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जो कार्यवाही आगे सरकार द्वारा इस विषय में मदद करने के बारे में हो उसकी सूचना आप सदन को दे दीजियेगा।

श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री बंशीधर शुक्ल जी का है जिसे मैं उचित नहीं समझता क्योंकि बहुत साधारण सी घटना को लेकर यह लाया गया है और महत्वपूर्ण नहीं मालूम होता। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—पढ़ कर सुना तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। वहां जानवर पानी पीते हैं और मर जाते हैं ऐसी कुछ चीज इस प्रस्ताव में है।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक: ४—कृषि आयकर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक: ७—मालगुजारी, अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक: ४०—उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक: ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अनुदान संख्या १,२,२२ और ३५ पर विवाद चल रहा था और वही अब जारी होगा। कल श्री बालक राम भाषण कर रहे थे।

श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं माननीय मलिखान सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कह रहा था कि "भूमिधर" शब्द दो शब्दों से मिल कर बना है, 'भूमि' और 'धर' और इन दोनों के माने, अगर लगाये जायं तो यही

[श्री बालक राम]

हैं कि काश्तकार अपनी भूमि को किसी पैसे वाले के पास गिरवीं रख दे। क्योंकि गरीब काश्तकार के पास पैसा नहीं होता, इसलिये वह दसगुना दाखिल करने के लिये किसी पैसे वाले से पैसा लेकर ही दसगुना दाखिल करेगा और भूमिधर बनेगा। भूमिधर बनने के बाद उस की भूमि में कोई सोना, चांदी तो पैदा नहीं होगा, पैदावार वही होगी और पैदावार पहले के मुकाबिले दिन पर दिन कम ही होती जा रही है। इसलिये कर्ज लेने के बाद वह उस पैसे को अदा नहीं कर पाता है और कुछ दिन के बाद उस के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं रहता कि जब पैसे वाला कहे कि हमारा पैसा दे दो या जमीन तो मजबूर होकर उसे पैसे वाले को देनी ही पड़ेगी और सरकार का मंशा भी भूमिधर शब्द रखने से यही था कि छोटे काश्तकारों की जमीन बड़े-बड़े काश्तकारों के पास जाय और देश में गरीबी, भुखमरी और बेकारी बढ़े।

(इस समय १२ बजकर ३४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

इसके बाद कल यह तारीफ की जा रही थी कि जमींदारी खत्म होने के बाद बहुत से काश्तकार अधिवासी बना दिये गये और बहुत बड़ी तादाद में काश्तकारों को जमीन मिल गयी। मैं अपने जिले का एक जिन्दा सबूत सदन के सामने रखना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से चुन कर मैं आया हूं उस क्षेत्र से पहले सदन में बाबू भगवान सहाय उर्फ किन्नू बाबू एम० एल० ए० थे। उनकी जमीन गुरगिया मोहनपुर में हजारों बीघा थी, सीर थी। कभी उनका हल वहां नहीं चला। काश्तकार जोतते थे बटाई व लगान पर। जब यह अधिवासी कानून चला तो मुकदमा चला और नतीजा यह हुआ कि बेचारे काश्तकारों का मुकदमे में रुपया पैसा भी लगा, मुकदमा हाईकोर्ट तक गया भी, लेकिन चूंकि श्री भगवान सहाय जो एम० एल० ए० थे, इसलिये हाकिमों ने उन के रोब में आकर. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—जो सज्जन यहां मौजूद नहीं हैं उनका नाम लेकर आप यहां कुछ न कहें।

श्री बालक राम—तो मैं यह बता रहा था कि बीसियों अधिवासी उनकी जमीन से बेदखल कर दिये गये और वह कतई अधिवासी नहीं माने गये। यह मैंने एक मिसाल दी है और ऐसे हजारों केसेज शाहजहांपुर में हैं।

कल बड़ी तारीफ इस सदन में इस बात की की गयी कि कांग्रेस हुकूमत आने पर, जमींदारी खत्म होने पर, देहातों में काश्तकारों के पक्के मकान बन गये, बहुत से कुएं बन गये। लेकिन उन माननीय सदस्य ने यह भी देखा कि कितने काश्तकारों के कुएं और मकान पक्के बन गये। केवल उन काश्तकारों के ही मकान पक्के बने हैं, जिनकी जमीन के पास नहर आ गयी, जिनका आबपाशी का जरिया निकल आया, घर के ४-५ आदमी मेहनत करने वाले हुए और मेहनत करके उन्होंने अपनी पैदावार को बढ़ा लिया। इस प्रकार से उनके मकान पक्के बने, लेकिन ज्यादा तादाद उन्हीं लोगों की है जिनकी हालत पहले से खराब है। यह किताब जो सरकार ने छपाई है उससे जाहिर है कि पैदावार दिन पर दिन घटी है। जब पैदावार घटी है तो काश्तकार के पास पैसा कहां से आ गया? क्या आसमान से पैसा आ गया जो उन्होंने पक्के मकान बना लिये?

अब रही चकबन्दी की बात। हम लोग चकबन्दी के खिलाफ कहां हैं? विरोध तो हमारा केवल इतना ही है कि पहले जमीन का बटवारा कर लिया जाय, उसके बाद चकबन्दी की जाय तो ठीक होगा वरना नतीजा यह होगा कि अभी यहां आप चकबन्दी कर रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद आपको जमीन का बंटवारा करना होगा क्योंकि आप समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप केवल बातें करते हैं, केवल समाजवाद का

नारा लगाते हैं, तब तो दूसरी बात है। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि सरकार अगर चकबन्दी कराना चाहती है तो वह बंटवारे के बाद कराये वरना इसमें जो पैसा लगेगा वह बरबाद हो जायगा और बंटवारे के बाद चकबन्दी दुबारा करानी पड़ेगी।

*श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे सूबे में जमींदारी अबालीशन के बाद लोगों की दशा में बेहतरी हुई है और यह मंत्री महोदय के लिये क्रेडिट की बात है। लेकिन हमारे जिले में जमींदारी अबालीशन के बाद मुकदमेबाजी में बृद्धि हुई है। हमारे यहां वाराणसी में जो बड़े-बड़े काश्तकार या जमींदार थे, उन्होंने काश्तकारों पर प्रभाव डाल कर, उनसे गलत इस्तीफे ले लिये। इस प्रकार के केसेज उस क्षेत्र में अधिक हुए हैं जिस क्षेत्र से विशेष दल के नेता इस सदन में आते हैं और सरकार के ऊपर आक्षेप करते रहते हैं। वहां पर अधिवासियों की बेदखलियां हुई हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जब कि विरोधी पार्टी के लोग यहां आवाज बुलन्द करते हैं कि यह नाजायज हुआ, विरोधी पार्टी के लोगों ने ही बम्बई और कलकत्ते से लोगों पर अधिक मुकदमें चलाये हैं और यहां पर सरकार की कटु आलोचना करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन अधिवासियों ने गलत इस्तीफे दिये हैं उनको पुनः उनकी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिये कोई अधिनियम बनाये तो किसानों को बहुत लाभ होगा।

जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में कतिपय कठिनाइयां भी हैं। जैसे धारा २२९ में स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाने का प्राविधान किया गया है लेकिन उसके लिये धारा ८० जा० दी० के अनुसार नोटिस देने की आवश्यकता है। इसके कारण किसानों को अधिक कठिनाई होती है। मेरे खयाल से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ इस ऐक्ट में सीरदार डिक्लेयर करने का राइट और उससे पजेशन लेने के अख्तियार का जुरिस्डिक्शन रेवेन्यू कोर्ट को है और इंजेक्शन सूट फाइल करने का अधिकार दीवानी अदालत में है। अच्छा होता कि ये दोनों अधिकार एक ही अदालत को दिये जायं, चाहे दीवानी अदालत को, चाहे माल अदालत को दिये जायं। इसके उपरान्त जो मालगुजारी के वसूल करने की बात है, वाराणसी जिले के विशेषकर चन्दौसी तहसील के पंवई और राधापुर परगने में सूखे की वजह से फसल की काफी क्षति हुई है। चैती भी नहीं हुई, रबी नहीं हुई और धान की फसल भी एक छटांक नहीं हुई जिसकी वजह से वहां के किसान लगान देने में असमर्थ हैं। मैंने खुद जाकर उन गांवों को देखा है। वहां पर जानवरों के खाने के लिये पुआल तक नहीं है और इस साल रबी की बोआई भी नहीं हो सकी है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस समय लगान की वसूली को किसी दूसरी फसल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय तो अधिक उचित होगा। जहां तक लगान में छूट देने की बात है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया और उसके द्वारा जो विवरण प्रकाशित हुआ है उससे मालूम हुआ कि हर जिले से १३६५ फसली की छूट के लिये सिफारिशें आयी हैं लेकिन वाराणसी जिले से अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। यह देख कर मुझे बहुत अधिक दुख हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उस सूचना को शीघ्रता से प्राप्त करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

इसके अलावा जहां तक भूमिलेख का संबंध है, किसानों का जिन खेतों पर कब्जा है, उनके संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने विधायकों को अवसर दिया है कि वे इस बात को देखें कि किस प्रकार से लेखपाल किसानों के कब्जे की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल यादव]

पड़ताल करते हैं। गरीब किसान जो अपने खेत पर काबिज थे, सन् १३६२ फसली में सरकार ने एक आदेश भेजा कि अगर असली काश्तकार का नाम कैफियत के खाने में दर्ज है तो वह नहीं रहेगा लेकिन जब अधिवासी बने तो असली काश्तकार का नाम खाना कैफियत से खारिज हो गया और अधिवासी का नाम दर्ज हो गया। कितने असली काश्तकार का नाम फिर फसली १३६३–६४ में दर्ज हो गया। तो इस तरह से हमारे जिले में बहुत अधिक मुकदमे २४० के चल रहे हैं जिससे किसानों को बहुत अधिक तरद्दुद है। खाना कैफियत में नाम दर्ज करने का जो आदेश है उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाय तो वह किसानों के लिये अधिक लाभप्रद हो सकता है।

इसके अलावा माल के मुकदमों की सुनवाई में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है। माल की कचहरियों में अनियमित तरीके से मुकदमों की सुनवाई होती है। अक्सर हमने देखा है कचहरियों में माल के अहलमद तो बयान लिखते हैं और हाकिम कोई दूसरा काम करते हैं। अधिक अच्छा होगा कि माल के मुकदमे करने के लिये अलग से अधिकारी नियुक्त किये जायं जो केवल माल के मुकदमें करे। उनके सामने फौजदारी या कोई दूसरे प्रकार के मुकदमे न हों। इन शब्दों के साथ मैं माननीय माल मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––श्रीमन्, मैं जानकारी के लिये माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि किस पार्टी के किस व्यक्ति ने किसानों पर कलकत्ते में मुकदमे चलाये, श्री कमलापति त्रिपाठी ने चलाये, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने चलाये या श्री श्यामलाल जी ने चलाये ?

श्री उपाध्यक्ष––माननीय दुबे जी भाषण करें।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज कटौती का प्रस्ताव इस ओर से रखा गया है, उसके समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। भूमि की समस्या आज हमारे देश में और प्रांत में बहुत जटिल होती जाती है। इस समस्या का हल करने के लिये सरकार जो बीसमील कदम उठा रही है या जो बाह्य उपचार कर रही है, उससे वास्तविक समस्या हल नहीं हो सकती है। मैं, श्रीमन्, केवल एक आंकड़ा आपके सामने रखूं कि पर कैपिटा कल्टीवेटेड लैन्ड कितना है, मैं इसी दृष्टि से माननीय मंत्री जी की सेवा में आंकड़े रखना चाहता हूं क्योंकि उनको आंकड़े में बड़ा विश्वास है। मुझे इस प्रदेश के तो नहीं मिल सके उस का मुझे दुख है परन्तु सारे देश के जो आंकड़े मुझे मिले उन के अनुसार १८९१ में पर कैपिटा आफ कल्टीवेटेड लैंड १०९ था, वह १९०१ में १०३ हो गया, १९११ में फिर १०९ हो गया, सन् १९२१ में १११ हुआ और सन् १९२१ के बाद सन् १९५१ में एक दम ८४ हो गया। तो आप देखें कि इस प्रकार से ३० साल के अन्दर १११ से गिरकर ८४ पर कैपिटा आफ लैंड कल्टीवेटेड हो जाना एक भीषण स्थिति का प्रतीक है। सरकार की ओर से कहा जायगा कि आबादी बढ़ गयी लेकिन उससे इतना जबरदस्त गिराव पर कैपिटा आफ कल्टीवेटेड लैंड में हो जाना संभव नहीं है।

अब प्रश्न तो यह है कि क्या जिस मात्रा में यह गिरावट हुई उसी मात्रा में यहां की आबादी भी बढ़ी ? नहीं, वह इतनी नहीं बढ़ी। इसका केवल एक कारण है कि राज्य की ओर से जो मासिव इंडस्ट्रीयलाइजेशन होना चाहिये था, वह नहीं हुआ और उद्योग धंधों में जनता को नहीं लगाया गया। उसके फलस्वरूप भूमि पर प्रेशर बढ़ा और उसका अर्थ यह हुआ कि लोगों में हंगार फार लैंड भी बढ़ा। अब प्रश्न यह है कि उसका हल क्या है ? बहुत बार इधर से कहा गया कि भूमि वितरण होना चाहिये, मुझे दुख है कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, जब वह मुख्य मंत्री नहीं थे और कांग्रेस की ओर से एक एग्रीकल्चरल कमेटी बिठायी गयी थी सन् १९३०–३१ में, उसके वह सदस्य थे। उसमें

उन्होंने अपना नोट आफ डिसेंट देते हुये कहा है कि—

"The chapter on recommendations provides that sub-letting should not be permitted but it lays down no restrictions upon the employment of labour. I am of opinion that no one should be permitted to retain more land than is necessary for an average family in the locality, whether he works it entirely by himself or with the help of hired labour. Any land over and above this which comes to a man by inheritance or otherwise, must go to the community.

इसके अर्थ यह हुए कि वह स्वयं भूमि के पुनः वितरण के विश्वासी थे लेकिन जब वह मुख्य मंत्री हुए तो वह अपने उस विश्वास को भूल गये, ऐसा हमें लगता है। हमारे चौधरी साहब भी आंकड़े तो बहुत जोर से रखते हैं, और कहते हैं कि अगर भूमि वितरण किया भी जाय तो उस में विशेष सफलता न होगी।

मैं, श्रीमन्, इस प्रदेश का जो स्टेटिसटिक्स विभाग है उसका बहुत आभारी हूं और उन के द्वारा भेजे गये आंकड़े में चौधरी साहब की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसमें टोटल एरिया आफ यू० पी० इन लैक एकर्स है ७४३·२ और उसमें से नेट एरिया सोन है ४१६·२, क्षेत्र जो कृषि योग्य है लेकिन कल्टीवेटेड नहीं है वह १११·७ लाख एकड़ है। अब अगर एप्लीकेशन के साथ देखा जाय तो सन् १९५१ में कल्टीवेटिंग लेबरर्स और उनके डिपेंडेंट्स की संख्या इस प्रकार है: सेल्फ सपोर्टिंग १३,२२,४६८, नान-अर्निंग डिपेंडेंट्स १७,७४,३३३, अर्निंग डिपेंडेंट्स ८,१५,४०८ है। अब एग्रीकल्चरल पापुलेशन के हिसाब से यह क्रमशः २·८ प्रतिशत, ३·८ प्रतिशत और १·१ प्रतिशत आता है। कुल टोटल करीब ३६ लाख के आता है यानी ७.७ प्रतिशत। अब श्रीमन्, सवाल यह है कि क्या यह १११ लाख एकड़ जमीन ७ प्रतिशत में नहीं बांटी जा सकती? मंत्री जी इसमें यह कह सकते हैं कि इसमें सड़कें भी हैं, गोचर भूमि भी शामिल है। मान लिया मैंने और ११ लाख एकड़ जमीन छोड़ दी फिर भी १०० लाख एकड़ जमीन बाकी रहती है जो आप सात लाख की आबादी में आसानी से बांट सकते हैं। श्रीमन्, रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिये आवश्यक है कि देहातों का जो पोलेराइजेशन (polarization) हो रहा है, वह न होकर सीलिंग आन मिनीमम लैण्ड हो। क्या माननीय माल मंत्री जी ने सीलिंग आन मिनीमम लैण्ड लागू की है? एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट में आता है जिसके अध्यक्ष कुमारप्पा जी थे और उन्होंने सीलिंग का माप दंड यह रखा था ५ से ८ एकड़, जिसके ऊपर आदमी साधारण तौर पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। वैसे उसमें यह कहा गया था कि इसके लिये प्रांत-प्रांत में फर्क होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी इसको क्यों भूल गये? क्या इसके लिये उन्होंने अपने प्रदेश में कोई प्रयास किया है? जब तक इस प्रांत के अन्दर मिनीमम होल्डिंग्स फिक्स करने का प्रयास नहीं किया जाता है तब तक भूमिहीनों की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जहां पर मिनीमम सीलिंग के फिक्स करने का सवाल है, वहां पर मैक्जीमम सीलिंग भी फिक्स होनी चाहिये। लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक ओर तो भूमिहीनों की समस्या है और दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या है और तीसरे देहातों के पापुलराइजेशन, इन तीनों ने मिलकर गांवों की दरिद्रता को और भी बढ़ा दिया है? अब इसमें प्रश्न यह उठता है कि यह दरिद्रता दूर कैसे की जाय? इसका सामना करने के लिये एक रास्ता तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। दूसरा रास्ता यह है कि ऐसी कोई चीज हो जिससे किसानों का लाभ हो। अब सवाल यह है

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कि किसानों को लाभ कैसे हो ? तो इसके लिये एक ही रास्ता है कि किसानों की मालगुजारी कम होनी चाहिये। अब देखना यह है कि लैन्ड रेवेन्यू क्या चीज है ? क्या, वह टैक्स है ? क्या वह किसान के प्रोडक्शन के सरप्लस का टैक्स है ? या श्रीमन्, मालगुजारी कहा जाय। उसे जिसके संबंध में पुराने शास्त्रकारों का विचार यह है कि भूमि सुरक्षित रह सके, किसान को जो उसकी भूमि पर अधिकार है वह सुरक्षित रह सकें, इसके लिये किसान को अपनी आमदनी का एक अंश राज्य सरकार को देना चाहिये। आज माननीय मंत्री जी ने लगान की जो कल्पना रखी है, उसका तो कोई आधार ही नहीं है। अगर यह कहा जाय कि यह किसान के प्रोडक्शन के सरप्लस पर टैक्स है तो प्रश्न यह होता है कि जिस तरह से आप पूंजीपतियों की आमदनी पर टैक्स लेते हैं उसी तरह से किसानों से भी लेना चाहते हैं। पूंजीपति तो मशीनों के जरिये अपनी आमदनी बढ़ाते हैं तब आप कहीं जाकर उनसे टैक्स लेते हैं। लेकिन सरकार किसान की आमदनी बढ़ाने के लिये कौन सा साधन देती है ? भूमि तो किसान को भगवान ने दे रखी है। किसी प्रकार से किसान का प्रोडक्शन बढ़े, यह चीज सरकार नहीं करती है। अगर कहा जाय कि करती है तो लगान लेती है और २२ करोड़ रुपया सरकार लगान लेती है और इतना ही रुपया वह सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च कर देती है। यह आपके बजट में है....

श्री उपाध्यक्ष---यों तो आपका समय समाप्त हो गया है। आप ५ मिनट और ले लें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मुझे सात मिनट दे दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, केवल ५ मिनट।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---तो मैं अपनी बात कहकर खत्म किये देता हूं। श्रीमन्, लगान कैसे लिया जाय ? इसके लिये क्या फैक्टर रखा जाय ? मैं एक कोटेशन कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी का पढ़ दूं। इसमें डाक्टर राधा कमल के सिद्धांत को कोट किया गया था उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं कि---

"As a matter of fact, the proper way to look at the question is not as to what reduction should be given but as to what should be taken from the tenant under the totality of the circumstances now prevailing. Rent should be properly conceived as a portion of the surplus remaining with the tenant after he has defrayed the cost of production and of his maintenance. This principle appears to be generally accepted not only by economists but also by some officers of the Government. Dr. Radha Kamal Mujkerjee, Professor of Economics in Lucknow University in his 'Land Problem in India', says, 'Assessment in India must be guided by scientific economic principles of agricultural costing. This will necessitate that in calculating the annual value as the basis of assessment the value of the gross produce should be estimated less then the true and full cost of production, which would include an adequate allowance for all labour expended by the cultivator and his family on the holding, the return for enterprise, the depreciation of agricultural capital and payment of interest, and insurance against the inevitable cycle of droughts in the Indian climate. It is thus that Settlement Officer may have to fix an assessment for a holding lower than what the rent, sale and price statistic or even crop experiments may justify .....'

इसका अर्थ श्रीमन्, यह हुआ कि जो आपका लगान है, जिसके आधार पर आप लगान वसूल करते हैं उसके अन्दर इन फैक्टर्स का कोई विचार नहीं किया गया। आपका लगान अनसाइंटिफिक है। इसलिए आवश्यक है कि इन सारे फैक्टर्स के ऊपर विचार करने की

दृष्टि से आज आप लगान घटायें क्योंकि आज जो क्राप होती है उसमें जरा सी बाढ़ आयी या जरा सा प्राकृतिक धक्का लगा तो किसान अपने को सम्भाल नहीं पाता, उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो जाता है। यह आपकी गलत नीति के कारण ऐसा होता है क्योंकि आपने लगान लगाने में जिन फैक्टर्स के ऊपर विचार करने की आवश्यकता थी, उन पर विचार नहीं किया। इसलिए मेरा कहना है कि किसान को आज यह सुविधायें देने की दृष्टि से उसका लगान आधा होना चाहिए।

लगान की वसूली में श्रीमन्, प्रत्यक्ष व्यवहार में बड़ी कटुता दिखाई देती है। कई बार यहां कहा गया कि कानून आप कुछ बनाते हैं और व्यवहार कुछ होता है। लगान की वसूली में लोग मुर्गे बनाये जाते हैं और इसका एक ही कारण है श्रीमन्, कि आप तहसीलदार के कैरेक्टर रोल के अन्दर, नायब तहसीलदार के कैरेक्टर रोल के अन्दर वसूली के परसेंटेज के आधार पर एंट्री करते हैं। अमीनों की तनख्वाह भी वसूली के परसेंटेज के आधार पर मिलती है.....

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)––आपकी इजाजत से एक बात पूछना चाहता हूं, राजा साहब जौनपुर से, कि आप इतने दिनों के भीतर क्या एक भी केस मुर्गा बनाने का मेरे नोटिस में इससे पहले लाये?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––चौधरी साहब ने जो यह प्रश्न उठाया उसके लिए जौनपुर जिले का जो एडमिनिस्ट्रेटर-कलेक्टर है उसको हम बधाई दे सकते हैं, चौधरी साहब को नहीं। एक जिले के उदाहरण के ऊपर चौधरी साहब अगर बधाई चाहते हों तो बात दूसरी है। तो मैं यह कह रहा था कि यह जो आप उसको इंसेंटिव देते हैं उसका परिणाम यह होता है कि वह सख्ती करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह जो आपने कैरेक्टर रोल में इन्दराज वसूली के परसेंटेज के आधार पर करने का रखा है, उसे आप निकाल दें और अमीनों की तनख्वाह रखी है कि इतने परसेंट वसूली होगी तो मिलेगी और अगर इतनी नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, इसको भी आप निकाल दें।

श्रीमन्, एक बात और कहूंगा कि यह जो प्रायः इंदराज का झगड़ा यहां उठता है तो यह सत्य है कि इंदराज आज बहुत से गलत हैं और इंदराज करने वाला पटवारी है। मैं यह नहीं कहता कि सब बेईमान हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में गड़बड़ी है और उसको दूर करने के लिये आवश्यक है कि करेक्शन आफ पेपर्स कराया जाय। आज कानून के लूप होल ले कर लोग किस प्रकार तंग करते हैं इसकी बहुत सी मिसालें हैं। जौनपुर में शिकमियों से इस्तेफा दिलवाने के लिये कोई रास्ता नहीं रह जाता तो कलकत्ता, आसनसोल और बम्बई से मुकदमे चलवाये जाते हैं कि जिससे दौड़ें और परेशान हों और वह जमीन छोड़ें.....

श्री चरण सिंह––इलाज नहीं बतलाया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––इलाज आपको ढूंढ़ना है क्योंकि आप मंत्री हो कर बैठे हैं। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस बार ध्यान दें कि जो लूप होल्स आफ ला हैं इनको किस प्रकार रोका जाय।

अब जहां तक चकबन्दी का प्रश्न है मेरा खयाल यह है कि यह अच्छी चीज है। उसके खिलाफ कोई बुराई नहीं कही जा सकती। परन्तु आवश्यकता यह है कि उसके व्यवहार में जो कमी है उसको रोका जाय। और मैं एक ही निवेदन करूंगा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां शाहगंज में, बहुत से स्थानों पर जो नये चकबन्दी के अफसर गये हैं, सराय खेजा, राजेपुर और मकबूलपुर में उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता से काम किया और उन्होंने गांव वालों के

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

सहयोग से किया। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि कानून के अन्दर मंत्री जी यह कर दें कि गांव वालों की सलाह ले ली जाय और ७५ फीसदी गांव वाले कह दें कि चक ठीक है तब चक बनाये जायं। मुझे आशा है मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगे।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री राजनारायण—फैजाबाद के माननीय सदस्य हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—फैजाबाद के कांट्रीब्यूशन के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। (हंसी)

श्री जयराम वर्मा—बनारस वाले ज्यादा समय लेते हैं, फैजाबाद वालों के मुकाबले में। यह शिकायत बनारस वालों को तो नहीं होनी चाहिये।

श्रीमान् जी, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे प्रदेश के भूमि संबंधी कानून में आशातीत और क्रान्तिकारी तब्दीलियां हुई हैं और उनसे गांवों का दृष्टिकोण बिलकुल एक नये सिरे से बदल गया है और किसानों की हालत में आर्थिक कठिनाई के होते हुए भी एक ऐसी तब्दीली हुई है जो कि अच्छी तरह से देखी जा सकती है। किसान जब अपने खेत का मालिक हो गया तो इस बात की आवश्यकता थी और है कि एक ऐसी योजना बनायी जाय कि काश्तकार अपने परिश्रम का और अपने खेत का, जिस पर उसको अधिकार मिला है, पूरा-पूरा लाभ उठा सके। इसलिये जरूरी था कि उसके खेतों की चकबन्दी की जाय और उसके खेत ऐसे इकट्ठा कर दिये जायं कि वह अपने खेत पर अच्छी तरह से मेहनत करके अपना और अपने देश का कल्याण कर सके। बड़े दुख की बात है कि कुछ माननीय सदस्य यह मुनासिब समझते हैं कि ऐसी उपयोगी योजना की मुखालिफत करें। और यह देख कर और ताज्जुब होता है कि जब यह विधेयक इस सदन के सामने आया था तो हर तरफ से इसका हार्दिक स्वागत किया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वही हमारे साथी, जिन्होंने इसका स्वागत किया था, आज इसका विरोध करने को तैयार हैं। मैं तो समझता हूं जो विरोध होता है वह जानकारी की कमी के कारण होता है। खेती के मामले में जैसी रुचि होनी चाहिये वैसी रुचि न होने के कारण होता है या किताबों में कोई चीज पढ़ लेने के कारण होता है। अगर आज भी मौके पर जा करके देखेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस योजना से किसानों का लाभ हो रहा है या नहीं तो इससे इन्कार नहीं कर सकते कि किसानों का लाभ हो रहा है। आखिर जो विरोध करते हैं क्या वह यह समझते हैं कि किसानों के खेत जब करीब-करीब हो जायंगे, जब उनके झगड़े बन्द हो जायंगे, जब वे शान्ति से खेती कर सकेंगे तो उनको बजाय लाभ के हानि होगी, इस तरह की बात की जाती है। सिद्धान्ततः इस कारण इसका विरोध किया जाता है कि सहकारी खेती हमारे प्रदेश में होने वाली है तो फिर चकबन्दी की क्या जरूरत है। वे इस बात को नहीं सोचते हैं कि सहकारी खेती क्या सचमुच इतनी जल्दी हो सकती है और इस तरह से उपयोगी हो सकती है। सहकारी खेती जबरदस्ती किसी पर लादी नहीं जा सकती और उसको शुरू करने के लिये यह जरूरी है कि जितने लोगों को शामिल होना है उनमें दिली सहयोग हो, सब एक परिवार की भावना से रहते हों। जब तक पारिवारिक भावना नहीं होगी, दिली सहयोग नहीं होगा तब तक सहकारी खेती शुरू करने से बजाय फायदे के हानि ही अधिक होगी।

उसके साथ-साथ एक बात और है। बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि बड़ी खेती में पैदावार फी बीघा घट जाती है और छोटी खेती में पैदावार ज्यादा होती है। इस बात को मानते हुए वे यह कहते हैं कि सहकारी खेती होनी चाहिये। सहकारी खेती से बड़ी खेती हो जायगी और उसमें उस तरह देखभाल नहीं की जा सकती जिस प्रकार

छोटी खेती में देखभाल हो सकती है। अगर सहकारी खेती जबरदस्ती भी हो सकती हो तो भी जो इस तरह से बड़ी खेती में पैदावार घट जाती है, उस खतरे से हम दूर नहीं जा सकते, वह खतरा हमारे सामने रहेगा। आज गांवों में जितने झगड़े हैं, जिस तरह के मतभेद हैं उसको देखते हुए सहकारी खेती जल्दी शुरू नहीं की जा सकती। तो जब सहकारी खेती शुरू नहीं की जा सकती तो व्यक्तिगत खेती अच्छी से अच्छी हो इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिये और व्यक्तिगत खेती तब अच्छी हो सकती है जबकि चकबन्दी की जाय। इसलिये चकबन्दी करना जरूरी था और चकबन्दी की जा रही है। जहां तक चकबन्दी नहीं हो रही है वहां के लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि चकबन्दी जल्दी शुरू की जाय : मैं अपने हलके की बात कहता हूं। मेरे हलके के बगल में चकबन्दी हो रही है। मेरे हलके के लोग बार-बार कहते हैं कि हमारे यहां चकबन्दी कब शुरू की जायगी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपके हलके के भी लोग यही चाहते हैं कि चकबन्दी जल्दी शुरू की जाय। आपसे चाहे मांग न करते हों लेकिन मुझसे तो मांग करते हैं कि चकबन्दी जल्दी शुरू की जाय। अगर यह खराब चीज होती तो दूसरी जगहों की बुराई सुन कर इस तरह से काश्तकार उसके लिये उत्सुक न होते और कोशिश न करते कि चकबन्दी हमारे यहां शुरू की जाय। इसलिये चकबन्दी का होना अत्यन्त जरूरी है और होना भी चाहिये। फिर अगर हम इस राय पर पहुंचते हैं कि हम सहकारी खेती शुरू कर सकते हैं और इससे लाभ होगा तो चकबन्दी हो जाने से उसके रास्ते में कोई अड़चन पड़ने वाली नहीं है। सहकारी खेती तब भी हो सकती है। इस आधार पर इसका विरोध करना ठीक नहीं है।

दूसरी बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अक्सर यह शिकायत होती है कि काश्तकारों से इस्तीफे ले लिये जाते हैं और वह इस्तीफे इसलिये लिये जाते हैं कि यह समझा जाता है कि एक आदमी जिसके नाम खेत हैं अगर वह इस्तीफा दे देगा तो जो इस्तीफा दिलाने वाला है वह मालिक बन जायगा। मैं तो समझता हूं कि अगर किसी काश्तकार के नाम खेत हैं और वह इस्तीफा देता है तो उस खेत के ऊपर गांव समाज का अधिकार होना चाहिये न कि उस आदमी का जो जबरदस्ती करके इस्तीफा दिलाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि यह इस्तीफा दिलाना बन्द हो जायगा। मुमकिन है इस तरह के आदेश हुए हों लेकिन इन पर अमल होता नहीं दिखाई देता। चकबन्दी में इस्तीफे की बात अक्सर सुनी जाती है। अगर चकबन्दी अधिकारियों को इस तरह की हिदायत हो जाय तो इस्तीफा अपने आप बन्द हो जायगा।

तीसरे मैं अपने जिले की तरफ कुछ इशारा करना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि मालगुजारी या दूसरे सरकारी मतालबात के वसूल करने के लिये जो अमीन रखे जाते हैं वे एक मतालबे के आधार पर रखे जाते हैं। सुना यह है कि पश्चिमी जिलों में ५०,००० मतालबे के ऊपर एक अमीन रखा जाता है और पूर्वी जिलों में ४०,००० के ऊपर एक अमीन होता है। जो भी रकम हो, लेकिन फैजाबाद जिला पश्चिमी जिलों में रखा गया है। यह दैवी आपत्तियां जो आ रही हैं उनको देखने से और अन्य तरह से जब देखा जाय तो भी फैजाबाद पूर्वी जिलों में आता है। जहां दैवी आपत्तियां आती हैं, जहां मतालबा वसूल करना आसान नहीं होता है, वहां जो अमीन रखे जायं वह पूर्वी जिलों में जो आधार अमीनों की संख्या मुकर्रर करने का है, उसी आधार पर फैजाबाद में होना चाहिये, न कि पश्चिमी जिलों के नियमों के आधार पर। उसका नतीजा यह हो रहा है कि इस तरह से एक अमीन के ऊपर मतालबा वसूल करने की रकम ज्यादा हो जाती है। वह यह समझता है कि हमको इतना मतालबा वसूल करना जरूरी है, इसलिए दिक्कत होती है और वह इस बात की कोशिश करता है कि जोर-जबरदस्ती से कोशिश की जाय कि किसी तरह से

[श्री जयसम वर्मा,]

मतालबा वसूल हो। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि फैजाबाद में पूर्वी जिलों के अनुसार अमीन रखे जायं और उनकी संख्या बढ़ाई जाय जिससे कि मतालबे की वसूली में जो दिक्कत हो रही है और बकाये की रकम जो बढ़ती जा रही है वह न बढ़े, सरकार का नुकसान भी न हो और उनको वसूली करने में भी कोई दिक्कत न हो।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता था कि कुछ और सरकार की नीति के सम्बन्ध में रोशनी कांग्रेस पक्ष की ओर से डाली जाय ताकि उस पर विशद व्याख्या हो सके, लेकिन मैं देखता हूं कि सरकारी पक्ष के वक्ता महोदय एक ही रट में जा रहे हैं, कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं।

तीन-चार बातें मैं आपके द्वारा माननीय माल मन्त्री के सम्मुख रखना चाहता हूं क्या सरकार ने आज तक "किसान" की परिभाषा की? जितने भाषण कांग्रेस पक्ष से हुए हैं सब इसी भ्रमवश हुए हैं कि कांग्रेस सरकार की ओर से कोई परिभाषा है नहीं कि किसान इतनी जमीन तक टिलर आफ दि स्वायल माना जायगा। आज तक सरकार ने, जो सत्य परिभाषा है उसके अनुसार, कोई कार्यवाही नहीं की। इसीलिए रईसे फैजाबाद और रईसे बनारस अपने को किसान कहते हैं। जिनके पास ६०–६०, ७०–७०, १००–१००, १५०–१५० और ५०० एकड़ जमीन है वह भी अपने को किसान कहते हैं। हमारे दोस्त रईसे बनारस पहले हमारे साथ काम करते थे, लेकिन कुछ लालच में आकर कांग्रेस पक्ष की तरफ चले गये।

श्री उपाध्यक्ष—आपको इस तरह से आक्षेप नहीं करना चाहिये। उन्होंने केवल यह कहा था कि "दाढ़ी में तिनका" पता नहीं उसमें आप आते हैं या नहीं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपको बतलाऊं कि कसवार राजा और कसवार सरकारी में यह सही है कि ज्यादा बेदखलियां हुई हैं और चूंकि वहां सोशलिस्ट पार्टी खड़ी हुई है इसलिए ज्यादा बेदखली हुई है और कांग्रेस वालों ने बेदखली की है। आज जितने सोशलिस्ट पार्टी के शिकमी हैं वह जबरदस्ती बेदखल कर दिये गये हैं। हमारी पार्टी के ज्यादा मेम्बरान हैं जिन पर कानपुर, कलकत्ता और बम्बई में मुकदमा चल रहा है। कौन चला रहा है? कांग्रेस पार्टी वाले चला रहे हैं। मैंने माननीय माल मंत्री जी से कई मर्तबा प्रार्थना की, मगर वह अपनी मजबूरी पेश करते हैं। वह कहते हैं कि हमको कोई रास्ता बताओ। रास्ता कौन बताये उनको? एक रास्ता हमने पहले भी बताया, आज भी मैं बताना चाहता हूं—रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैण्ड। जमीन के बटवारे के सिद्धान्त की जब-जब आलोचना की है माल मंत्री जी ने, या उसकी मुखालफत की है, उन्होंने यह कहा है कि हमने एक प्रकार से जमीन का बटवारा कर दिया, हमने अधिवासियों को सीरदारी का हक दे दिया। क्या यह जमीन का बटवारा नहीं है? आखिर में माननीय माल मंत्री जी से, पूछना चाहता हूं कि यदि उनका यह कहना सत्य है तो जो अधिवासी सीरदार बनाये गये क्या उनके पास से सीरदारी, अगर किसी भी तरीके से हटा दी जाय तो उनको सीरदार नहीं बनाया जायगा? मैं चाहूंगा कि आज सरकार एक स्पष्ट कानून बनाये कि जिनको भी सीरदारी का हक मिल चुका है वह सीरदार रहेंगे, अगर जमीन बेदखल भी हो गयी तो उनको जमीन वापस हो जायगी।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उस समय मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि सरकार की यह नीति है कि जिनके पास जमीन नहीं थी और वह जमीन जोत रहे थे तो उस जमीन पर वह काबिज रहे। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो टिलर आफ दि स्वायल था, जो जमीन को जोतने वाला था और उस जमीन को जोतता था आज क्या उसके पास वह जमीन रह गयी है, मेरा यह प्रश्न है। माननीय सदस्य श्यामलाल जी ने इस प्रश्न को यहां पर उठाया। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं तो उनकी कांग्रेस सरकार क्यों न यह तय करे और ऐसी नीति बनावे कि जो सीरदार हो गये थे और यदि वे उस जमीन से बेदखल हो गये हैं तो वे पुनः सीरदार माने जांय और वे भूमिधर हो सकते हैं। अगर यह कानून बना दिया जाय तो सारा झगड़ा खत्म हो जाय। आज किसी का जीवन स्थिर नहीं है। परिवर्तन दिन ब दिन कानून में होते चले जाते हैं। अगर एक कानून यह बन जाय कि सीरदार जो एक बार हो गया वह किसी भी मायने में बेदखल नहीं होगा तो जिनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया वह खत्म हो जायंगे। जो धोखे से इस्तीफा लिये हैं वह खत्म होंगे। यह सारा का सारा मामला खत्म हो जायगा। मगर सरकार इस नीति पर दृढ़ता के साथ नहीं चल रही है चाहे चौधरी चरण सिंह जी की दुर्बलता हो या कैबिनेट के किसी और मेम्बर की दुर्बलता हो मगर किसी न किसी की दुर्बलता जरूर है। इस समय श्री जयराम जी यहां पर नहीं हैं। मैं तो उनसे भी कहता हूं कि क्यों नहीं वे इस मामले को लेकर आगे बढ़ते।

दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पक्ष के लोग समझ लें और श्यामलाल जी भी समझ लें क्योंकि वे राजनीति में नये-नये आये हैं कि आज "किसान" की परिभाषा का बड़ा झगड़ा है कि टिलर आफ दि स्वायल किसको माना जाय ? जो जमीन को जोते बोये वही जमीन का मालिक है। इस बात को एक बार नहीं दस बार सोशलिस्ट पार्टी ने कहा है। इसके लिये कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी जेलखाने नहीं गया और न श्यामलाल जी इसके लिये जेलखाने गये। सोशलिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने इस आम निर्वाचन के बाद ५ हजार नौजवान जेलखाने में इसके लिये भेजे। वह किस बात के लिये जेल गये ? किस बात के लिये उन्होंने डंडे खाये ? किस बात के लिये उन्होंने जुरमाना दिया, इसलिये कि बेदखली बन्द हो और अलाभकर का जोत-कर खत्म हो। सोशलिस्ट पार्टी ने सरकार से इस बात के लिये लड़ाई की, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसके हाथ में हुकूमत की बागडोर है, वह प्रतिक्रियावादी पथ पर निर्बाधगति से अग्रसर होती चली जा रही है।

मैं किसी मेम्बर की बात नहीं कहता ? चौधरी चरण सिंह जी ईमानदारी से बात कहते हों, चौधरी चरण सिंह जी को अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी हो और चौधरी चरण सिंह दूध के धोये हों, इसका हमसे कुछ मतलब नहीं है। हमसे तो मतलब यह है कि चौधरी चरण सिंह जी के कानून किसान-हित विरोधी हैं। चौधरी चरण सिंह जी के कानून और कायदे किसानों के हित में नहीं हैं और उनके कायदे कानून और नियम गरीबों का गला घोंटने वाले हैं। उस कार्यक्रम को बदलें, नियम और उपनियम को बदलें। जब यह सवाल उठाया जाता है, पता नहीं क्यों माननीय माल मंत्री जी गुस्सा हो जाते हैं, रंज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ईमान पर हमला होता है। दुनिया में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है इसकी परख केवल मैदान में होती है। उस आदमी के कामों को देख कर ही यह परख की जा सकती है कि वह भला है या बुरा। अगर आप किसी को ईमानदार कह दें तब भी वह बेईमानी कर सकता है और इसी तरह से किसी बेईमान कहे हुए आदमी से भी ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है। इसलिये इस प्रश्न को यहां पर उठाना ठीक नहीं है।

श्री चरण सिंह---आपकी तरफ से ही उठाया जाता है, झूठ बोला जाता है।

श्री राजनारायण---यह हमारी तरफ से उठाया जाता है। "झूठ" शब्द का प्रयोग फिर उन्होंने कर दिया। मैं उस पर आना नहीं चाहता था। खैर।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वह यह कि क्या आज भी कांग्रेस सरकार इस बात को, इस सिद्धांत को मानने के लिये तैयार है कि जब फसल सूख गयी तो लगान सूख गया। दुनिया की सभी सभ्य सरकारों का यह सर्वमान्य सिद्धांत होना चाहिये कि जब फसल सूख जाय तो लगान सूख गया। क्या यह कांग्रेसी सरकार इसको अमली जामा पहनाने के लिये तैयार है? और अगर वह तैयार नहीं है तो हरगिज इस बात को नहीं कहना चाहिए कि कांग्रेस सरकार के कानून किसानों के हित में जा रहे हैं।

एक बात मैं अनार्थिक जोत के बारे में कहना चाहता हूं। क्या आज भी माननीय चौधरी साहब यह कहने की पोजीशन में हैं कि किसानों से जो लगान वसूल किया जा रहा है उसमें आमूल परिवर्तन वह करेंगे? मैंने आज के कई वर्ष पहले बतलाया था, फाइनेंस मिनिस्टर डाल्टन ने कहा है कि अगर टेनेन्सी रिलेशन्स वही रह जाते हैं तो इससे मतलब नहीं कि जमींदार मालिक रहे या सरकार, किसान उसी स्थिति में रहता है और उसके स्टेटमेंट को चौधरी साहब ने पढ़ा भी था। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि किसान जमींदारी उन्मूलन के बाद लगान के बोझ से हलका हुआ है या भारी? और अगर लगान के बोझ से भारी हुआ है तो यह किस प्रगतिशीलता का द्योतक है? अगर इसको ही श्याम लाल जी या उधर बैठनेवाले दूसरे सदस्यगण प्रगतिशीलता का द्योतक कहें तो यह उनको ही मुबारक हो।

इसके बाद देहात में जो बेकारी फैली हुई है उसका सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी ने उसके लिये कोई बढ़िया कानून सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया? माननीय श्यामलाल जी सुनें। पुराने जमींदारी उन्मूलन कानून में हरिजनों को सहूलियत दी गयी थी। जो हरिजन सदस्य हैं, वे सुनें, जो अपने को बैकवर्ड कम्यूनिटी का ठेकेदार समझते हैं, वे सुनें। तो उस पुराने कानून में हरिजनों को यह सहूलियत दी गयी थी कि पहले जमीन हरिजनों को मिलेगी, लेकिन आज उस कानून में संशोधन कर दिया गया है और यह कर दिया गया है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको जमीन मिलेगी। यह संशोधन क्यों हुआ?

श्री चरण सिंह---मैंने सुना नहीं कि पहले कौन सा कानून था और अब कौन सा कानून है।

श्री राजनारायण---जमींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत जो नियमावली बनी थी उसमें देखा जाय कि यह नियम था कि जो परती जमीन गांव समाज के पास जायगी, जो बंजर जमीन गांव समाज के पास जायगी उसके बटवारे के लिये पहले हरिजनों को तरजीह दी गयी थी, लेकिन बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया है और यह कर दिया गया है कि वह पैसे के लिहाज से दी जायगी। हरिजन और बैकवर्ड के पास तो पैसा नहीं है, अगर बोली बुलवा कर जमीन देने की बात रहती है तो जमीन उसको नहीं मिल सकेगी और यह नियम उसके हित में नहीं रहता है। जिसके पास पैसा है वह उसको लेगा। मैं माननीय चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस कांग्रेसी शासन काल में हजारों एकड़ जमीन उनको नहीं दी गयी है जो पहले से भू-पति थे? राजा साहब भदरी को तराई में जमीन दी गयी है या नहीं? अगर दी गयी तो किस सिद्धांत के मातहत? वह गरीबों की भलाई करने के लिये दी गयी या अमीरों की भलाई करने के लिये? आज मैं श्यामलाल जी से पूछना चाहता हूं, वह नये आदमी हैं ....

श्री उपाध्यक्ष---एक बार कहने से ही वह समझ गये, सुन रहे हैं।

श्री राजनारायण--मैं उनको समझाना चाहता हूं, उनसे मोहब्बत करता हूं। उनसे पूछना चाहता हूं। वह और उनके समकक्ष लोगों से कहना चाहता हूं जो कांग्रेस के कार्यक्रम को प्रगतिशीलता का द्योतक समझते हैं। कोई भी सरकार जो १० वर्ष तक शासन करने के बाद भी अपने दिमाग में स्थिर न हो पायी हो कि जमीन की मैक्सिमम सीमा क्या हो, वह प्रगतिशील नहीं कही जा सकती है। सोशलिस्ट पार्टी लगातार इस सरकार के सामने जमीन के बटवारे का कार्यक्रम रखती आयी है कि एक हलबैल से जितनी जमीन जोती जाती है उसके ३ गुने से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं होनी चाहिये।

यहांएक कानून बहुत लड़ झगड़ कर बनाया गया कि अफसरान मौके पर जाकर जमीन देखकर नौइयत ठीक करें, रेकार्ड को ठीक करें। आज बनारस और आजमगढ़ में तमाम गरीब किसान रो रहे हैं कि उनके सैकड़ों रुपये खर्चने के बाद भी वे जमीन से बेदखल हो रहे हैं। किसी मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ को अधिकार नहीं है कि रेकार्ड को दुरुस्त करे। यह सरकार जानबूझ कर यह कानूनी घपला किये हुए हैं ताकि जमीन गरीबों से निकल कर अमीरों के पास चली जाय। मैं चौधरी चरण सिंह जी के ईमान पर हमला नहीं करता हूं। मगर मैं चाहता हूं कि इस सरकार का कानून दोहरी जीभ से न बोले। दोहरी जीभ से बोलने वाला सांप होता है जिसके काटने से लहर भी नहीं आती। आज यह सरकार वही पालिसी बरत रही है। यह नहीं होना चाहिए।

माननीय गोंदासिंह जी साक्षी होंगे कि वसूलयाबी में धांधली होती है। हमारे पास रिपोर्ट आयी है, गेंदा सिंह जी के घर के पास जहां उनकी मां और घर के लोग बैठे थे, उनके सामने किसान को जबरदस्ती बांधा गया। चौधरी साहब इसकी जांच करावें। यह फाइल चौधरी साहेब की खिदमत में खाली एक जगह चकबन्दी की १०३ दरख्वास्तों की है। जयराम जी वर्मा उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं, उनसे बड़े-बड़े लोग मिलते हैं, वह उन्हें बैठाते होंगे और उनसे कहते होंगे कि चकबन्दी अच्छी है, वे उन्हें दावतें देते होंगे। बड़ी-बड़ी जोत वाले चाहते हैं कि छोटी जोत वालों के खेतों को अपने कब्जे में कर लें और उन्हें दूर फेंक दें।

चकबन्दी के लियें मैं चौधरी साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यह किसान के लिये अभिशाप हो रही है। अभी परसों मैं शाहगंज से आ रहा था, वहां ९ तारीख को हमारा प्रोग्राम था। वहां गरीब किसान चकबन्दी वाले आये थे और उनका यह रोना था कि चकबन्दी अफसरान ने हमारा गला काट दिया है। जितने छोटे किसान हैं वे उतनी दूर फेके जा रहे हैं, उन्हें उतनी ही निकम्मी जमीन मिल रही है और उन पर रिश्वतखोरी का बोझ पड़ रहा है। क्या आज से महीने भर पहले मुजफ्फर नगर के किसान यहां नहीं आये हुए थे और उन्होंने माल मंत्री जी के भवन के सामने अनशन नहीं किया था और क्या हमने वह आश्वासन देकर नहीं तुड़वाया था कि उनके यहां जांच होगी ?

एक सदस्य--उसके पीछे आपकी प्रेरणा थी।

श्री राजनारायण--हर अच्छे काम के पीछे हमारी प्रेरणा रही है और रहेगी। पहले जिन छोटे किसानों के चक ३ जगह थे वे अब ५ जगह, ६ और ७ जगह किये जा रहे हैं। चौधरी चरणसिंह जी कहें तो मैं उनके संतोष के लिये कहने को तैयार हूं कि चकबन्दी योजना स्वतः अच्छी हो सकती है, मगर तभी होगी जब कि जमीन का बटवारा सुनियोजित ढंग से होगा और जमीन उसके जोतने वाले के हाथ में जावेगी।

[श्री राजनारायण]

मैं सदन में किसी बात को छिपाकर रखनेवाला बनना नहीं चाहता हूं। आज जिस रूप में जातपांत सारे समाज को खाये जा रही है जब तक इसका बन्धन ढीला नहीं होगा तब तक कोआपरेटिव खेती अच्छी होते हुए भी सफल नहीं हो सकती। कोआपरेटिव योजना के लिये हमारा सारा प्रयत्न है मगर सरकार बताये कि जातपांत के बन्धन को ढीला करने के लिये उसने क्या किया है। यह योजना भी वहां असफल हो रही है जहां बड़े किसानों के साथ छोटे किसान जोड़ दिये गये हैं। यदि मंत्री जी सामूहिक सहकारिता के आधार पर खेती चाहते हैं तो जमीन का बटवारा अविलम्ब करें वरना हम एक अर्थ यह भी निकाल सकते हैं कि सरकार सहयोगी खेती भी नहीं चाहती है। सरकार का कोई भी कदम ऐसा नहीं है जो सही मानों में प्रगतिशीलता का द्योतक हो।

हम चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़े मगर अपने विभाग की जानकारी रखते हुए भी जितनी गलत पालिसी और प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाकर वह चल रहे हैं उससे उनकी सारी योजनायें नाकामयाब हो रही है। वह सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हों, उसके सिद्धांतों को मानें तब शायद कामयाब हो पावें।

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब यह अनुदान पेश किया गया था तो मैं समझता था कि इस पर कम बहस होगी और इस पर कम से कम टिप्पणियां की जावेंगी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इस पर भी उन अनुदानों की तरह जैसे पुलिस और दूसरे विभाग हैं, वैसी ही टिप्पणियां की गयीं। खासतौर से यह वह विभाग हैं जिसके द्वारा जनता की वास्तविक रूप से सेवा होती है और यही वह विभाग है जिससे इस प्रान्त के ८०-८१ प्रतिशत लोगों का संबंध है। मुझे इस बात का अफसोस हुआ जब हमारे एक साथी ने जमींदारी अबोलीशन जैसे कानून को, काला कानून बता दिया, जिसे दुनिया के लोगों ने, तमाम सूबे के रहने वालों ने और सभी पार्टियों ने उसको प्रगतिशील कदम बताया लेकिन मेरे दोस्त ने उसके लिये जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया, यह उस शब्द के साथ भी ज्यादती है और अपने साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया। मुझे इस बात को जानकर तवलीफ हुई कि जिस कानून से ८० प्रतिशत लोगों का भला हुआ है, उसको उन्होंने काला कानून कह कर संबोधित किया। इस बात को कहने से मालूम होता है कि या तो उनका संबंध किसानों से नहीं है या वे जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पुराने खंडहरों में रहते थे जिसको जमींदारी कहते थे या वह उस क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका किसानों से कोई संबंध नहीं है। क्या उनको वे जुल्म याद नहीं हैं जो जमींदारों द्वारा किसानों पर हुए हैं, क्या वे कहानियां उनकी आखों से ओझल हो गयी हैं, यह तो कहने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता कि वे जानबूझकर ऐसा कहते हैं लेकिन यह सत्य है कि आज हमारे प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती थी, अगर जमींदारी का अबोलीशन न हुआ होता। उनको याद होगा कि गांवों में जमींदारों के ३-३, ४-४ हजार बीघा के फार्म थे और उन लोगों के पास दो बैल भी न थे। गांवों में जब हाथी खरीदा जाता था तो हाथी का चन्दा गांव वालों से लिया जाता था। जब कभी कोई त्योहार होता था तो गांव वालों से नजर और न्योछावर ली जाती थी। उनको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर जमींदार की लड़की की शादी होती थी तो दामाद की भेंट होती थी और अगर लड़के की शादी होती थी तो बहू की भेंट होती थी और इस प्रकार से लाखों रुपया इकठ्ठा किया जाता था।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि यह काला कानून किसने बताया है?

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—और ये सभापति लोग क्या करते हैं?

श्री जगदीशनारायण---श्री मलिखान सिंह जी ने यह कहा था, जो शायद महोबे के रहने वाले हैं। रही सभापति की बात, सभापति का निर्वाचन तो किसानों द्वारा ही होता है। अगर वह कोई ऐसी बात करेगा तो फिर उसका चुनाव दुबारा किस प्रकार से होगा ?

जहां तक लगान का संबंध है, सरकार की अपनी दिक्कतें हैं। वैसे सही बात यह होती कि जमींदारों से जो मालगुजारी ली जाती थी वही किसानों से भी ली जाती। लेकिन एक दृष्टिकोण हमारे सामने यह भी है कि जमींदारी जब खत्म की गयी तो सरकार को कुछ रुपया उसके लिए देना पड़ा, उसके लिये कहीं न कहीं से प्रावीजन करना ही पड़ता। इसलिये सरकार के सामने यह दिक्कत आयी होगी। इसलिये यह हो सकता है कि किसानों को लगान के बारे में उतनी राहत न मिली हो जितनी कि मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके अतिरिक्त किसान को बहुत सी मुसीबतों से मुक्ति मिली है, उसके अधिकारों की सुरक्षा हुई है। सही माने में इससे गांवों के छोटे-छोटे किसानों की उन्नति ही हुई है। मैं समझता हूं कि जमींदारी अबोलिशन जैसे प्रगतिशील कदम को काला कानून कहना मेरी राय में कुछ मुनासिब नहीं है। यह कहा गया कि चकबन्दी होने से अच्छा तो यह होता कि कोआपरेटिव फार्मिग की बात की जाती। यह कहा गया कि जमीन का वितरण होता और कोआपरेटिव फार्मिग की स्कीम को सरकार लागू करती और फिर चक-बन्दी होती तो ज्यादा मुनासिब होता। मैं नहीं समझ पाया कि चकबन्दी से कोआपरेटिव फार्मिग का क्या संबंध है। ऐसे माननीय सदस्य मुझ से सीनियर मेम्बर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चकबन्दी से छोटे किसानों को कोई भी लाभ नहीं हुआ है। जहां तक कानून का संबंध है, लेजिस्लेशन का सीधा सम्बन्ध कानून बनाने से होता है और कानून बिलकुल स्पष्ट है कि जो छोटे-छोटे किसान है उनके चक गांव के करीब बनाये जायेंगे और जो बड़े-बड़े किसान हैं, उनके चक गांव से दूर बनायें जायेंगे। यह हो सकता है कि पोलिटिकल प्रेसर से वह इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। लेकिन इसमें दोष मेरा भी है और आपका भी है। उसका जिस तरह से प्रदर्शन होता है उस बात को कहना मैं ठीक नहीं समझता हूं। असेम्बली खतम होने के बाद सरकारी आफिसों में इस पक्ष के लोगों का और उस पक्ष के लोगों का भी एक बाजार सा लग जाता है। जो सरकारी ऐडमिनिस्ट्रेशन में किसी के इंटरफियर न करने की बात कही जाती है, होता यह है कि दोनों पक्ष के लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह से इंटरफियर करते रहते है। इस काम में इस पक्ष के लोगों से आपके पक्ष के लोग भी पीछे नहीं रहते हैं, इसमें एक्सेप्शन भले ही हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग आफिसों में जाकर ही अपना काम बनवाने की चेष्टा करते हैं। जहां तक चकबन्दी की बात है, जिस समय हमारे यहां चकबन्दी हो रही थी उस समय वहां चुनाव हो रहा था। मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां बड़े-बड़े फार्म्स हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---मेरा काम सब लोग न करना शुरू कर दें।

श्री जगदीशनारायण---मैं जिस इलाके से आया हूं, उस इलाके में उस समय चुनाव हो रहा था और चकबन्दी भी हो रही थी। यदि जनता का उसमें विश्वास नहीं होता कि चकबन्दी से हमें राहत मिलेगी तो वह कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं करती। मुझे इस बात का यकीन है कि जिन जिन कांस्टीटुएंसीज में चकबन्दी हो रही थी, उसमें मोस्टली कांग्रेस काम-याब हुई। तो चकबन्दी एक प्रगतिशील कदम है, उसके लिये जो यह कहा जाता है कि चकबन्दी से कोई लाभ नहीं है, मैं इस बात को मानने के लिये बिलकुल तैयार नहीं हूं। गांव में

[श्री जगदीशनारायण]

जो बड़े-बड़े लोग रहते हैं, उनके व्यक्तित्व का असर होता है और उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं-कहीं बड़े किसान लाभ उठाये हों, लेकिन हर जिले में जो छोटे-छोटे किसानों को दिक्कत थी, विशेषकर जो मुकदमेबाजी गांवों में बढ़ी हुई थी वह समाप्त हो रही है। मैं दो-तीन बातें कह कर एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय माल मंत्री ने और इस प्रदेश की सरकार ने बार-बार इस बात की घोषणा की है कि हमने यहां की कृषि के अन्दर क्रान्ति कर दी है और यहां के किसानों की जिन्दगी पहले से सुधरती जा रही है और जो भूमि संबंधी सुधार यहां हुए हैं वह देश भर में किसी प्रदेशीय सरकार ने किसी कोने में नहीं किये हैं। अब देखना यह है कि किसान जो हमारे सूबे में ८० फीसदी की तादात में बसता है और जो हमारे प्रदेश की रीढ़ है वस्तुतः उसकी जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये, उसकी माली हालत को अच्छा करने के लिये हमारी सरकार ने क्या किया है? यदि हमें प्रदेश के किसानों की जिन्दगी को बेहतर बनाना है तो हमें उनके बिखरे हुये खेतों को एक जगह करना होगा, दूसरे किसान अपनी भूमि के वास्तविक मालिक बन जांय, तीसरे ऐसे भूमि सुधार हों कि जिनके द्वारा किसान वैज्ञानिक यंत्रों आदि का ठीक से लाभ उठा सकें, चौथे उन पर लगान का बोझ कम से कम पड़े। हमारी वर्तमान सरकार के भूमि सुधार कानून में जो कदम उठाये गये हैं उनमें जहां तक किसानों को भूमि का मालिक बनाने का प्रश्न है माल मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि वह भूमि के मालिक बना दिये गये हैं लेकिन जो वास्तविकता है उसके अनुसार उनके कानून में जमीन और आसमान का अन्तर है। आज भी किसान बेदखल किये जा रहें हैं और जो सरकारी कानून व्यवस्था है वह किसानों के विरुद्ध है। जमींदारी टूटी, हम सब चाहते थे कि टूटे, बड़ा अच्छा हुआ लेकिन देखना यह है कि उसके बाद किसान की क्या हालत हुई? जमींदारी और जमींदारों के अधिकार सरकार और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में चले गये और आज बड़ी ही बेरहमी के साथ किसानों को बेदखल किया जाता है। ११५ सी० के मुकदमें झूठे आधारों पर लाखों की तादाद में किसानों के विरुद्ध चलाये जा रहे हैं और अर्थ दंड भी उनसे वसूल किया जा रहा है। ग्राम समाज के सेक्रेटरी और अधिकारियों का गठबंधन है, अदालतों में गरीब किसान जाते हैं, उन पर जोर पड़ता है और वह मजबूर हो कर इस्तीफा देते हैं और सरेन्डर करते हैं। उसके बाद भी अर्थ दंड वसूल किया जाता है, इन्दराज की गलती में सौ-सौ रुपया जुरमाना, कुर्की, वारन्ट हवालात सब कुछ होता है। मैं माननीय माल मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन के यहां आज किसान वाकई जमीन का मालिक हो गया है, मैं मौके पर इंक्वायरी करा सकता हूं और उसके बाद मंत्री जी समझ सकते हैं कि वाकया क्या है? आज हालत यह है कि आज भी लाखों किसान बेदखल हो रहे हैं और धारा ३१ के फैसलों को नहीं माना जाता है, ११५ सी० के द्वारा किसानों को बेदखल किया जा रहा है और तबाह किया जा रहा है। उसके बिखरे हुए खेतों को एक जगह करने के लिये चकबन्दी योजना आई। सबने उसके सिद्धांत को स्वीकार किया लेकिन माननीय माल मंत्री जी से बार-बार कहा गया कि आज भी आप के यहां चकबन्दी के नाम पर लाखों किसान बेदखल हो रहे हैं, उनकी जमीन छीनी जा रही है और उससे केवल बड़े-बड़े किसानों का ही लाभ हो रहा है, वह उसका गुणगान भले ही करें लेकिन मंत्री जी ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से उनकी यह योजना चल रही है तो आने वाले २५ वर्षों में भी किसानों की बिखरी हुई भूमि इकट्ठा नहीं होगी और इससे भी अधिक समय लग जायगा। आज किसान लूट रहा है, हम चाहते हैं कि यह काम जल्दी हो और अच्छे ढंग से हो, गलत पद्धति छोड़ दी जाय।

दूसरी बात मैं सहकारी ढंग की खेती के विषय में कहना चाहता हूं। जब तक यहां पर सहकारी ढंग की खेती नहीं होगी तब

तक यहां के किसानों की जिन्दगी बेहतर नहीं होगी, उसके मातहत किसान नये नये वैज्ञानिक आविष्कार और नये-नये तरीकों से उत्तम खेती कर सकता है। केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन ने बार-बार कहा, हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी ने घोषणा की है कि जब तक हमारे यहां सहकारी खेती नहीं होगी तब तक हमारे देश के किसानों की, हमारे प्रदेश के किसानों की हालत नहीं सुधरेगी। केन्द्रीय सरकार ने जो लैंड रिफार्म पैनल नियुक्त किया था उसने भी यही सलाह दी है लेकिन उनकी इस बात को अब तक नहीं माना गया है। मुझे आश्चर्य होता है कि एक मंत्री तो इस कोआपरेटिव फार्मिग का विरोध करते हैं और सूचना विभाग ने जो कलैंडर दिया है, उसमें आप देखेंगे कि दो परियां छापी गयी हैं। वह बड़ी खुश हैं कि उनके यहां सहकारी खेती होने जा रही है। उनका मुल्क समृद्धशाली होगा। प्रदेश के सरकारी विभाग का यह कंट्राडिक्शन इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार की कोई निश्चित और स्पष्ट नीति नहीं है। एक मंत्री कुछ कहते हैं और दूसरे मंत्री कुछ कहते हैं।

श्रीमन्, कांग्रेसी सरकार अपने किये हुए वायदों को आज तोड़ रही है और बड़े धड़ल्ले के साथ तोड़ रही है। मैं इस बात को जब कहता हूं तो मेरे पास इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। १९३७ में फैजपुर में कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था उसमें प्रस्ताव पास किया गया था कि मालगुजारी और जमीन के बारे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भूमि सुधार में इस तरह का परिवर्तन होना चाहिये कि छोटे किसानों पर लगान का भार कम पड़े और अलाभकारी जोतों पर टैक्स न लगाया जाय। जिस तरह से इनकम टैक्स बड़े आदमियों पर ज्यादा लगाया जाता है उसी तरह से बड़ी जोत वालों पर भूमि का टैक्स लगना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव तो उनकी संस्था द्वारा ही पास किया गया था। फिर वह अपने वायदों को क्यों तोड़ रहे हैं? इसके ऊपर इस बात की घोषणा की जाती है कि हमने भूमि सुधार में एक क्रान्ति पैदा कर दी है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश के अन्दर जो छोटे किसानों का आंकड़ा है, उसको मैं आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में दो एकड़ से कम भूमि वाले २६८ लाख किसान हैं जो कुल किसानों का ५५·५ प्रतिशत होता है। उनके पास केवल ५८ लाख एकड़ भूमि है। यह पूरी भूमि का १४·१ प्रतिशत पड़ती है और लगान के रूप में उनसे सरकार ३·८ करोड़ रुपया वसूल करती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह ५५·५ प्रतिशत किसान, जिनके पास दो एकड़ से भी कम भूमि है, उनसे आप लगान लेते हैं तो यह कौन सी नैतिकता है? कहां का न्याय है?

आज हमारे प्रदेश के पूर्वी अंचल में, जो दस साल से लगातार तबाह और बर्बाद हो रहा है, वहां के किसानों को आज मालगुजारी की वसूली में मुर्गा बनाया जा रहा है, उनकी कुर्की हो रही है, उनके वारन्ट निकाले जा रहे हैं। मैं बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ आदि जगहों में गया हूं। वहां मैंने देखा है कि किसानों में एक प्रकार का टेरर छाया हुआ है और हमारे माननीय माल मंत्री जी घोषणा करते हैं और आंकड़े दिखाते हैं कि हमने इतने लाख की छूट कर दी है, इतने करोड़ की छूट कर दी है,। मैं कहना चाहता हूं कि इतने लाख और इतने करोड़ की छूट करने से कुछ नहीं होगा। जो किसान तबाह और बरबाद हो रहे हैं उनको छूट देनी पड़ेगी। यह उनका हक है और वह सरकार से लेंगे और आपको देना होगा, चाहे सरकार को करोड़ों रुपया छोड़ना पड़ें।

उपाध्यक्ष महोदय, कल इसी समय माननीय मंत्री महोदय ने, जब विवाद चल रहा था, केरल की एक कटिंग मेरे पास भेज दी थी। उसमें ५ हरिजनों को भूमि से बेदखल किया गया है। उसका जिक्र कर उन्होंने मुझ से पूछा कि आप कैसे कहते हैं कि भूमिहीनों को वह

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कब्जा दिलायंगे ? मैं आपके द्वारा उनको बताना चाहता हूं कि केरल सरकार की बुराइयों की तरफ ही आपकी दृष्टि क्यों जाती है ? उसने इन ११ महीनों में वह शानदार काम किया है जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान भर में नहीं है और आंपकी सरकारों को शर्म के मारे सिर झुकाने पड़ते हैं। वहां पर सात लाख एकड़ भूमि, भूमिहीन किसानों और हरिजनों में वहां की सरकार बांटने जा रही है। उसने लगान कम किया है, हदबंदी की है और बेदखली रोक दी है। आपने क्या किया है ? केरल में जिन हरिजनों को हटाया गया है, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं कि उनको क्यों हटाया गया है ? लेकिन वहां के माल मंत्री ने घोषणा की है कि वह उनको भूमि देंगे। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है ? हमारे प्रदेश का युगों से कुचला हुआ और तबाह तबका हरिजनों का है। मैं बताना चाहता हूं कि वह बहुत ही गरीब हैं, उनके ऊपर मुकद्दमे दाखिल किये जाते हैं। वह लड़ नहीं सकते हैं, अदालत में जा नहीं सकते हैं और चार तारीखों के बाद अपनी आर्थिक परिस्थिति कमजोर होने के कारण छोड़ कर बैठ जाते हैं। अब उसकी निरक्षरता उसका साथ नहीं दे रही है। उससे झूठे इस्तीफे लिये जा रहे हैं। इसके हजारों प्रमाण अदालतों में हैं। लेकिन क्या माल मंत्री जी ने कोई सेफगार्ड उन सताये हुए, कुचले हुए, युगों से दलित वर्ग को दिया है। किस चीज के ऊपर वह इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमने भूमि सुधार में क्रान्तिकारी सुधार किये हैं ? श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हदबन्दी नहीं होगी और कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन रहेगी, हमारे प्रदेश के बहुमत के पास अलाभकर जोत रहेगी, तब तक प्रदेश की हालत नहीं सुधर सकती। दूसरी बात, इन्दराज का दुरुस्त करना सरकार का पहला कर्त्तव्य है। सरकार दावा करती है कि इन्दराज दुरुस्त हो रहे हैं, प्रधानों को हमने काफी अधिकार दे रखा है, लेखपालों के अधिकार कम कर दिए हैं, लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैंने माल मंत्री जी से भी एक बार कहा था कि आप हदबन्दी कर डालिये और एक परमानेंट इंट्री हो जाय। जब तक कोई अदालत के अन्दर जाकर के सरेन्डर नहीं करता है अपने हकूक को तब तक उसका कब्जा उसके ऊपर माना जाना चाहिये। वर्ना लेखपालों का, पटवारियों का, और आपकी इस माल विभाग की व्यवस्था का शिकार आज भी किसान लाखों की तादाद में हो रहा है। पटवारियों को हटा-करके लेखपाल कर देने से कोई क्रान्ति नहीं हुई है और न कोई क्रान्ति हो जायगी।

श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय माल मंत्री जी द्वारा माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके पहले कि मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करूं मैं आपको बधाई दूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत मुद्दत की इन्तजारी के बाद मुझे मौका मिला और फिर भी ऐसे समय जब कि इस विवाद में इसके कुछ मिनट पहले हमारे सोशलिस्ट नेता माननीय राजनारायण सिंह जी और कम्युनिस्ट नेता बाबू चन्द्रजीत यादव बोल चुके हैं। इस वाद में बहुत सारी बातें कही गयीं। दो रोज से बहस चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी कही गयीं, जिनको मैं कागजात के चक्कर में नजाकर जो हमारा निजी अनुभव है उसके आधार पर मैं गलत मानता हूं। अभी यादव जी ने यह कहा है कि जब तक सहकारी खेती नहीं होती इस सूबे में तब तक किसानों का वास्तविक लाभ नहीं हो सकता। मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां सघन क्षेत्र चल रहा है खादी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा और वहां एक मौजा है रइयां जहां खादी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सहकारी खेती की कोशिश की गयी। वह कोशिश करीब करीब दो साल तक चली और बिलकुल नाकामयाब साबित हुई। इसका कारण यह रहा कि लोगों ने इस्तीफे तो दे दिए और खेती करना सामूहिक रूप से शुरू किया लेकिन दस आदमी काम पर जाते थे तो दस घर बैठ जाते थे। कुछ ऊंची और नीची जो कौमें अभाग्यवश हमारे मुल्क में हैं, कुछ लोग सोचते थे कि अमुक आदमी काम करे, हम क्यों

खटने जायं । नतीजा यह हुआ कि न तो सबकी बुद्धि बराबर है, न शक्ति बराबर है, न लोग बराबर समय दे सकते हैं, न बराबर लेबर कर सकते हैं । नतीजा यह हुआ कि टांय-टांय फिस हो गयी और बिलकुल बेकार वह साबित हुआ । यह हमारे मौजे से दस बीघे की दूरी का ही एक नक्शा मैं पेश कर रहा हूं । मेरा जहां तक अन्दाजा है सहकारी खेती हो सकती है प्रदेश के लिये बहुत लाभदायक लेकिन इसके लिये काफी समय की आवश्यकता होगी । कभी जब कि हम लोग बहुत ऊंचे खयाल के होगें और जैसे अपने बाल बच्चों का खयाल करते हैं, उसी तरह की विचारधारा जब हमारे दिल में आयेगी तब शायद यह सफल हो वर्ना इस समय वर्तमान स्थिति में यह बिलकुल असम्भव सा प्रतीत होता है ।

दूसरे, हमारे यादव जी ने भूमि सुधार सम्बन्धी बातें कहीं हैं । मैं यह देख रहा हूं कि इस माननीय सदन में भूमि सुधार में किसानों की बहुत सारी बातें कही जाती हैं, हरिजनों का नाम लिया जाता है, बैकवर्ड का नाम लिया जाता है, लेकिन अगर लोग बुरा न मानें तो मैं बताऊं आपको कि जमींदारी विनाश से वास्तविक लाभ उन लोगों का हुआ है जिनके पास जमीनें नहीं थीं ।

(व्यवधान)

आप सुन लें मजाक न करें । एक नया सदस्य हूं अगर इस तरह से हुल्लड़बाजी करेंगे तो मैं बोल भी न सकूंगा । जमींदारी विनाश से जमींदारी का खात्मा हुआ । नम्बर दो जो लोग जेलों में रहे या जो बाहर सर्विसेज में रहे उनके खेत जिन लोगों ने जोते थे उनके नाम अधिवासी हो गये । नम्बर ३ जो अधिवासी हुए वे ज्यादातर वही लोग थे जिनके पास कि जमीनें नहीं थी । आप चाहे मानें या न मानें । हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय राजनारायण जी की बातों का जवाब देना तो खुद जवाब लेना ही होगा । लेकिन फिर भी उन्होंने कसवार राजा और कसवार सरकारी की बड़ी तारीफ की और कहा कि वहां इस्तीफे बहुत कम हुए । कसवार सरकारी में बेदखलियों काफी बन्द रहीं । उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी ही एक ऐसी रही जिसकी वजह से यह करिश्मा कसवार सरकारी और कसवार राजा में हुए । मैं अर्ज करूं अगर वह बुरा न मानें तो, जो सोशिलिस्ट पार्टी के नेता थे उस सर्किल के उनके घरों में ज्यादा बेदखलियां हुई और उन किसानों के ज्यादा खेत छीने गये बनिस्बत और लोगों के । अगर सबूत की जरूरत हो तो बनारस की अदालतें इस बात का सबूत हैं कि माननीय सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के घरों में ज्यादा बेदखलियां हुईं किसानों के खेत ज्यादा छीने गये बनिस्बत और लोगों के । जमींदारी विनाश से लाभ तो हुआ यह तो सभी लोग जानते हैं ..

श्री राजनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर, सर । स्पष्ट सफाई भी दे दी गयी हमारी ओर से फिर भी माननीय सदस्य इस बात को दोहरा रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की तरफ से ज्यादा बेदखलियां हुईं । यह जानबूझ कर असत्य कह रहे हैं । मैं इनके ऊपर प्रिवलेज का सवाल उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--यह पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं या....

श्री राजनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर है । जब माननीय श्यामलाल जी ने इस प्रश्न को उठाया था तभी इसकी सफाई भी दी गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--क्या सफाई दी गयी ?

श्री राजनारायण—यह सफाई दी गयी कि कसवार सरकारी और कसवार राजा में चूंकि सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जीता इसलिये सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की जमीनें बेदखल करायी जा रही हैं और की गयीं और उनके ऊपर बराबर मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझ गया ।

श्री राजनारायण—इसके बाद भी वह कहां चले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी, आप जानते हैं सदन में दोनों तरफ से बातें कही जाती हैं। एक बात आपने कह दी तो वह तो सत्य हो गयी। अगर अपनी जानकारी में लोकनाथ जी कुछ कहें तो असत्य और जानबूझ कर छिपाते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

श्री राजनारायण—हमने पहले ही कह दिया है कि ऐसा है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—जो जानकारी वह करा रहे हैं उसमें कुछ इजाफा आपको कराना हो तो करा दीजिये।

श्री लोकनाथ सिंह—अगर मैं समझता कि मुझे बोलने में इतनी परेशानी होगी तो...

श्री राजनारायण—आप असत्य बोल रहे हैं इसलिये परेशानी हो रही है। वैसे फैक्ट्स पर आप खूब बोलिये।

श्री लोकनाथ सिंह—मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया है। खैर, मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं? मैं माननीय माल मंत्री महोदय की सेवा में भी दो चार सुझाव रखना चाहता हूं। मैं सोचता हूं परेशानी बढ़ेगी, इसलिये समय से पहले भाषण बन्द कर दूंगा।

श्री राजनारायण—फैक्ट्स पर आइये।

श्री लोकनाथ सिंह—श्रीमन्, अगर बार-बार फैक्ट्स के लिये कहा जायगा तो मैं किसी का नाम लिये बगैर चैलेंज कर सकता हूं। मैं कोरा वर्कर हूं, वालिंटियर जिसको...

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं देता कि आप फिर उसी विषय पर बोलें। नयी बात न हो तो आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

बार-बार इस प्रकार रोकने का गलत तरीका है माननीय राजनारायण जी।

श्री लोकनाथ सिंह—१३६४ फसली और उसके पहले की बहुत सी मालगुजारी बकाया चली आ रही है और उसकी वसूली में काफी परेशानी काश्तकार को होती है। मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूं कि उसकी वसूली में खर्चा अधिक हो रहा है और कहीं वसूली और खर्चा बराबर हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिये मेरा माननीय माल मंत्री महोदय से निवेदन है कि ५६-५७ तक जो मालगुजारी वसूल नहीं हो पायी है इसे माफ कर दिया जाय तो बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं जानता हूं कि यह जनप्रिय सरकार किसानों के हित के लिये है और अगर किसानों को जिन्दा रखना है तो यह किया जाना बहुत जरूरी है।

ऐसे ही तकावी की हालत है। तकावी भी सन् १९५२ से मुल्तवी चली आ रही है और इसकी वसूली में भी काफी खर्चा हो रहा है। अगर इसकी वसूली जो १९५६-५७ तक नहीं हो पायी है माफ कर दी जाय तो बड़ी कृपा होगी।

एक सुझाव और है और वह यह कि तहसीलदार के पास बहुत काम है और काफी उसकी जिम्मेदारी है तो उसको तो घोड़ा दिया जाता है सम्पर्क स्थापित करने के लिये जिससे वह मालगुजारी वसूल कर सके और किसानों के झगड़े सुलझा सके, लेकिन बी० डी० ओ० को जीप दी जाती है जिसका क्षेत्रफल केवल ५ मील है। मेरा अपना सुझाव है कि अगर वह जीप तहसीलदार को दी जाय तो इससे किसानों का ज्यादा हित होगा बनिस्बत उसके।

दो-एक बातें और अर्ज करनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अब समय नहीं है दो और बातों के लिये। आप का समय समाप्त हो गया।

श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का मेरा अभिप्राय केवल यह है कि वृहत्-जोत-कर नियमावली जो २३-११-५७ को सदन की मेज पर रखी गयी थी उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर सकूं। साधारणतया इस माल विभाग के सम्बन्ध में काफी वादविवाद और विचार हो चुका है इसलिये मैं दोहराना अनावश्यक समझता हूं। एक नियमावली, १ नवम्बर, १९५७ को पारित हुई थी, जो ड्राफ्ट (draft) के रूप में थी, उसमें, श्रीमन्, यह जो तुख्मी पेड़ हैं उनका गुणक एक रखा गया था। लेकिन किसी कारण जो ३०-११-५७ को रूल्स पुनः छपे हैं उनमें साढ़े बारह गुणक हो गया है। इन बीजू पेड़ों को इमारती लकड़ी की हैसियत में रखा गया है। मैं समझता हूं कि सागौन, शीशम के पेड़ों के साथ आम के पेड़ को यानी बीजू पेड़ों को मिलाना बहुत अनुचित है और कभी भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि बीजू आम को केवल फल के रूप में रखा जाय। एक तरफ, श्रीमन्, कहा जाता है कि वन-महोत्सव मना रहे हैं तो उसके माने होते हैं कि पेड़ों को लगाना और बढ़ाना चाहिये, लेकिन यहां पर वृहत् जोत-कर नियमावली के अनुसार एक चौथाई से ऊपर क्षेत्र पर साढ़े बारह का गुणक लगाया जायगा तो इसका अर्थ होता है कि पेड़ कम कर दिये जायं। सरकार को अपनी नीति निश्चित कर लेनी चाहिये और यह साफ कहना चाहिये कि जितने पेड़ चौथाई क्षेत्र के अलावा हैं वे काट लिये जायं और अगर ऐसा नहीं है तो साढ़े बारह का गुणक लगाने का कोई अर्थ नहीं है। कलमी आम जिससे आमदनी होती है उसका तो ५ गुणक रखा गया है और बीजू आम जिसकी कि मामूली कीमत होती है उसका गुणक साढ़े बारह रख दिया गया है। अगर उसको इमारती लकड़ी का पेड़ माना जायगा तो जमींदारी एबालीशन रूल २०२ में जो जिक्र है उसके अनुसार शीशम और सागवान से कैसे उसको कम्पेयर करेंगे? अतएव मैं निवेदन करूंगा कि अव्वलन तो इमारती लकड़ी में बीजू आम की समानता न रखी जाय और अगर मन्त्री जी नहीं मानते हैं तो कलमी आम जिसका ५ गुणक रखा गया है उसी के अनुसार उसका गुणक कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि जो कुर्क अमीन साहबान जाते हैं लगान वसूल करने तो एक तरफ तो अल्प-बचत योजना पर बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मौजा सरैयां में कुर्क अमीन तशरीफ ले गये तो वहां के लोग तैयार थे कि रुपया, दो रुपया, जैसी हैसियत थी वैसा अल्प-बचत में दें, लेकिन शायद तहसीलदार या एस० डी० ओ० का आदेश था कि ५ रुपये से कम किसी से मत लेना। तो उन्होंने कहा कि ५ रुपये से कम नहीं लेंगे, वरना नोटिस दिये देते हैं, तुम को तहसील में, सीतापुर में आना पड़ेगा और वहां जाने में ५-६ रुपये खर्च हो जायंगे, इस धौंस में वह वसूल करना चाहते थे। इत्तफाक से वह लोग मेरे पास आये। मैंने कहा कि जबरन तुम्हारे ऊपर कोअर्सिव मेजर्स इस्तेमाल

[श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह]

नहीं हो सकते हैं, आप देना चाहें तो रुपया दो रुपया दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो देने को तैयार थे, लेकिन अमीन कहते हैं कि ५ रुपये से कम नहीं लेंगे। तो सवाल यह है कि अल्प-बचत योजना सक्सेसफुल (Successful) करना है तो खुशी से रुपया, दो रुपया, ८ आने, ४ आने भी जो दे तो उसको लें लेना चाहिये, लेकिन ५-६ रुपये खर्च कराकर किसी को दौड़ाने की धौंस देना और इस प्रकार ५-१० रुपया वसूल करना, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसका कुछ आदेश दे दिया जाय कि अल्प-बचत योजना के सम्बन्ध में खुशी खुशी से जो कुछ जो देना चाहें वही खुशी से ले लिया जाया करे। वहां काश्तकारों ने कहा कि अगर हमसे जबरन लिया जायगा तो हम एक पैसा नहीं देंगे, वैसे रुपया दो रुपया हम दे सकते हैं। तो जनतंत्र राज्य में कोअर्शिव मेथड इस्तेमाल न करके सरकार उनकी भावना पर छोड़ दें, जितनी भावना है वह खुद दे देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी दया से आज बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है।

श्री उपाध्यक्ष---सदस्यों की संख्या ४३० है, इसका भी ध्यान रखें।

श्री चरण सिंह---४२० से १० ज्यादा हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद---जी हां, १० ज्यादा हैं। मैं इस माल विभाग के बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो मेरे हृदय में बहुत बड़ी उम्मीदें, बहुत बड़ी आशा और एक बहुत बड़ी रोशनी दिखायी पड़ती है। मैं यह समझता हूं कि इस विभाग के कार्यों का असर उत्तर प्रदेश की करीब करीब ८० या ७५ फी सदी रहने वाली जनता के जीवन पर पड़ता है निस्सन्देह जब मैं इस विभाग द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करने चलता हूं तो मैं जानता हूं कि गुजिश्ता समय में काफी तरक्की उन लोगों के जीवन में करने की कोशिश की गयी है। उसके लिये इस विभाग के मन्त्री और इस विभाग के जो कार्य करने वाले लोग हैं वे बधाई के पात्र हैं। मैं इसलिये बधाई देता हूं क्योंकि मैं इस विभाग को एक काश्तकार होने की हैसियत से आंकता हूं। मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय के जरिये जो सब से पहला कदम काश्तकार को राहत देने का, उसको जमींदारों के चंगुल से छुड़ाने का, वह जो अपनी जगह पर एक आर्थिक कठिनाई में फंसा हुआ था उससे छुड़ाने का उठाया गया वह कम प्रशंसनीय नहीं है और यदि मैं यह कहूं कि वह एक अद्वितीय समाजवादी कदम था तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। उस कदम को जब मैं आज इस माननीय सदन के अन्दर कुछ सदस्यों से उसकी निन्दा सुनता हूं और उसके लिये जब यह कहा जाता है कि यह काला कानून है तो मुझे बड़ी ठेस लगती है। जब इस सदन के प्रत्येक कोने से चाहे वे रिएक्शनरी लोग हों या कोई हों यह क्लेम करते हैं कि वे प्रगतिशील हैं तो फिर ऐसे प्रगतिशील कदम की वे किस प्रकार निन्दा करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

अभी जब माननीय राजनारायण जी बोल रहे थे तो उनकी बात सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नेता हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। दिल में तो उनके यह बात जरूर है कि समाजवाद की ओर कदम बढ़ाया जाय लेकिन पता नहीं किस उलझन में वे फंस जाते हैं कि वे सही रास्ता भूल जाते हैं। चकबन्दी की उन्होंने काफी निन्दा की और कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने चकबन्दी को अनविलिंग समझा इसलिये उसका विरोध किया। उन्होंने यह भी फरमाया कि उन्नाव के किसान लखनऊ चल कर आये और किसी और जगह के किसानों का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं भी यहां दारुलशफा में रहता हूं। उन किसानों को जिस तरह से यहां लाया गया वह, मैं समझता हूं एक पर्दे की बात है। हम लोग एक अच्छे कार्य को भी राजनीतिक दलदल में फंस कर खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर इस

भावना से उठ कर हम लोग कार्य करें तो इसमें संदेह नहीं कि एक पवित्र काम पवित्र भावना से ही करना चाहिये । मैं जिस कांस्टीट्यूएंसी को रिप्रेजेन्ट करता हूं वहां के लिये मैं जब से यह कानून बना तभी से कोशिश कर रहा हूं कि चकबन्दी वहां लागू की जाय और हमारे यहां के किसान मुझसे यह पूछते हैं कि हमारी तहसील में चकबन्दी कबतक लागू होगी, उसको जल्दी लागू कराइये लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि अभी तक मैं अपनी तहसील में उसे लागू नहीं करा पाया हूं । जब यह कानून इस सदन में पेश किया गया था उस वक्त से और अभी भी हमारा दिमाग साफ है कि चकबन्दी से काश्तकारों का भला होने वाला है । उसके रीजन्स मुझे यहां देने का मौका नहीं है क्योंकि उसके रीजन्स उसका कानून बनाते वक्त यहां पर बहुत काफी दिये जा चुके हैं । मुझे तो केवल इशारतन ही कहना है ।

जहां तक इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की बात है, अगर इस छोटी सी पुस्तिका को राजनारायण जी या जो सदस्य चकबन्दी के निन्दक हैं या निन्दा करना चाहते हैं, वह पढ़े होते तो उनको मालूम होता कि कितनी सतर्कता और कितनी निगाह इस विभाग के ऊपर रखी जाती है । यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती है । जहां भी कोई शिकायत होती है उस पर अमल किया जाता है । करीब करीब कई सौ चकबन्दी के अफसरों को निकाला गया है । अगर उनमें दोष पाया गया है तो उनको अलग कर दिया गया है । यह इसलिये किया गया है कि जो अच्छा कार्य है उसमें किसी तरह से कोई शिकायत का मौका न रहे या कोई हैरेसमेंट का मौका न हो । यह सरकार यह नहीं चाहती कि कानून बना दिया जाय और उससे किसानों को परेशान किया जाय । यह बात कहने की है और मैं समझता हूं यह बात तथ्य से बहुत परे की है ।

अभी थोड़ी देर पहले यादव जी बोल रहे थे । उन्होंने कहा यहां कि उत्तर प्रदेश में हजारों किसान बेरहमी के साथ बेदखल किये जा रहे हैं । मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से वे कहां बेदखल हो रहे हैं । उन्होंने एक मिसाल भी दी कि ११५ सी में किसानों को फांस कर उनको बेदखल किया जा रहा है । वह अपने उसूल से यह समझते हैं कि उनके दिल में किसानों के प्रति अधिक हमदर्दी और अधिक सहानुभूति है, लेकिन उनके उसूल में यह ठीक मालूम हो सकता है और उनका उसूल यह गवाही दे सकता है कि किसी जायदाद पर अनधिकार कब्जा कर लिया जाय लेकिन हम इसको उचित नहीं समझते हैं । अगर गांव समाज की जमीन है तो वह जमीन गांव समाज को मिलनी चाहिये और गांव समाज उसकी मालिक है । उस जमीन पर चाहे गरीब काश्तकार का और चाहे अमीर काश्तकार का कब्जा हो यदि वह गांव समाज की जमीन है और सार्वजनिक जमीन है तो उस पर गांव के सब लोगों का हक है । अगर कोई आदमी उस पर जबरदस्ती कब्जा करता है तो फिर उस के लिये क्या रास्ता है जिससे वह जमीन गांव समाज को दिलाई जाय ? अगर उसके लिये इस तरह का केस चलाया जाता है तो यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने किस कानून के लिहाज से उनको काश्तकार की संज्ञा दी । मैं समझता हूं यह उनका अनधिकार कब्जा है । सरकार का यह सही कदम है । सरकार ने जो कदम उठाया है वह सही कदम है । इस सदन के अन्दर तमाम माननीय सदस्यों ने इस तरह की शिकायत पेश की कि जो जमीन जबरदस्ती ले ली गयी है उसको कैसे गांव समाज को दिलाया जाय और वह जमीन उन लोगों से छीनी जाय । अगर वह जमीन गांव समाज की जरूरत से ज्यादा बचेगी तो वह डिस्ट्रीब्यूट होगी और वह किसी गरीब के पास जायगी । मैं यह समझता हूं कि अगर इस तरह से यह सही बात है तो यह ज्यादती की बात नहीं है । उन्होंने कहा कि केरल में बहुत अच्छे काम किये जा रहे हैं । मैं आप को बताऊं कि जिस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट कोई टैक्स का नाम लेती है तो चारों तरफ से हाय तोबा मचाया जाता है । मैंने अखबारों में पढ़ा है कि केरल

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

में करीब ६८ लाख के टैक्स लगाये गये हैं। अगर हम कोई काम करते हैं, जनता की भलाई के लिये अच्छा काम करते हैं उसकी निन्दा की जाय और वही काम दूसरा करे उसको ठीक काम कहा जाय, तो यह गलत बात है। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की ज्यादती की बात हमारे चन्द्रजीत यादव जी को करनी चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो यह दो दिन से विवाद चल रहा है उसमें एक बड़ा अहम प्रश्न आया हुआ है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में हमारे माल मन्त्री जी की क्या राय है और उनका विभाग क्यों इसका विरोध करता है। हमारे नेता दल ने भी इस पर काफी कहा है लेकिन मैं एक बात की सफाई चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी बतलायें कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं चाहते हैं तो उसकी घोषणा आज ही कर दें या यह कह दें कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ही प्रदेश को समाजवादी ढ़ांचे में ढालने का सही रास्ता है। आज हमारा माल विभाग बिटवीन दि डेविल ऐण्ड दि डीप सी, सा लटक रहा है और मन्त्री जी की ओर से किसी बात की सही घोषणा होती नहीं है कि हम किस स्तर पर कोआपरेटिव फार्मिंग इंन्ट्रोड्यूस करेंगे, उसको लायेंगे या नहीं। तो इसकी सफाई होनी चाहिये।

मैं सदन की जानकारी के लिये इसके अलावा यह भी जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने एक आर० के० पाटिल मिशन कोआपरेटिव फार्मिंग के अध्ययन के लिये चीन भेजा था। उसने अपनी रिपोर्ट भेजी और उसमें उसने कोआपरेटिव फार्मिंग जो चीन में हो रही है, उसकी काफी प्रशंसा की थी और उसने अपनी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को दीं। उनको माननीय मन्त्री जी ने भी पढ़ा होगा। उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग चाहती है, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार नहीं चाहती। मैं चाहता हूं कि भले ही माननीय माल मन्त्री जी हमारी बात न मानें, लेकिन आर० के० पाटिल रिपोर्ट में अगर उनको इशारा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग से किसानों का भला होगा तो उसको तो वह मानें। बहरहाल कुछ हो, कम से कम अपनी नीति वह स्पष्ट करें।

दूसरी बात बेदखलियों की है। रोज बात होती है, हल्ला किया जाता है, लोग जेल जाते हैं और डंडे खाते हैं। मैं एक ही उदाहरण अपने क्षेत्र का रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में माथापार एक गांव है जहां के २१ किसान ४०, ४० बरस से, २०, २० बरस से अपने खेतों पर शिकमी थे लेकिन १३५९ फसली के बाद आजतक वह अधिवासी नहीं हुए। तो ऐसे गांव भी इस प्रदेश में हैं कि जहां चालीस बरस से किसान अपने खेतों पर काबिज हैं लेकिन आजतक वह सीरदार के खाने में नहीं आ पाये। मैंने इस विषय में एक प्रश्न भी उठाया है। तो यह हालत है कि सही किसान जो खेत को जोतता बोता है वह मालिक नहीं हो पा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शान्ति नहीं है। आप लोग शान्त रहिये।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, अभी एक आवेदन पत्र आया है गोंडा जिले से। नवाबगंज तहसील में एक गांव है तुलसीपुर। वहां गोकुलचन्द नारंग का एक फार्म है। वे चीनी मिल मालिक हैं। वहां के किसान उस जमीन को जोतते बोते हैं लेकिन आज तक वे उस जमीन के मालिक नहीं हो पाये। उन पर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। यह उनका आवेदन पत्र है जिसे मैं माननीय मन्त्री जी के पास भेज दूंगा। इस तरह से बेदखलियां हो रही हैं और गरीब किसान बचने नहीं पा रहा है। गोरखपुर का एक उदाहरण है राजा जगदीशपुर का। वहां के किसान बोरो धान बोते हैं जो पानी में होता है। वहां लेखपालों से मिल कर किसानों को हलाल किया जा रहा है। चकबन्दी के अफसरान भी गये और उसके बाद दलालों से मिल

कर उन गरीब किसानों का गला काटा जा रहा है। सैकड़ों किसान हैं जो अपने खेतों के मालिक नहीं बन पा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात क्या बतलाऊं। आजमगढ़ में सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से एक आंदोलन चला था कि कागजात की दुरुस्ती की जाय, इन्दराजात की दुरुस्ती की जाय। माननीय शिब्बन लाल सक्सेना जी ने भी महाराजगंज में इन बातों को कहा था। एक एक तहसील और सब-डिवीजन में लाखों की संख्या में गलतियां मिलीं। मैं माननीय माल मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस जगह चकबन्दी होती है वहां-वहां माल विभाग से दुरुस्ती होती है, हजारों और लाखों की तादाद में गलतियां मिलती हैं और सुधारी जाती हैं। क्या माल मन्त्री जी बतायेंगे कि इन दुरुस्तियों से गलतियों में कमी होती है या ज्यादती होती है ? मेरा कहना यह है कि ज्यादती होती है। जितने भी खाते चकबन्दी में बनाये जाते हैं, उनकी अगर जांच कराई जाय तो उनसे भी अधिक गलतियां निकलेंगी जितने कि खाते हैं। माल विभाग के आंकड़ों का यही हाल है।

मुझे एक निवेदन और करना है, वह यह कि गांव समाज की संपत्ति लूटी जा रही है और माननीय माल मन्त्री जी की अध्यक्षता में। एक ही क्षेत्र सलेमपुर में दो हजार एकड़ से ज्यादा जमीन लूट ली गयी। जो सफेद पोश हैं उनको लेखपालों और जिलाधीशों की कृपा से वह जमीन मिल जाती है। गरीब लोगों पर कहां इतने साधन हैं कि वे मुकदमे लड़ सकें। लोगों को बेदखल कराया जा रहा है। हम लोग तहसील में दरख्वास्त देते हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। दफा २१२ के मुकदमे भी नहीं लिये जा रहे हैं। यह हालत गांव सभा की संपत्ति की लूट है।

माननीय माल मन्त्री जी को अपने आंकड़ों पर बड़ा नाज है। ठीक है, अपनी काबलियत पर नाज होना भी चाहिये, लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि गांव समाजों की संपत्ति की जो यह लूट हो रही है उसको अगर उन्होंने नहीं रोका, उस संपत्ति को अगर न बचाया गया, तो इसकी जिम्मेदारी राजस्व मन्त्री जी पर होगी हम पर नहीं, क्योंकि हमारे दफ्तर में तो हजारों दरख्वास्तें आती रहती हैं और हम उनको भेजते रहते हैं लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। (लाल बत्ती जलने पर) उपाध्यक्ष महोदय, हमको ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अब और समय नहीं दिया जा सकता। केवल दो मिनट का समय आपका और है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में लगातार भुखमरी फैली हुई है। टेगरी हरिजन ७-११-५७ को मरा, हरिशरण हरिजन १४-११-५७ को मरा, मूलचन्द हरिजन ने ७-१०-५७ को भूख के कारण आत्म हत्या कर ली। टेगरी हरिजन के बारे में प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि १० सेर ८ छटांक गल्ला उसकी स्त्री को १-१-५८ से मिलता है। मैं वहां गया और जांच की तो मालूम हुआ कि उसकी औरत भीख मांगती है और मेरे प्रश्न के बाद उस को ८ पसेरी गल्ला एक बार दिया गया।

आज भी देवरिया की हालत खराब है। वहां पर फसल मारी गयी है। आंकड़ों में दिखला दिया गया है। वहां पर ४-५ मन फी बीघा फसल है लेकिन जिलाधीश और कमिश्नर की यह रपट झूठी है। इसकी जांच होनी चाहिये। सलेमपुर में ३,८०० मुफ्त राशन कार्ड पहले था जो अब २,५०० कर दिया गया है और १५ तारीख से उनको बंद करने जा रहे हैं।

जहां तक मालगुजारी की छूट का सम्बन्ध है, आप कलेक्टर पर पूरा विश्वास करते हैं, जैसा वह कहता है वैसा आप मान लेते हैं, हमारी बात पर आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे तो माननीय मंत्री जी के लाड़ले हैं। हमारे यहां देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर में फसल

[श्री उग्रसेन]

की अब भी खराब हालत है। हाटा की छूट तो केवल २१,००० रुपया दिखायी गयी है, इसे देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। माननीय गेंदा सिंह के क्षेत्र में केवल ५२ हजार छूट दी गयी है। क्राप कटिंग और सेम्पलिंग का आपका तरीका गलत है। एक बोझ में केवल ४–५ सेर नाज होता है। वहां अगर देखा जाय तो २ १/२-३ मन फी बीघा से अधिक पैदावार नहीं है। आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर में अभी भुखमरी है। मैं माननीय मंत्री जी को चेतावनी देता हूं कि अगर उन्होंने इसका प्रबन्ध न किया तो इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और इसका जो परिणाम होगा, वह उनको भुगतना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मलिखान सिंह जी, आप भी केवल ३, ४ मिनट लें।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी के बाद मैं बोलता तो अच्छा रहता।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी अगर बोलना चाहें और जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री मलिखान सिंह—श्रीमन्, मैं किस बात का जवाब दूं, पहले वे कुछ बोल लेते तब मैं बोलता।

श्री राजनारायण—ये किसको रिप्लाई करें, मैं दो दफा इस सवाल को पहले भी उठा चुका हूं क्योंकि जो मूवर होता है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। यह सही है कि नियमानुसार माननीय मंत्री जी को दो दफा बोलने का अधिकार है। यहां कटमोशन पर जो कुछ लोग बोले हैं उनका जवाब माननीय मलिखान सिंह देना चाहें तो दें।

*श्री मलिखान सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो मेरी इच्छा थी कि पहले माननीय मंत्री जी यहां भाषण दे लेते और अपने शब्दों को स्पष्ट कर देते उसके बाद मैं उनका जवाब देता, किन्तु यहां पर जितने माननीय सदस्यों के भाषण हुए हैं, उनमें मैंने एक बात यह पायी कि सभी ने, ज्यादातर लोगों ने, हमारा समर्थन किया और समर्थन करने के साथ-साथ कुछ बन्धु उस तरफ बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी दलील दी और आक्षेप रूप में कहा।

श्री जगदीश नारायण जी ने कहा कि हमने इसको काला कानून क्यों कहा। श्रीमन्, इसको मैं काला कानून न कहूं तो और दूसरा क्या रूप दे सकता हूं? जिस समय सन् १९५२ में यह कानून बना तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस कानून से छोटे-छोटे किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे किसानों को कोई अधिकार नहीं मिला और उनकी जमीनें ११५ सी० के अनुसार बेदखल होने लगीं। प्रधान जमींदारों की जगह मालिक बन गये और काश्तकारों को जानवरों के लिये खूंटा गाड़ने में भी दिक्कत होने लगी। तो उस आधार पर जो इसकी रूपरेखा रखी गयी है, इसलिये मैंने उसे काला कानून कहा था। और जो ५ एकड़ से कम किसी के पास जमीन नहीं होनी चाहिये और ३० एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये, अगर इसे कानून के द्वारा स्पष्ट रूप से कार्यान्वित किया गया होता तो हम मान सकते थे और कह सकते थे कि यह बड़ा अच्छा कानून है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह दलील दी कि गांवों में पक्के मकान बनने लगे हैं, मैं नहीं जानता कि वे माननीय सदस्य कहां के हैं। लेकिन मैं तो उन गरीब किसानों का नुमाइन्दा हूं और व्यक्तिगत रूप से खेती के कामों का अनुभव रखता हूं, खुद मौके पर जाकर उनके साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम करता हूं और उन्हीं गरीब मजदूरों में रहता हूं। मेरे पास कोई बड़ा फार्म नहीं है। मैं सिर्फ अपने छोटे-छोटे खेतों में ही काम करता हूं। यह कहा गया कि ईंट के भट्ठे लगने लगे। श्रीमन्, पक्के मकान बनाने का भी एक साइकोलाजिकल ग्राउन्ड है और वह यह कि कच्चे मकान में पक्के मकान की बनिस्बत ज्यादा लागत आती है। अगर एक पक्की दीवाल बना ली गयी तो उस के गिरने का कोई डर नहीं रहता है। तो इस तरह से इससे लाभ ही है। पक्का मकान बनाने के अन्दर असल में यही भावना काम करती है। वोट मांगने के लिये भी लोग बड़े-बड़े चौपालों पर ही जाते हैं जहां कि कलई लगी रहती है। गरीब मजदूरों के झोंपड़े में कोई नहीं जाता जहां कि दुर्गन्ध आती है और वहां खड़ा होना भी मुश्किल होता है। जो आज जनता के प्रतिनिधित्व का नारा लगाते हैं, तो उनके सामने यही दलील आती है।

आज लेखपालों की क्या हालत है ? वे पहले से भी अधिक रुपया लेने लगे हैं। दूसरे जब से यह हो गया है कि जो जिन्सवार वे भरते हैं उसका कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता, इसके मातहत वे बराबर प्रधानों के द्वारा रिश्वत लेते हैं। जितने ११५ के मुकदमे अब चल रहे हैं उतने पहले कभी किसानों के खिलाफ़ नहीं चले। आज भी बहुत अधिक गलत इन्दराज गांवों के कागजात में है, २०-२० साल से जोत कोई रहा है और नाम किसी का दर्ज है। हमने तहसीलदार से कहा कि तमाम कागजात में गलत इन्दराज हैं तो उन्होंने कह दिया कि उस गांव के कागजात तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते। यह हालत है। कभी हम उधर जाते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--आप वही बातें कह रहे हैं बार-बार। अब आप का समय समाप्त हो गया।

***श्री चरण सिंह**--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि कल मैं अपने अनुदान पेश करते समय तकरीर न कर सका और बीच में भी नहीं बोल पाया। उसमें मेरी एक मजबूरी थी और वह यह कि इधर मेरा स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं है और अब भी जो बातें माननीय सदस्यों की ओर से उठाई गई हैं उनके जवाब के लिये जितना समय दरकार है उतने समय नहीं बोल पाऊंगा। इसीलिये मैंने आप से दरख्वास्त की कि मैं इतनी देर बाद सवा घंटे के लिये उठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--आप चाहें तो बैठ कर बोल सकते हैं।

श्री चरण सिंह--अभी मैं कोशिश करूंगा कि खड़े हो कर ही बोलूं लेकिन आपने इजाजत दे दी है तो जरूरत होगी तो बाद में बैठ कर ही बोल लूंगा।

श्री राजनारायण--बैठ कर बोलने में शायद चौधरी साहब मूड में नहीं आयेंगे।

श्री चरण सिंह--मुझे मूड में लाने की आप ने तो काफी कोशिश की है लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आप के चक्कर में न फंसूं।

अब जहां तक लैंड रिफार्म्स लेजिस्लेशन का सम्बन्ध है, पहाड़ी इलाके को छोड़ कर सारे सूबे में उस का काम प्रायः समाप्त हो चुका है और उस के इम्पलीमेंटेशन का काम भी करीब-करीब समाप्त होने जा रहा है सिवा कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स की योजना के। इस वर्ष, जोकि अभी १८ दिन बाद बीतने वाला है, महकमा माल ने जो काम किये हैं उनको कंसालिडेट करने में, पक्का करने में और जो मामूली गलतियां हुई हैं स्कीमों को कार्यान्वित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

करने में उनको दूर करने में ही अधिकतर व्यस्त रहा है और यही इरादा आगामी वर्ष में भी इस विभाग का है। वैसे कुछ काम नये भी हुये हैं लेकिन जिन बातों का मैंने जिक्र किया कि काम को पक्का करने में और छोटे-मोटे नुकायस को दूर करने में यह विभाग लगा रहा है। जो काम हुआ है और जो मोटी-मोटी मदें हैं उन को अब मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

यहां से शहरी इलाके की जमींदारी समाप्त करने के सम्बन्ध में कानून पास हो चुका है और दस जिलों में एक-एक म्युनिसिपैलिटी में और जो बकिया जिले हैं सूबे भर के उनमें सिवा कुमायूं के जिलों, रामपुर और बहराइच के, सब जिलों के एक-एक टाउन एरिया में यह कानून एनफोर्स कर दिया गया है और काम शुरू हो गया है। बावजूद हमारी इच्छा के जिस तरह से कि बड़ा जमींदारी ऐक्ट हमने एकदम से सब जगह लागू कर दिया था उस तरह से यह लागू नहीं किया जा सकता। उसका कारण है ट्रेन्ड पर्सनल की कमी और उस को तैयार करने के लिये जितना समय और पैसा चाहिये था वह भी अभी हम नहीं कर सके, लिहाजा धीरे-धीरे ही शहरी इलाके की जमींदारी खत्म होगी, लेकिन इस धीरे-धीरे ही होने से किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि काश्तकारों की बेदखलियां बन्द हैं, सिवा ट्रेसपासर के किसी की भी बेदखली नहीं हो सकती शहरी इलाके में। उस पर जब बहस हो रही थी उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि इसमें जो रकबा इनवाल्व्ड है वह केवल डेढ़ लाख एकड़ जमीन है। कहने को शहरी इलाका इतना बड़ा है और इतना बड़ा रकबा है, लेकिन वैसे जो काम हो चुका है, उसको देखते हुये जो शेष काम है, वह नगण्य है। जैसा कि राजा यादवेन्द्रदत्त जी दुबे ने कहा कि कल्टीवेटेड लैंड का एरिया ४,१६,००,००० एकड़ है, जिसमें से डेढ़ लाख एकड़ का मामला कोई खास अहमियत नहीं रखता है। मैं अपनी मजबूरी बतला रहा हूं और यह भी बतला रहा हूं कि कोई ऐसी बात नहीं जो कि यह रह गया है।

मकानात जो शहरी इलाके में थे और जो बरसात में गिर गये, उनकी जो आराजी थी उससे वे लोग लायेबिल टू इजेक्टमेंट थे, पट्टे के मुताबिक, लेकिन जैसा कि सब मित्रों को मालूम है कि वह ऐक्ट पास किया गया है और सब जगह लागू कर दिया गया है। लेकिन इन दोनों कवानीन से भी ज्यादा अहमियत का कानून लार्ज होल्डिंग्स ऐक्ट है। यह नई नीति का एक तरह से श्रीगणेश करता है। इस ऐक्ट के जरिये जो लार्ज डिसपैरिटी है वह कम होगी और बड़े-बड़े खेतों के रकबे में कमी होने की सम्भावना बढ़ेगी और जो लोग अपनी जमीन रखना चाहते हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी होगी अपनी जोतों में। वह ऐक्ट नाफिज हो चुका है।

आगामी वर्ष में कुमायूं जमींदारी लैंड रिफार्म बिल जो हाउस के सामने मौजूद है और सेलेक्ट कमेटी में जा चुका है, उसको पास करने का विचार है। एक और बिल है, यू० पी० गवर्नमेंट एस्टेट्स ठेकेदारी अबालीशन बिल। यह जो ९ जिलों में सरकारी आस्थान हैं और ठेकेदारी कायम है, उनको खत्म करने के लिये यह बिल है। इसके बाद जमींदारी रिफार्म ऐक्ट नाफिज किया जा सकेगा। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ खामियां हमारे जमींदारी अबालीशन बिल में हैं, उनको दूर करने के विचार से एक अमेंडिंग बिल लाने का विचार है जो गालिबन जुलाई के सेशन में आ जायगा। कुछ खामियां जो इधर के और उधर के मित्रों ने बताई है वे हमारे नोटिस में हैं और उन पर विचार हो रहा है। वह अधिकतर प्रोसीड्योरल हैं यानी जाब्ते से सम्बन्ध रखती हैं और उनसे किसी नीति या सब्सटेंशियल राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो मुकदमे चलते हैं उसमें लोगों को सहूलियत हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज की जो स्कीम चल रही हैं उनमें से एक वाइटल स्कीम चकबन्दी की है। यह प्रदेश के २७ जिलों में से १३,३२३ गांवों में नाफिज हो चुकी है जिनका कृषि योग्य रकबा ५१,२८,००० एकड़ है और खेतों की तादाद १,४६,३२,००० है। पांच जिलों की एक-एक तहसील में काम करीब-करीब समाप्त हो चुका है। मैं इसलिये

करीब-करीब कहता हूं कि एक आध गांव में रिवीजन के मामले कलेक्टर के यहां पेंडिंग हैं, वैसे काम समाप्त हो चुका है। केवल दो चार गांवों के मामले अटके हुये हैं। १,३२८ गांवों में कब्जा अदलाया-बदलाया जा चुका है जिसका कल्टीवेटेड एरिया ७,२२,००० एकड़ है और ७,६५,००० चक बनाये जा चुके हैं।

गलतियां जो कागजात में पायी गयीं जिसके लिये उग्रसेन जी ने या शायद किसी और साहब ने, मैं उनका नाम भूल गया हूं, काफी कहा है। ८३,३२,००० गलतियां पाई गईं। उनमें से ७३,८३,००० दुरुस्त की जा चुकी हैं। उनमें से ३७,८६,००० केवल नक्शे की गलतियां थीं, जिसमें डिसप्यूट का कभी सवाल नहीं होता है। सेटिलमेंट में कुछ और शक्ल थी और अब थोड़ी बहुत शक्ल और हो गई है। वह हमारे यहां मिस्टेक दर्ज हो गई है। ३७,८६,००० गलतियां ऐसी थीं। इसके अलावा जो और गलतियां थीं ४६ लाख से कुछ कम वह गलतियां थीं खसरे की और खतौनी की। इनमें से किताबत की गलतियां थीं १३ लाख, प्योरली क्लेरिकल, जिसमें डिस्प्यूट का कोई सवाल नहीं उठता। नाम है भीखा लाल, लिखा हुआ है भीखा सिंह। १८ लाख गलतियां ऐसी थीं जो कि रिकंसिलिएशन से बिना किसी मुकदमेबाजी के ए० सी० ओ० की कोशिश से तय हो गयीं। इस तरह से ६७ लाख गलतियां ऐसी हुईं जिनको कहने के लिये गलतियों में गिना जा सकता है लेकिन वे कोई ऐसी गलतियां नहीं जिनसे किसी को नुकसान हुआ हो या कोई मुकदमेबाजी की नौबत आयी हो। बाकी १६ लाख गलतियां केवल बचती हैं जिनमें शहादत ले कर फैसले किये। कुल अब तक ४,१९७ गांवों में पजेशन ट्रांस्फर हो चुका है और ६५१ गांवों में और कंसालिडेशन की योजनायें कम्पलीट हो चुकी हैं। उनको नोटिस दिये हुये हैं कि किसी को एतराज करना हो, अपील वगैरह करनी हो तो वह करे। यह जनवरी तक के आंकड़े मैं बतला रहा हूं। अब तक ४४,३६,००० खेतों के चक बन चुके हैं। कुल १,४६,००,००० खेत थे। चक बने हैं ७,६५,००० तो ६ खेतों पर एक खेत कहो या ६ चकों पर एक चक कहो, यह हुआ अब तक इन ४,२०० गांवों में।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में जो चकबन्दी हो रही है वहां आम तौर पर चौकोर चक बने हैं, रेक्टेंगुलर। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है। जिस वक्त शुरू में कमेटी बनी थी इस तरह का विधान बनाने के लिये उसने उस पर विचार किया था। उसके सामने भी यह मसला था। लेकिन पंजाब की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें कि चौकोर चक बना देना एक आसान काम है। हमारे यहां वैसा मुश्किल है। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, क्योंकि और बहुत सी बातें कहनी हैं। लेकिन इच्छा हमारी भी थी कि ऐसा हमारे यहां भी हो। तो अभी हमारे अफसरान फिर गये थे पंजाब में और उन्होंने यह तय किया है कि कुछ जिलों के कुछ गांवों में रेक्टेंगुलर चक बनाने की कोशिश की जाय और बतौर एक्सपेरिमेंट के। अगर उसमें कामयाबी हमको हुई तो फिर हर तहसील में जहां-जहां भी चकबन्दी चल रही है रेक्टेंगुलर चक बनाने की कोशिश की जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग देने के लिये सेंटर खोले गये हैं जहां चार-चार महीने की ट्रेनिंग दी गयी है। अब एक मुस्तकिल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का विचार है। हो सकता है कि रामपुर में जहां पर कानूनगोयान को ट्रेनिंग दी जाती है वहां यह खोला जा सके हालांकि वहां मुश्किल है क्योंकि बिल्डिंग वगैरह की दिक्कतें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मित्रों को मालूम है, कंसालिडेशन ऐडवाइजरी कमेटीज डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और स्टेट के लेविल पर बन चुकी हैं और जो मित्र उसमें शरीक होते हैं, उसकी कार्यवाही में, वह यह जानते हैं कि कितना मौका मिलता है, कितने सुझाव दिये जाते हैं, कितनी बहस होती है। क्या अफसरान की या गवर्नमेंट की दिक्कत है और कितने

[श्री चरण सिंह]

उनके सुझाव माने जाते हैं। पिछली प्रोसीडिंग्स जो हुयीं ४ अगस्त को वे सब के पास भेज दी गयी हैं। आम तौर पर जितने सुझाव दिये गये थे उनमें से बहुत बड़ी तादाद पर हमने अमल किया, जिन पर कि अमल करना मुमकिन था। मैंने कभी नहीं कहा कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का यह दावा नहीं है कि उसके किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है और मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि कोई गवर्नमेंट बाद में भी आने वाली यह दावा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मनुष्य दोष-रहित नहीं होता है। पूर्ण मनुष्य बहुत कम होते हैं। गलतियां होती हैं और अगर गलतियां न हों तो फिर सरकार की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई आदमी दूसरे के अधिकार को न दबाये, बेईमानी न करे और एक आदर्श पुरुष हो जाय तो फिर गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? तो हमेशा मनुष्य गलती करेगा, गलती लोग करायेंगे और राज्य कर्मचारी गलती में फंसेंगे। कोई आदमी राज्य कर्मचारी हो जाय उसका मतलब यह नहीं है कि वह गलती नहीं करेगा, या गलती नहीं, बल्कि बेईमानी नहीं करेगा। गवर्नमेंट से केवल यह आशा की जा सकती है कि कोई कानूनी दिक्कत हो उसको मिटाया जाय जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता हो। कोई बात गवर्नमेंट की नोटिस में लायी जाय और उस पर उसका फर्ज है कि तत्काल कार्यवाही करे। तो कानून में जो दिक्कतें हैं उनको आम तौर पर बहुत कम बतलाते हैं। बस भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार तो मैं तसलीम करता हूं। भ्रष्चाटार है और कहां नहीं है? क्या हमारे वैयक्तिक जीवन में नहीं है? है, तो फिर इसका मतलब यह नहीं है कि एक स्कीम अच्छी है उसको वाइन्ड अप कर दें। और जितने ऐलीगेशन्स होते हैं वे आम तौर पर जनरली अनरेगुलेटेड लैंगुएज में कहे जाते हैं। मैं माननीय बलदेव सिंह जी को बधाई दिये बिना नहीं रहूंगा जो उन्होंने कहा कि उनके यहां चक-बन्दी हो जानी चाहिये, और उनके यहां के दो व्यक्ति किसी जगह राज्य कर्मचारी हैं चकबन्दी में उनका जो उन्होंने जिक्र किया और कहा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की गुंजा-यश बहुत कम रह गयी है। राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे जी ने भी यह कहा कि फलां-फलां गांव में चकबन्दी बहुत अच्छी हुई और कम से कम मौजूदा अफसरों से वे पूर्णतया संतुष्ट हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह हो सकता है कि क्यों तारीफ कर रहे हैं, यह हिम्मत की सराहना क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिये कह रहा हूं कि प्रायः हर मनुष्य का यह खयाल होता है कि अगर किसी की तारीफ कर दी जाय काम की तो मानो उसकी जेब से कोई चीज चली गयी। बुराई करना, नार्मल और प्रशंसा करना यह ऐबनार्मल काम है। और फिर इस हाउस में तारीफ की जाय? उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजनारायण जी जैसे व्यक्ति हों कि उन्हें कभी कोई अच्छी बात ही नहीं लगती और ऐसी हवा पैदा की जाय। ऐसे एटमासफ़ीयर में जहां पोलिटिकल स्कोर किये जाते हैं वहां अगर कोई आदमी सही बात कहता है तो वह इस गवर्नमेंट का और सारी पार्टी का धन्यवाद का पात्र है। इसलिये मैंने बधाई दी।

माननीय बलवान सिंह जी ने अपनी तकरीर में कल यह फ़रमाया कि साहब कागजात की दुरुस्ती पहले हो जानी चाहिये तब चकबन्दी की जाय। मैं क्या कहूं, उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिये था कि कोई साहब किसी मजमून पर जब बोलने के लिये खड़े हों तो पहले कम से कम उस स्कीम को समझने की कोशिश करें, उस कानून को तो पढ़ लें। उस कानून ही में लिखा है कि पहले कागजात की दुरुस्ती की जायगी और मैंने कहा कि अगर ढाई वर्ष लगते हैं कहीं काम में तो ९ महीने तो केवल कागजों की दुरुस्ती में ही लग जाते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यहां तकरीर करने के लिये किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्लोगन्स मौजूद हैं कि भ्रष्टाचार है, लाखों किसान बेदखल किये जा रहे हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ने की क्या जरूरत है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कही जाती है, इसी जगह मैं उसका जिक्र किये देता हूं, और हर आदमी ने यह समझा कि हमने चौधरी चरण सिंह को ऐसे प्वाइंट पर पकड़ लिया है कि जवाब ही नहीं मिलेगा। यह कहा कि साहब को आपरेटिव फार्मिंग के तो आप खिलाफ हैं

मगर उधर कंसालीडेशन करा रहे हैं, इसका जवाब तो दीजिये। न मालूम कितनी बार डिमांड किया गया। जितने मित्र उधर से बोले सब ने यही कहा। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्वाइंट तो यह उठाया गया कि साहब प्लानिंग कमीशन कोआपरेटिव फार्मिंग चाहता है, आप कंसालिडेशन क्यों करा रहे हैं ? यह कंसालिडेशन कौन चाहता है ? यह भी प्लानिंग कमीशन चाहता है। प्लानिंग कमीशन दोनों चीजें चाहता है।

एक सदस्य---यही तो गड़बड़ी है ।

श्री चरण सिंह---खैर, यह गड़बड़ी मेरे सिर से उठ कर प्लानिंग कमीशन के सिर गयी। उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन भी यह नहीं चाहता कि कोआपरेटिव फार्मिंग में जबरदस्ती की जाय, न यह गवर्नमेंट चाहती है और न आप में से कोई चाहता है। कोआपरेटिव फार्मिंग तो एक सिफारिश है कि वे कायम हो जायं। अब मेरी निजी राय का जहां तक सम्बन्ध है अगर कोआपरेटिव फार्मिंग कामयाब हो जाय और लोग कोआपरेटिव फार्म्स बना लें तो मुझ से ज्यादा कोई इस हाउस में प्रसन्न नहीं होगा, मेरे बराबर तो होगा। मेरा कहना केवल यह है कि इसमें कठिनाइयां बहुत हैं और जो मंशा है कि इससे पैदावार बढ़ जायगी उन कठिनाइयों की वजह से वह मंशा पूरी नहीं होगी। अव्वल साधारण आदमी से अधिक ऊंचे चरित्र वाले आदमी की उसमें जरूरत है और मेरा दावा तो यह भी है कि जहां जहां दुनिया में कोआपरेटिव फार्म्स कायम हुए सिवा २२९ फार्म्स के जो पेलेस्टीन में हैं, कहीं भी उनकी वजह से पैदावार नहीं बढ़ी। जो उधर बैठे हैं और जो किसी आइडियालोजी की वजह स कोआपरेटिव फार्मिंग के बड़े समर्थक हैं वे मुझे बतला दें कि इस तरह फलां मुल्क की पैदावार बढ़ गयी।

श्री सुरथ बहादुर शाह---चाइना की बढ़ी ।

श्री चरण सिंह---नहीं बढ़ी। मैंने रिपोर्ट्स देखीं। चाइना की जो प्रि-वार ईल्ड थी वह अभी तक उसे अटेन नहीं कर पाया है। वह एक आदर्श की बात अवश्य है। मुझे वह तसलीम है। कामयाब हो जायं, मुझे बड़ी खुशी होगी ।

हमारी गवर्नमेंट का जहां तक ताल्लुक है गवर्नमेंट उसकी कोशिश कर रही है कि ये कोआपरेटिव फार्म्स कामयाब हों। उनको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। मेरी जो राय है उससे गवर्नमेंट की राय में कोई विरोध नहीं। गवर्नमेंट उसे कोई आसान काम नहीं समझती, मैं उसे मुश्किल समझता हूं।

मैं माननीय झारखंडे राय जी की दोबारा स्पीच सुनना चाहता था, लेकिन वे इत्तिफाक से आज मौजूद नहीं हैं। पिछली दफा जब बजट पर चार रोज बहस हुयी थी तो उन्होंने कहा कि प्रतिक्रियावाद की मनोवृत्ति को कुचलना चाहिये। मुझे इशारा करके, मुझे जहन में रख कर कुचलना और न जाने क्या-क्या कहा। यह मेहरबानी की कि मेरा नाम नहीं लिया, केवल प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति कहा। मैं प्रतिक्रियावादी हूं तो वे तो प्रगतिशील हैं, चन्द्रजीत जी प्रगतिशील हैं। मैंने पहले भी एक तकरीर में कहा था और आज फिर दोहरा दूं कि १० गांवों में चन्द्रजीत जी और झारखंडे राय जी अपनी-अपनी कांस्टीट्यूएंसीज में कोआपरेटिव फार्म्स कायम करें। वालंटरी काम है। फार्म्स की बात है। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद की जा रही है ? क्या कम्पलसरिली कोआपरेटिव फार्म्स कायम किये जायंगे ? जी नहीं, रजामन्दी से। तो फिर कैसा उलाहना, कैसी शिकायत ? कामयाब करके दिखाइये, कौन रोक रहा है ? आपकी प्रगतिशीलता में कौन बाधक है ? कैसा गुस्सा ?

[श्री चरण सिंह]

जहां तक कम्पेंसेशन का ताल्लुक है तो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बना देना आसान काम है, लेकिन उसका फील्ड में इम्पलीमेन्टेशन कर देना उससे १० गुना मुश्किल काम है। मैंने यह तजुर्बे से कहा। मैं दूसरी स्टेट्स की बाबत कुछ नहीं कहना चाहता, पड़ोस की स्टेट्स के मुताल्लिक सबको मालूम है। इतना मैं बताना चाहता हूं कि उसका कम्पेंसेशन बनाने के लिए जितना लेखपालों को और मुहकमें माल के सब कर्मचारियों को दिन रात काम करनापड़ा है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। अधिवासियों का कम्पेंसेशन, ३४ लाख रेकार्डस् की मिस्टेक्स का करेक्शन, इतना काम उनको करना पड़ा है, आखिर वह भी इन्सान हैं और कानूनगो भी इन्सान हैं, जितना भार उन्होंने ५–७ सालों के अन्दर बरदाश्त किया है वे उसके लिए हमारी बधाई के पात्र हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं।

एक सदस्य––इनाम दीजिये।

श्री चरण सिंह––उपाध्यक्ष महोदय, रुपया इनाम नहीं होता है। और रुपया इनाम होता और इस गवर्नमेंट की सामर्थ्य होती तो आज लेखपालों की तनख्वाहें जितनी आज हैं उससे कम से कम ड्योढ़ी होनी चाहिये थीं। कोई काम गवर्नमेंट का नहीं है जो लेखपाल के सर नहीं पड़ रहा है। जैसा कि कल श्री रामगोपाल वैद्य ने कहा, वह बजा है, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। लेकिन इससे ज्यादा इनाम इंटेंजिबिल हो जाता है। खाली टेंजिबिल से काम नहीं चल सकता है। रुपया-पैसा, खाना, कपड़ा शरीर का व्यापार चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा रिवार्ड जो होता है वह यह कि उसके सुपीरियर्स उसके काम को कितना एप्रिशिएट करते हैं। तो मैं ऐप्रिशिएट करता हूं, इससे ज्यादा रेवेन्यु स्टाफ के लिए दूसरा इनाम नहीं हो सकता है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि ६८,५४,७९,००० रुपया कम्पेन्सेशन बनता है, जो तैयार हुआ है। १ या २ परसेंट पेंडिंग है। जो फाइन्ल है उसमें ४२,५९,११,००० रुपया के बांड्स तकसीम हुए और १४,७७,१३,००० कैश में। इस प्रकार ५७,३६,२४,००० रुपया यानी टोटल का ८४ परसेंट कम्पेंसेशन दिया जा चुका है और इस कैश की रकम में वह रुपया शामिल नहीं है जिसके बांड्स दिये होंगे, वह रकम अलहदा है। ६ करोड़ के बांड्स डिस्ट्रिक्ट्स में आफिसर्स के पास हैं, तकसीम के लिए, लोग जाते नहीं हैं या कुछ के बारे में मुकद्दमेबाजी है। इस तरीके से बहुत थोड़ी रकम ऐसी रह जाती है जिसके बांड्स देने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, १,३१,४९,००० रुपये की इंटेरिम ऐनुइटी और ३०,३२,००० रुपया सूद के तौर पर ३१ जनवरी, १९५८ तक वक्फ और ट्रस्ट वगैरह को रेलिजस और चेरिटेबिल परपजेज के लिये दिया जा चुका है और इन इंस्टीट्यूशंस को कम्पेंसेशन स्टाक सर्टिफिकेटस की शक्ल में दिया जायगा। उसमें अब भी कुछ कानूनी दिक्कतें थीं। अकाउंटेंट जनरल या रिजर्व बैंक की तरफ से कोई एतराज हो तो ६ महीने उसी में लग जायं और उजरदारी हो जाय। तो रूल्स बन रहे हैं, लेकिन इस बीच में इंटेरिम कम्पेंसेशन जैसा कि मैंने बताया १,३१,४९,००० रुपये और सूद ३०,३२,००० रुपये उनको देते रहे। इसलिये उनके काम में कोई हर्ज नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह अधिवासियों का काम मामूली काम नहीं है। ४१,२३,६०० लैंड होल्डर्स थे और अधिवासी कोई ५८ लाख थे। जिन काश्तकार असली और जमींदारों के ये शिकमी थे उनकी तादाद है ४१,००,०००। अब ४१ लाख नोटिस जारी हुये। आप अन्दाज लगाइये कि कितना काम उस तहसीलदार पर था जिसके लिये यह कहा जाता है कि इतने केसज पेंडिंग हैं। मुझे मालूम है कि हजारों केसेज एक-एक तहसील में पेंडिंग रहे, ३४ लाख करेक्शन के केसेज और ४२ लाख ये केसेज, कुल ७६ लाख केसेज। अब इसके लिये क्या कोई स्टाफ भरती किया जाय? और कितने दिन के लिये वह स्टाफ होगा?

तीन साल के बाद फिर हम उस स्टाफ को निकालें। तो तीन साल के लिये ट्रेन्ड स्टाफ जो मुकदमों को तय कर सकें मिलना असम्भव है। लिहाजा इसी स्टाफ से कराना है। अगर कोई रास्ता हो वह मैं माननीय मित्रों से जानना चाहता हूं। इसी स्टाफ को यह काम करना पड़ा। तो ३४ लाख करेक्शन केसेज में से ३३ लाख के करीब तय हो चुके। केवल जौनपुर और शाहजहांपुर में वे केसेज काफी तादाद में पेंडिंग थे। तो हमने ऐडिशनल तहसीलदारों को भेजा। इसके अलावा ४१ लाख २३ हजार केसेज अधिवासियों के थे जिनमें से ४० लाख के कम्पेन्सेशन स्टेटमेंट्स पब्लिश हो चुके हैं। इनमें आब्जेक्शन्स हुये। आब्जेक्शन्स के बाद ३१ लाख ३७ हजार केसेज डिस्पोज आफ हो चुके और ८ करोड़ १० लाख ८२ हजार के जो लैंड होल्डर्स अधिवासियों के शिकमी के थे, कम्पेन्सेशन तैयार हो चुके और ८५ लाख रु० दिये जा चुके। आप कहेंगे कि जब ८ करोड़ के थे तो ८५ लाख ही क्यों दिये गये। तो हमने यह तय किया कि एक साथ नहीं देंगे, ५ और १० किस्तों में देंगे। अब किसी को १५ रु० कम्पेन्सेशन मिला, किसी को २५ रुपये मिला। तो १५ रु० कम्पेन्सेशन के लिये भी शायद १५ ही फार्म तैयार करने पड़ें होंगे। तो उसके पीछे जो काम का वाल्यूम है उसका अन्दाजा किसी को भी नहीं है सिवाय उनके कि जो लोग उनसे काम लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय. कम्पेन्सेशन बांड्स के ऐडजस्टमेंट के लिये जो लोग भूमिधर हैं या सीरदार हैं उनको कम्पेन्सेशन बांड्स भी मिले हैं। तो लैंड रेवेन्यू के ऐडवान्स ऐडजस्टमेंट के लिये आर्डर्स जारी हो चुके हैं। रूल हम पहले बना चुके थे लेकिन एकाउन्टेन्ट जनरल ने आडिटर जनरल से भी मश्विरा लिया फिर हमारे फिनेन्स डिपार्टमेंट की बारीकियां, क्योंकि रुपये पैसे की बात थी। न मालूम कितने झगड़ों से निकल कर अब फाइनल आर्डर्स गये हुये हैं कि कोई साहब अपने बांड्स को आगे के ४० साल की मालगुजारी में अगर ऐडजस्ट करना चाहें तो वह कर सकते हैं। इसके अलावा कोई साहब सीरदार हों, उनको कम्पेन्सेशन बांड्स मिले हों किसी जमीन के एवज में और वे भूमिधरी अधिकार लेना चाहते हों तो इसके लिये १०० रुपये का बांड ८० रुपये के बराबर माना जायगा।

श्री सुरथ बहादुर शाह---माफ कीजियेगा, ८० रुपया कितने के बराबर माना जायगा ?

श्री चरण सिंह---१०० रुपये का बांड ८० रुपये के बराबर माना जायगा।

श्री सुरथ बहादुर शाह---और १२५ रुपये का ?

श्री चरण सिंह---१२५ का १०० के बराबर माना जायगा। एक शिकायत है कि बाजार में उनका भाव कम है। तो पहले ६३ रुपये तक का उसका भाव हो गया था। बाद में जब कि इन्श्योरेन्स कम्पनीज नेशनलाइज हो गयीं तो उनका भाव कुछ कम हो गया। मुझे आज का भाव नहीं मालूम है। लेकिन हम जितनी इमदाद देने के लिये कर सकते थे उतना हमने किया। वह यह कि किसी साहब को, जिस तरह से गवर्नमेंट तकावी देती है, उसी तरह से इन जमींदारी अबालिशन बान्ड्स की बेसिस पर तकावी मिल सकती है ठीक उसी रेट से कि जैसे किसी सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट देती है, यानी कि दो तिहाई उसकी फुल वैल्यू पर। हम ६६ रुपया तकावी देंगे १०० रुपये के जमींदारी अबालिशन बान्ड्स पर। जैसे किसी की लैंडेड प्रापर्टी पर गवर्नमेंट ५० परसेंट दे सकती है या किसी सिक्योरिटी पर दो तिहाई दिया जा सकता है या दो तिहाई मारगेज लोन एडवान्स किया जाता है उसी तरह से यह हमने किया है। तकावी में ६६ परसेंट नकद माना जायगा। इसलिये हमने और सिक्योरिटी की तरह

[श्री चरण सिंह]

जमींदारी अबालिशन बान्ड्स पर भी ६६.६ रुपया नवाद १०० रुपये बांड पर देने के आर्डर जारी कर दिये हैं। जो जमींदार इससे लाभ उठाना चाहें वे उठा सकते हैं।

जहां तक मालगुजारी की वसूली का ताल्लुक है तो इसमें जो कलेक्शन आफिसर काम कर रहे थे वे अब पहली अप्रैल से अबालिश होने वाले हैं। केवल नायब तहसीलदार और जो कलेक्शन अमीन हैं वही रहेंगे और अपनी-अपनी तहसीलों के अन्दर जिम्मेदारी एस० डी० ओ० और तहसीलदार की होगी। तहसीलदार की अब भी थी लेकिन अब ज्यादा होगी और एस० डी० ओ० को ज्यादा ध्यान देना होगा।

जहां तक पंचायत का ताल्लुक है, ५७ पंचायतों ने इस साल मालगुजारी वसूल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसमें काफी कामयाबी नहीं हुई है। हमने कमिश्नर और कलेक्टरों को यह हिदायत भेजी है कि यदि गांव पंचायतें इससे फायदा उठाना चाहें तो और ज्यादा इसमें दिलचस्पी लें। पंचायतों को ६ १/४ परसेन्ट कमीशन मिलता है जो पंचायतों के काम आयेगा तो उनको और दिलचस्पी लेने के लिये हमने लिखा है। इसके अलावा गवर्नमेंट के सामने एक और स्कीम है जिस पर गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है। उसको अभी फाइनलाइज नहीं किया है। उसमें आटोमेटिक रुपया जमा हो जायगा। मसलन खरीफ की मालगुजारी का सवाल है। हम एक तारीख मुकर्रर करें कि ३१ दिसम्बर तक जो किसान अपनी मालगुजारी जमा कर देगा उसको हम ५ परसेंट रिबेट दे देंगे। अगर वह ३१ तारीख तक नहीं देता है तो उस पर बजाय ५ परसेंट डिस्काउन्ट मिलने के ६ १/४ परसेन्ट और ज्यादा बढ़ जायगा। इस तरीके से जो तहसील दूर होती हैं और लोगों के पास रकम देने के लिये थोड़ी होती है तो उनको तहसील में नहीं जाना पड़े, क्योंकि उनको तहसील तक जाने में दिक्कत होती ह तो उसके लिये हम ऐसा सोच रहे हैं कि थाने में ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि रुपया वहां पर इकट्ठा हो जाय। एक तहसील में ३–४ थाने होते हैं तो उन थानों में इस तरह का इन्तजाम किया जाय जिससे वहां पर रुपया इकट्ठा हो जाय। पुलिस का थाना मैंने इसलिये कहा कि वहां पर रुपये का सवाल है। और जगह रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता है। यह स्कीम जेरेगौर है। अगर कोई माननीय सदस्य इससे अच्छी स्कीम बतला दें तो उस पर गौर किया जायगा। जिन साहबान को इस विषय में कोई सुझाव देना हो वह अपने सुझाव मेरे पास भेज दें। अभी स्कीम पूरी सुनी नहीं और अपनी राय देना शुरू कर दिया, वाह!

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि उसमें इस तरह की सहूलियत देने की बात भी हम सोच रहे हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी का रुपया भी जमा कर सके। मैंने यह अर्ज किया कि मौजूदा स्कीम के बजाय कि जिसमें हमारा राज-कर्मचारी घर-घर जाकर माल-गुजारी वसूल करता है और जिस के लिये हमारे मित्रों को एक अच्छा मजमून मिल गया है बात करने के लिये और कहने के लिये, उसका किस्सा ही न रहे, इसलिये यह स्कीम रखी जाय। मैं इस तरकीब में सन् ५२ से हूं लेकिन अभी तक यह फाइनलाइज नहीं हो पायी है। हम विचार कर रहे हैं। अगर कोई माननीय मित्र सुझाव देंगे तो मैं उसके लिये उनका अहसान मानूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने एक लेखपाल स्कूल रिआर्गेनाइजेशन कमेटी मुकर्रर की थी ताकि लेखपालों की ट्रेनिंग अच्छी हो सके। उसकी सिफारिशात को, सरकार ने करीब-करीब सभी को मान लिया है। ५० नायब तहसीलदारों की ट्रेनिंग पहले हुआ करती थी, लेकिन लड़ाई के जमाने में वह ट्रेनिंग बन्द हो गयी और वह केवल सर्वे में होती है। कोई इंटेंसीफाइड ट्रेनिंग नहीं होती। हमने यह कहा कि वह ट्रेनिंग रिवाइज कर दी जाय और बड़ी इंटेंसीफाइड ट्रेनिंग हो और वह केवल सर्वे की ही नहीं बल्कि और जो काम करने पड़ते हैं उनकी भी ट्रेनिंग उनको दी जाय। तो रामपुर में जो स्कूल है उसमें ५० नायब तहसीलदारों को भेजने का निश्चय हमने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुमायूं के सारे डिवीजन में सेटिलमेंट आपरेशन हो रहे हैं लार्ज स्केल पर। उसमें चार तहसीलों में यह आपरेशन्स हो रहे हैं और काम काफी आगे बढ़ चुका है और उस पर आधारित है जमींदारी ऐक्ट का वहां नाफिज होना। इसके अलावा १६ और जिलों में तकरीबन १,६०० गावों में रेकर्ड आफ सर्वे आपरेशन्स का काम चल रहा है। यह गांव अधिकतर वही हैं कि जो नदियों के किनारे हैं। ये बड़े-बड़े जमींदारों के जुज थे और जिनमें मौके पर काश्त तो थी लेकिन कागजात में दर्ज नहीं थी। जमींदार लगान लिया करता था, लेकिन कागज में काश्त दर्ज न होने की वजह से सरकार को मालगुजारी की आमदनी वहां से नहीं हो रही थी। तो इससे रेकर्ड्स ठीक हो जायंगे और गवर्नमेंट को जो वाजिब मालगुजारी मिलनी चाहिये वह मिलने लगेगी। इन १६ जिलों के अलावा मिर्जापुर में सारे परगने दुद्धी में रेकर्ड सर्वे आपरेशन्स हो रहे हैं। एक-एक लेखपाल का बड़ा भारी क्षेत्र है। वहां के रेकर्ड बहुत पुराने जमाने से खराब थे और बहुत दिनों से नहीं हुये हैं। तो वहां सर्वे आपरेशन्स हो रहे हैं और परगना सांगरौली के १५ गांवों में भी रेकर्ड आपरेशन्स हो रहे हैं।

इसके अलावा गवर्नमेंट स्टेट्स का एक आफिसर है। इसमें सब से बड़ी यूनिट है तराई भावर स्टेट आफ नैनीताल। तो हमने यह निश्चय किया है कि जो स्टेट आर्गेनाइजेशन है स्टेट का, उसको डिजाल्व कर दिया जाय और वह सारे काम जो यह आर्गेनाइजेशन करता था वह उन विभागों को सौंप दिये जायं कि जिन से संबंधित वे हैं। तो एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बैंड्री, फारेस्ट और मेडिकल ऐंड हेल्थ आदि के सारे काम उन विभागों के सुपुर्द किये जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि यह सब जल्द ही वाइन्ड अप हो जायगा और नार्मल ऐडमिनिस्ट्रेशन वहां हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ७,००० एकड़ जमीन गवर्नमेंट एस्टेट्स में से उन लोगों से रिज्यूम की गयी थी कि जिनको वह दी गयी थी और जिन्होंने वहां काश्त नहीं की या अपने पट्टे की किन्हीं शर्तों की खिलाफ वरजी की। उन लोगों से यह ७,००० एकड़ रिज्यूम की गयी है और सैकड़ों आदमियों के खिलाफ रिजेम्प्शन की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं। ३,००० नयी फैमलीज कोलोनाइजेशन एरिया में बसाई गयीं। कोई दरख्वास्त आती है और उसको अगर हम मुनासिब समझते हैं तो उनको जमीन दे देते हैं। तो ९,१५७ फैमिलीज आज कुल हो गयी हैं नये सेंटर्स की हमारे कालोनाइजेशन एरिया में और इनके लिये १५७ गांव कायम हुये हैं। इन क्षेत्रों में जो हमने मालगुजारी मुकर्रर की है वह एडहाक बेसिस पर है, ५-६ और ७ रुपये फी एकड़, जमीन को खास कर घाटे से आंक कर। इस पर उन लोगों को कुछ शिकायत है कि साहेब, बाकायदा से टिलमैन्ट नहीं हुआ, इसलिये उसमें गलती हुई। हमने यह आर्डर पहली जुलाई से कर दिये थे, यानी इस फसल से हो गया, कि जहां सर्किल रेट के दुगुने से ज्यादा लगान है वह घटा दिया जाय। मान लो, सर्किल रेट २ रुपये है और उसका लगान हम ५ रुपये ले रहे हैं, तो २ दूनी ४, इसलिये १ रुपया कम हो जायगा। इस तरह से रुद्रपुर और किछा के एरिया में गवर्नमेंट को मालगुजारी में ८० हजार रुपये सालाना का नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारी खत्म हो गई और मुस्तकिल अधिकार किसानों को, शिकमियों को, यहां तक कि बिला तसफिया लगान लोगों को मिले। जो आदमी किसी भी हैसियत से जमीन पर काबिज था और उसका नाम कागज के किसी भी खाने में दर्ज था उसे हमने मुस्तकिल राइट्स दे दिये हैं। इससे जमीन की कीमत भी ज्यादा हो गई।

मालगुजारी की वसूली की खराबी की बात जोरों से कही गई है। मैंने कभी दावा नहीं किया और न करूंगा कि रेवेन्यु विभाग के लोगों से गलती नहीं होती है।

[श्री चरण सिंह]

मैं यह भी दावा नहीं कर सकता कि रेकार्ड में खराबी नहीं है या लेखपाल गलती नहीं करते हैं या अमीन गलती नहीं करते हैं। ९० लाख आदमियों से हजारों आदमियों का वास्ता है, गलती हो सकती हैं। कलेक्टर अपने जिले में और मैं यहां बैठा हूं और गांव-गांव में एक-एक कुटिया से रुपया वसूल करना है तो गलती हो सकती हैं। विशेषकर जबकि हमारा किसान गरीब और अशिक्षित है और इससे ज्यादा यह बात है कि वह अब तक इतन डिमारैलाइज्ड रहे हैं कि अपने अधिकारों को ही नहीं समझते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जितनी उनकी सोशल कांशेंस थी उससे कहीं ज्यादा हमने पंचायतों को और किसानों को अधिकार दिये हैं। वे उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

चन्द्रजीत जी यादव जिस लहजे में और जिस आवाज के साथ कहते हैं मैं उसकी कद्र करता हूं, लेकिन मैं उनको और उनके हमखयाल लोगो को मश्विरा देता हूं कि बात को बढ़ाकर कहने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि लाखों किसान बेदखल हो रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि हजारों बेदखल हो गये होंगे। मैंने कहा कि ५८ लाख शिकमियों के नाम दर्ज थे और २५ लाख ५० हजार एकड़ जमीन केवल उनके पास थी। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा संख्या शिकमियों की थी और ४ लाख ९५ हजार शिकमियों के नाम केवल आजमगढ़ में दर्ज थे। सबसे अधिक थे। जमीन थी ५ में १ एकड़, यानी ६ बिस्वा। ३२ बिस्वे का १ एकड़ होता है। तो आप उनकी गरीबी का अन्दाजा लगा सकते हैं। वे यह आशा नहीं करते थे कि उनको जमीन मिलेगी। मैं चाहूंगा कि कोई साहब इसकी तरदीद कर सकें कि सिवाय उत्तर प्रदेश के कहीं भी शिकमियों को अधिकार नहीं दिये गये हैं, केवल दिल्ली को छोड़ कर जिन्होंने हमारे ऐक्ट की पूरी-पूरी नक़ल की है। लेकिन उसका कुल रकबा ३,८६,००० एकड़ था और वह कास्मोपालीटन स्टेट थी, अब वह नहीं रही। लेकिन जब यह डिबेट अखबारों में जायगी कि लाखों किसान बेदखल हो गये हैं तो दुनिया यह समझेगी कि लाखों टिनेन्ट्स बेदखल हो गये हैं। मैं अर्ज करता हूं कि एक भी टिनेन्ट की शिकायत होने पर सारी रेवेन्यू मशीनरी घूम जाती है।

मैं यह तो नहीं कहता कि मेरे दिल में गरीब आदमी के लिये दर्द गेंदा सिंह जी, राजनारायण जी, या दुबे जी या चन्द्रजीत जी से अधिक है, मगर यह जरूर कहता हूं कि उनसे कम नहीं है। मैं जब कांग्रेस के कुछ लैजिस्लेटर्स से बातें कर रहा था तो उन्होंने बतलाया कि हमने किसानों को समझाया मगर वे इस्तीफे दे रहे हैं। चन्द्रजीत जी ने कहा रेकार्ड मुस्तकिल कर दीजिये, इस्तीफा अदालत में दिये बगैर न माना जाय। मैं ११५ (सी) का जिक्र करने वाला हूं, सेक्शन २०, जमींदारी अबालीशन एंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट का कहना है कि जिस आदमी का नाम दर्ज है, यह नहीं कहता कि जिसका कब्जा है, इस पर हमारे लीगल ऐडवाइजर बराबर कहते रहे कि चौधरी साहब उसका कब्जा भी साबित करना होगा लेकिन फारचुनेटली फार दीज पीपुल, हाई कोर्ट ने नाम की एंट्री काफी मानी। हमारे सेक्शन को उन्होंने वैलिड करार किया है। कब्जे के शब्द की जरूरत नहीं है। सब लोगों की ओर से जो भी प्रचार हुये होंगे, फिर भी लोगों ने इस्तीफे दिये और उसका कारण है कि जिनका कब्जा नहीं था उन्होंने कहा कि हम बेईमानी नहीं करेंगे---हमने कब्जे की शर्त रखी कि गरीब आदमी सभी बेदखल हो जाते।

दूसरा कारण इस्तीफे का यह था कि दबाव के कारण दिया और कचेहरी में जाकर बयान दिया कि ३० अक्तूबर, १९५४ तक, जब हमारा संशोधन नाफिज हुआ था, हमारा कब्जा नहीं है और मैं छोड़ने को तैयार हूं। ऐसी सूरत में गांव पंचायत की जमीन हो जाती है। जहां वह कहते हैं कि मेरा कब्जा कभी, १० वर्ष पहले या ५० वर्ष पहले भी नहीं था तो वह लैन्डहोल्डर्स को मिल जाती है। इस तरह से बयान लोगों से दिलाये गये हैं। मुझे खुशी है कि ऐसे लोगों की तादाद एकाध पार्ट को छोड़कर सारे सूबे में अधिक नहीं है। कुछ लोग गरीब भी थे, उन्होंने भी दस्तबरदारी की १०-१५ परसेंट पर। यहां तक हुआ कि

मुझसे कलेक्टरों ने आकर बतलाया कि मैं कनविन्सड हूं कि फलां आदमी का कब्जा है, लेकिन मेरे सामने वह इंकार करता है। और कहता है कि मेरा कब्जा नहीं है। अब बताइये इस दिक्कत को कौन दूर करेगा? लेखपाल करेगा या तहसीलदार करेगा? यह तो नान आफीशियल लोगों का जो पब्लिक के सरवेंट्स का काम करते हैं, उनका कर्त्तव्य है। इस तरह के लोग लाखों की तादाद में हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। हम नहीं चाहते हैं कि उससे जमीन छूटे लेकिन वह कहता है कि हमारा कब्जा कभी था ही नहीं। ६-६ बिस्वा जमीन का औसत आता है, फिर भी हम उसको देना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के कुछ कहने पर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं हजार बार कह चुका कि कांस्टीट्यूशन चेंज कराओ तो फिर ऐसा हो सकता है कि रामसुन्दर पांडेय जी जो आकर कह दिया करें और मैं बिना तहकीकात के उस पर आर्डर दे दिया करूं और वही फैसला अंतिम हो। लेकिन डेमोक्रेसी के तो यही माने हैं कि दोनों ओर के आदमियों को मौका मिले और फिर फैसला होने के बाद भी एक मौका अपील का कम से कम मिले। दीवानी अब मेरे कुछ अधीन तो है नहीं और न मेरे अधीन वह होनी चाहिये। इसलिये गरीब आदमी को वहां जाने में कष्ट होता है, लेकिन उसका इलाज क्या है? अगर अदालत जाने के लिये उसके पास पैसा नहीं है तो आप चन्दा कर दीजिये लेकिन उसका गवर्नमेंट के पास और कोई इलाज नहीं है।

अब रही कागजात की दुरुस्ती की बात। बहुत दिनों से मुझे इसकी चिन्ता थी। बहुत सोचने के बाद मैंने यह आर्डर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स अपनी-अपनी कांस्टीट्युएंसीज में लोकल लेजिस्लेटर्स से यह अपील करें कि वे अपनी-अपनी कांस्टीट्युएंसीज में ५-५ गांव स्वयं चुन लें और वह भी अपनी मर्जी के मुताबिक, और जब दुरुस्ती रिकार्ड हो तब वे साथ रहें। पहले लेखपाल पड़ताल करेगा, उसके बाद आफीसर उस पड़ताल को चेक करेगा, उसको आप देखें।

एक सदस्य--इसका कानूनी पहलू क्या है?

श्री चरण सिंह--इसकी कानूनी पोजीशन कुछ भी हो लेकिन आपको उसके देखने का तो मौका मिलेगा। उससे कोई खराबी नहीं होगी। फिर भी मैं उसको साफ कर दूं। पड़ताल लेखपाल करता है और आफीसरान का फर्ज उसकी जांच करना है। जब पड़ताल के समय गांवों के आदमी जा सकते हैं तो उनके नुमाइन्दे भी जा सकते हैं। तो उससे एक फायदा तो यह होगा कि लेखपाल और रेवेन्यु आफीसर को यह मालूम होगा कि पब्लिक के रिप्रजेंटेटिव को उसके चेक करने का मौका होगा तो उनकी काम करने की एफीशियेंसी में और उनकी आनेस्टी में बढ़ोत्तरी होगी। इसके अतिरिक्त एक फायदा मेरा भी होगा और मुझे विश्वास है कि इस सदन के वे माननीय सदस्य जो लेखपालों की बेईमानी की बात कहते हैं और जिनकी बात सिर्फ गलतफहमी पर मबनी होती है, उनमें कमी आ जायगी। (श्री ऊदल के कुछ कहने पर) ऊदल जी को यह बात नापसन्द मालूम होती है। अगर आप पांच गांवों में जायं और आपको कोई गलती भी न मिले फिर भी अगर आप अपनी ही बात पर कायम रहें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं भी वहां से यह इत्तिला मंगाने वाला हूं कि कौन-कौन एस० एल० ए० वहां गये और यह भी पता लग जायगा कि किस गांव में कितनी गलतियां पायी गयीं। यदि पायी गयी, तो पहले जब आफिसर जांच करते थे तब भी उनको सजा मिलती थी और अब पायी जायंगी तो अब भी उनको सजा मिलेगी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आप लोग शांत रहें।

श्री चरण सिंह---मैं यह अर्ज कर रहा था.....

श्री राजनारायण---मैं जानना चाहता हूं कि ५ से ज्यादा एम० एल० एज० भी जाना चाहें तो जा सकते हैं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, क्योंकि बात यह है कि इससे आफिसरों पर भी बंधन हो जायगा। इससे उनके प्रोग्राम में भी गड़बड़ी हो सकती है। अगर माननीय राजनारायण जी डिप्टी कलेक्टरी का काम करना चाहें तो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने उनको भेजा जायगा और अगर वे उसमें आ गये तो जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर सकेंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं....

श्री चरण सिंह---मैं ईल्ड नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो इसके लिये आप उनको मजबूर नहीं कर सकते।

श्री चरण सिंह---मैं कोई बचना नहीं चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं श्री राज नारायण जी से दरख्वास्त करूंगा कि मैं केवल अपनी ही बात कह रहा हूं, जो ऐतराजात किये गये हैं उनका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण---उसके लिये हम एक घंटा समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर देंगे।

श्री चरण सिंह---गत अगस्त के महीने में हमने यहां से अहकाम भेजा है कागजात की दुरुस्ती के सिलसिले में, अधिवासियों के झगड़े के सिलसिले में और काबिन और गैर काबिज के मामले के सिलसिले में कि ऐसे मामले को रेवेन्यू आफिसर्स हत्तुलइमकान गांवों में जाकर तय करें।

एक सदस्य---ऐसा होता नहीं है।

श्री चरण सिंह---मैंने कहा कि गत अगस्त में बोर्ड आफ रेवेन्यू को आर्डर जा चुका है, वहां से वह कमिश्नर को जायगा। जो नार्मली विंटर टूअर होता है, ३ महीने का उसमें तो वे जाते ही हैं लेकिन बाकी के ९ महीने में भी हर महीने में कुछ दिनों के लिये वे गावों में जायं। बराबर तो वे जा नहीं सकते क्योंकि और कामों का हर्ज होगा। फिर यह भी याद रखें कि यह कोई ब्लेसिंग नहीं है कि वकील मौके पर जाय। क्योंकि जब वकील गांव में तहसीलदार के सामने जायगा तो वह किसान से अपना मेहनताना लेगा। यह चीज हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हैं और इसके लिये हमने कलेक्टर्स को लिख दिया है, अभी कोई फाइनल आर्डर नहीं है। बतौर एक्सपेरिमेंट के हम यह चीज कर रहे हैं। उसके बाद रिपोर्ट आयेगी और उसके बाद हम नतीजे को एसेस कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, रिमार्क्स, खसरा के कालम के लिये कहा गया है कि उसको लेखपाल अब्यूज करते हैं। ठीक है, कभी-कभी अब्यूज करते हैं। इसके लिये लेखपाल को आर्डर दिया गया है कि जो रिमार्क्स कालम में दर्ज हो उसकी ५ नकल वह तैयार करे, जिसकी एक-एक नकल तो दोनों फरीकैन को देगा, एक गांव पंचायत के प्रधान को देगा, और उसके नीचे इन्द्राज का डेट भी लिखेगा ताकि नम्बरवार रोजनामचे में कोई चीज आगे पीछे न हो जाय और किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। इसके बाद एक कापी वह कानूनगो को देगा जो मौके पर जाकर उसकी वेरिफाई करेगा, ये सारी शर्तें हैं, लेकिन फिर मैं समझता हूं और जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इसमें लेखपाल का कोई

कसूर नहीं है। जो पुराने रेकार्ड्स थे वे बहुत खराब थे, उसी की वजह से ज्यादा गड़बड़ी होती है और मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि यह काम करना फिजिकली असम्भव है, क्योंकि ऊपर से जो बोझ आता है वह बहुत ज्यादा हो जाता है। हमने अब काफी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। पिछले साल १८,००० लेखपालों में से ३,६०० लेखपालों के खिलाफ यानी २० फीसदी के खिलाफ कार्यवाही हुई। यह सही है कि वे अपने इस अधिकार का एब्यूज करते हैं लेकिन इससे किसी का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन यह जरूर है कि उसकी वजह से कौजदारी के मुकदमे कायम हो जाते हैं। जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। केवल यही एक पावर लेखपाल को रह गई है। जहां पहले हजार पावर थीं और यह नेचुरल बात है कि जब किसी को पावर होंगी तो उनका एब्यूज भी होगा मिसयूज भी होगा जब अब पावर कम हैं तो यह एब्यूज और मिसयूज भी कम होगा। पहले पावर्स कितनी थीं और आज कितनी हैं? जब पहले आज से १२ गुना पावर थीं तब मिसयूज या एब्यूज का इमकान ज्यादा था या अब ज्यादा है।

पावर उस के इन्दराज की दी जाय या न दी जाय इस पर रेवेन्यू स्टैंडिंग कमेटी में पूरे दिन भर बहस हुई थी और पूरा गौर खौज हुआ था कि इस का क्या इलाज किया जाय। सवाल यह उठा था कि अगर यह अधिकार न दिया जायगा तो वह पड़ताल ही नहीं करेगा और उस हालत में फिर लेखपाल की जरूरत ही क्या रह जायगी? उसके बाद दो तीन बार तजुर्बेकार कलेक्टरों को बुलाकर इस मामले पर बहस हुई और २ साल के बाद रेवेन्यू स्टैंडिंग कमेटी इस नतीजे पर पहुंची, मैंने बीच में फिर एक बार कहा कि अभी यह फाइनल नहीं है अभी और गौर किया जायगा और फिर बाद में कलक्टरों को बुलाया गया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लेखपालों को इन्दराज का अधिकार दिया जाय। बाज काम ऐसे होते हैं कि जिन में खराबियां होती हैं लेकिन उनके न करने से और अधिक खराबियां पैदा होती हैं, २ इविल्स में से च्वाइस करना होती है या यों कहिये कि २ गुड्स में स च्वाइस करना होती है, कुछ न कुछ खराबी तो रहती है, एबसोलूट तो दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। देखना यही होता है कि सब से कम बुराई किस में है। बहुत सोचकर यह तरमीम लैंड रेवेन्यू मैनुअल में की गई थी, यह सब पंचायत राज मैनुअल में छापा भी गया है। कुछ फारमेलिटीज फिर भी उसके लिये हमने लाजमी कर दी हैं ताकि वह बुराई कम हो जाय, प्रधान को नकल देगा, कानूनगो को उसकी इत्तला देगा, दोनों पक्ष के किसानों को देगा और रोजनामचे में तारीख वगैरह डालकर लिखेगा। इस तरह से कोशिश की गई है कि वह एब्यूज न कर सके। कानूनगो हर इन्दराज को वेरिफाई करके तहसीलदार के पास भेजेगा और तहसीलदार दोनों को बुलाकर एंट्री के संबंध में अपना फाइनल फैसला देगा। लेखपाल की एंट्री वहीं खत्म नहीं होती वह फालो होनी, चाहिये ऊपर के अफसर तक, अगर कोई झगड़ा होगा तो शायद एस० डी० ओ० तक भी जाने का प्राविजन है।

अब कानूनी शक्ल तो यह है, इम्पलीमेंटेशन में खराबी हो सकती है। अगर चीजे हमारे नोटिस में लाई जाती हैं तो उनका उपाय होगा। मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से चाहा था कि जो इस तरह की चीजें हैं उन सबकी एक नकल सब सदस्यों को भी मिल जाय। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी इतनी कापीज उसकी नहीं हैं। अब मैंने उनसे कहा है कि जो इस तरह के सब आर्डर्स हमारे पास हैं उन सबको एक जगह कर के एक छोटी सी बुकलेट की शक्ल में छपाकर एम० एल० एज० के पास भेज दिया जाय और आशा है कि दस बीस दिन के अन्दर वह आपको मिल जायगी।

यह मैंने वह अर्ज किया कि जो अगर कोई स्पीचेज मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से न होती उस हालत में मैं अर्ज करता। अब जो बातें...लाल झंडी हो गई....

श्री राजनारायण---मेरा प्रस्ताव यह है कि मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर माननीय चरण सिंह जी दें क्योंकि जो बातें कही जायंगी वह किसानों की भलाई के लिये ही होंगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जब तक वह उत्तर दें तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री चरण सिंह---साढ़े ५ तक कर दिया जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजनारायण---हमारा उत्तर देने का समय उन्हें अवश्य दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप देखेंगे कि आगे भी कार्य-क्रम है, इसलिये अगर सदन बढ़ जाता है तो फिर हाउस ६ बजे तक चलेगा, ऐसी हालत में कटि नाई होगी।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---६ बजे तक चल जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री चरण सिंह---६ बजे तक यदि चल जाय तो क्या हर्ज है, उपाध्यक्ष महोदय ?

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---हमारा प्रस्ताव है कि समय बढ़ा दिया जाय जब तक चौधरी साहब बोलें और उसके बाद अगला कार्य-क्रम आ जाय।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रस्ताव स्पष्ट है और इसको दुबे जी भी सुन लें। हमें कुछ प्रश्न पूछना है, यदि आप कहें तो पूछ लें और सफाई करा लें।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपाकर बैठिये। अब प्रश्न पूछने का समय नहीं है।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन्, हम समय बढ़ाना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

श्री चरण सिंह---मैं आपका मश्विरा माने लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप दस मिनट तक बोल लें। उसके बाद अनुदान ले लिये जायंगे।

श्री चरण सिंह---माननीय यादवेन्द्र दत्त जी ने कहा कि १,११,००,००० एकड़ कल्टीवेबिल वेस्ट एरिया है। इसलिये उसको बांट दिया जाय। लेकिन यह जो कल्टीवेबिल वेस्ट एरिया है क्या यह वाकई है ? यानी कृषि योग्य भूमि जो लेखपाल के कागज में लिखी है। वैसे तो मोटा सा क्लासीफिकेशन है और हर जमीन कल्टीवेबिल हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि वह जमीन आर्डिनरी कास्ट से कल्टीवेबिल हो जाय, उसे समझा जाय। तो ऐसी जमीन मुश्किल से दस बीस लाख एकड़ होगी वैसे जितनी भी कल्टीवेबिल जमीन होती है वह गांव समाज की होती है, क्योंकि कुछ न कुछ एरिया नान कल्टीवेबिल जमीन का चाहिये ही। इसलिय हमने कह दिया है कि गांव समाज के पास दस प्रतिशत से ज्यादा हो तो वह उठा दिया जाय। अभी मैं बांस गांव में गया था। मैंने पूछा कितनी आमदनी है ? कलक्टर साहब ने कहा कि कल्टीवेटेड लैंड ही नहीं है। जहां है वहां गांव पंचायतों का अधिकार है। लेकिन हमने लाजमी करार नहीं दिया है, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कि कौन सी जमीन है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---हरिजनों के लिये रिजर्व कर दी जाय।

श्री चरण सिंह---हरिजनों के लिये तो रिजर्व है। लेकिन मैंने हरिजन लफ्ज रखना मुनासिब नहीं समझा और ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स रखा है और पहले से है। जो माननीय राजनारायण जी ने कहा कि पहले हरिजन लफ्ज था और बाद में निकाल दिया गया और बाद में बोली बोली जाती है, यह बात गलत है, ऐसा नहीं है। हमेशा से ऐसा ही था और ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिये कोई बोली नहीं बोली जाती है, केवल सरकुलेट कर दिया जाता है। अगर किसी जमीन के दस आदमी लेने वाले होते हैं और छोटे किसान हैं तो बोली बोली जाती है और अगर ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं तो लाट निकाली जाती है।

फैमिन रिलीफ फंड , माननीय नारायणदत्त जी चले गये, उन्होंने कहा था कि कोई फंड ही कायम नहीं किया गया है । हर साल किताब पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं और यह फेमिन रिलीफ फंड ऐक्ट सन् १९३६ का बना हुआ है । कहते थे कि ऐग्रीकलचरल कैलेमिटीज के लिये कोई फंड नहीं है । इसमें लिखा है-

"Whereas it is expedient to provide for the establishment and maintenance in the United Provinces of a fund for utilization on occasions of serious famine and of distress of a serious nature arising from drought, flood or other natural calamities."

सब चीजें उसमें मौजूद हैं । यह फंड है ५५ लाख का, हमेशा रहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड की । रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड की बात हमेशा कही जाती है । If for no other reasons at least for this I would not distribute land because my friends would be deprived of this slogan. क्योंकि अच्छा है कि गलतफहमी में इसी का नारा लगाते रहें । उपाध्यक्ष महोदय, 'ऐग्रेरियन रिफार्म इन उत्तर प्रदेश' नाम की एक पुस्तिका गवर्नमेंट की तरफ से छपाकर सब लोगों को दी गई थी । अब मैं तो यह नहीं कहूंगा कि चन्द्रजीत यादव जी ने उसे नहीं पढ़ा है या जो यह नारा लगाते हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा है । लेकिन उनको यह सूट करता है, कि मैं उन आर्ग्यूमेंट्स को रिपीट नहीं करना चाहता । कहां है वह जमीन जो तकसीम होगी ?

एक सदस्य--हदबन्दी करिए ।

श्री चरण सिंह--हदबन्दी कहां होगी, ५० पर होगी या ३० पर होगी या १० पर होगी, कहां होगी ? जब दस पर भी करा डालिएगा even then there will be landless labourers लिहाजा मैं उन आर्ग्यूमेंट्स को दोहराना नहीं चाहता । ५ लाख ७० हजार एकड़ जमीन जो प्लानिंग कमीशन ने उसूल रखा है उसको अगर एप्लाई करते हैं जो आज अवेलेबुल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिये जब कि ४ करोड़ ५२ लाख एकड़ जमीन लोगों की होल्डिंग्स में मौजूद हैं । ९० लाख किसानों में से दो तिहाई हमारे यहां ऐसे किसान हैं जिनके पास अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं । ६० लाख ऐसे किसान हैं और वह साढ़े सात परसेंट नहीं हैं, हिसाब गलत है यादवेन्द्र दत्त दुबे जी का, ५.७ परसेंट हमारे यहां लेबरर्स हैं केवल उनको दे दो या अनइकोनामिक लेबरर्स को दे दो, सब के पैरों में बेड़ियां डाल दो, दो-दो एकड़ की । इससे नुकसान होगा सूबे का । लेकिन अगर उनको देना भी चाहों तो उनकी जमीन नहीं है । फिर लार्ज लैंड होल्डिंग्स के सिलसिले में कुछ बात कही गई । उपाध्यक्ष महोदय, केरल की गवर्नमेंट के बारे में कहा चन्द्रजीत जी ने । एक साहब ने कहा कि दस गुना लिया जा रहा है लगान का । केरल में भूमिधर बनने के लिये क्या लिया जा रहा है ? परमानेंट टिनेंट वहां वह करार दिया जायगा जो दस साल से काबिज हो । वह खरीद सकता है १५ गुना लगान देकर के इंस्टालमेंट्स में, वरना १२ गुना रेंट देकर के ।

एक सदस्य--वह भी मजबूर हैं आपके कांस्टीट्यूशन से ।

श्री चरण सिंह--उनको दस के बजाय ६ करने से कौन रोकता था ? कम्पेंसेशन देना जरूरी था जब हमने बिल पेश किया था, अब आज वह जरूरी नहीं है । दस की जगह ६ कर सकते थे, १२ किया । और उनके रेंट के डिटरमिनेशन का तरीका या है ? प्रोडक्शन के १/४ से १/१२ तक जब कि हमारे यहां १/१५ से १/२० है । उस पर कहा जाता है कि लगान घटाओ, ज्यादा है । यह बिल मेरे पास मौजूद है । चन्द्रजीत यादव

[श्री चरण सिंह]

जी ने कहा यह कि रेवेन्यू मिनिस्टर ने मेरे पास एक कटिंग भेज दी है। कटिंग नेशनल हेरल्ड की है उपाध्यक्ष महोदय, वक्त तो हो ही गया, जरा सा सुनाकर मैं समाप्त कर रहा हूं।

"EVICTION FROM GOVERNMENT LANDS.
FIVE MORE ARRESTED IN KERALA AGITATION

Tellicherry, Oct. 16. Five persons including three Harijans were arrested yesterday for offering passive resistance against the Kerala Government's action in evicting nine Harijan families from Government Poromboke lands unauthorisedly occupied by them in the village of Kattampalli five miles from Cannanore."

मैंने यह कटिंग सिर्फ इसलिये भेजी थी कि कल एक साहब भीखा लाल जी यह कह रहे थे या कोई साहब कह रहे थे कि साहब गवर्नमेंट की जमीन पर लैंड-लेस लोगों ने कब्जा कर लिया तो उन्हीं को दे दी जाय। तो मेरा कहना था कि कोई गवर्नमेंट यह नहीं चाहेगी कि उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाय और उनको बेदखल न कराये। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने यह ठीक किया कि उन लोगों को जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उनको बेदखल ही नहीं कराया बल्कि जेल भी भेजा। अनऔथोराइज्ड पाजेशन जिन लोगों ने किया है वे हैव बीन इजेक्टेड। केवल इस प्वाइंट को मैंने कहा था। ऐंड दे मस्ट बी इजेक्टेड। इन शब्दों के साथ में फिर अनुदानों को सदन की स्वीकृति के लिये पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—कृषि आय-कर की लेखा शीर्षक ४—उगाही पर व्यय के अन्तर्गत १ रु० की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७ मालगुजारी (भू-राजस्व)— के अन्तर्गत १ रु० की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन के अन्तर्गत १ रु० की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४ दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत १ रु० की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक ४—निगम कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत ३,१४,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—मालगुजारी (भू-राजस्व)—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत ५,६८,७२,५०० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में १०४,

विपक्ष में ४२।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२––उपनिवेशन––लेखा शीर्षक ४०––कृषि के अन्तर्गत ५५,४३,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिय स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५––दुर्भिक्ष सहायता––लेखा शीर्षक ५४––दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ३६,६६,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गुड़ और खांडसारी गृह उद्योगों को प्रोत्साहन से सम्बन्धित ३–२–५८ के तारांकित प्रश्न २६ के विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष––अब गुड़ और खांडसारी गृह उद्योगों को सरकार द्वारा दिये गय प्रोत्साहन से संबंधित श्री जगदीश शरण अग्रवाल के ३–२–५८ के तारांकित प्रश्न २६ और उसके उत्तर पर वादविवाद होगा ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं कुछ निवेदन करूं मैं आपके द्वारा माननीय सदन से क्षमा चाहता हूं इस धृष्टता के लिये कि मैंने उसके ३० मिनट लेने की चेष्टा की । सफाई में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह धृष्टता इसी विश्वास पर की है कि विषय के महत्व को देखते हुए वह अवश्य क्षमा करेंगे और कदाचित् इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसके मनन के लिये अभी और भी अधिक समय की आवश्यकता है––इस सदन के लिये भी और सरकार के लिये भी ।

श्रीमन्, आज मुझे इस सदन में यह निवेदन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि हमारे प्रदेश में जो बेकारी की भयंकर समस्या है उसको दूर करने के लिये एक मात्र उपाय काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना है । इस सिद्धांत को, प्लानिंग कमीशन भी स्वीकार कर चुका है और एक मत से केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार भी स्वीकार कर चुकी हैं । मेरी एक शिकायत है कि काटेज इंडस्ट्रीज के लिये जो प्रोत्साहन इस सरकार को देना चाहिए वह सरकार नहीं दे सकी है और जो कुछ भी प्रयत्न इस विषय में हुआ है उसमें खानापुरी ज्यादा है और वास्तविकता कम ।

श्रीमन्, इस समय केवल गुड़ व खांडसारी पर ध्यान दिलाते हुए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिये यह सब से महत्व का गृह उद्योग है । इसका महत्व केवल इस बात से सिद्ध हो जाता है कि हमारे प्रदेश में जो गन्ने का उत्पादन होता है उसका ६० प्रतिशत केवल गुड़ और खांडसारी के द्वारा काम में आता है । ये बड़ी मिलें अपनी सारी शक्ति के बाद भी ३० प्रतिशत से ज्यादा गन्ने को नहीं खपा पाती हैं । इसलिये आवश्यक है कि जिस प्रणाली के द्वारा प्रदेश का ६० प्रतिशत गन्ना पेरना हो उसको प्रोत्साहित करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जाय ।

श्रीमन्, जो प्रश्न मैंने इस विषय में किये थे और जो उत्तर प्राप्त हुए उनसे मुझे ऐसा लगा कि सरकार की केवल एपेथी ही नहीं एही बल्कि लेमेन्टेबिल इग्नीरेंस भी इस विषय में है और इस इंडस्ट्रीज के लिये जो विशेष आवश्यकतायें हैं जिनके द्वारा यह पनप सकती है उसके ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

श्रीमन्, इसके महत्व के बारे में इतना निवेदन और कर दूं कि आज जो खांडसारी और गुड़ का उत्पादन होता है उसका मूल्य सौ करोड़ रुपये के करीब होता है। इस समय २८ लाख टन गुड़ हम प्रतिवर्ष बना रहे हैं और प्लानिंग कमीशन ने जो टार्गेट्स फिक्स किये हैं उसमें ४० लाख टन तक हो जाने की आशा की गयी है। तो, श्रीमन्, जैसा कि अभी आल इंडिया गुड़ और खांडसारी कानफ्रेन्स के प्रधान पद से श्री मेहता जो बम्बई के फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं और खादी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं कह रहे थे और समय-समय पर और जगहों पर भी कहा गया है। अगर हम केवल गुड़ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें तो २ रुपये प्रति मन मूल्य हम काश्तकार को ज्यादा दिला सकते हैं और उसके फलस्वरुप हम काश्तकार की जेब में आसानी से १८ करोड़ रुपया सालाना अधिक डाल सकते हैं। तो यह कितने महत्व की चीज है? जिस काटेज इंडस्ट्री पर तवज्जह देने से १८ या २० करोड़ रुपया काश्तकार की जेब में प्रति वर्ष अधिक आ सकता है उस ओर अगर उचित ध्यान न दिया जाय तो वह दुःख का विषय हो जाता है।

(इस समय ५ बजकर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासन हुए।)

श्रीमन्, जो प्रश्न मैंने किया था उसमें जो मूल बात थी वह यह है कि एक सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गन्ने से जो रस निकाला जाता है गुड़ और खांडसारी प्रथा द्वारा, उसमें निश्चित बात है कि कुछ वेस्टेज होता है, कम रस निकल पाता है। तो उस रस के एक्सट्रैक्शन की मात्रा में अधिक से अधिक उन्नति होनी चाहिये। मेरी शिकायत है कि इस विषय में जो स्टेप लिये गये हैं वह बिलकुल अपर्याप्त हैं। कुछ हुआ अवश्य, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए जो कुछ हुआ है वह बहुत कम है।

दूसरी शिकायत यह है कि इसके लिये अलग-अलग एजेंसीज हैं, खादी बोर्ड यू० पी० सरकार का गुड़ सेक्शन, इंडियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी इत्यादि और इनके बीच में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो कोआर्डिनेट कर सके, जो सारा ज्ञान इस विषय में प्राप्त किया गया है उसको ही पूल कर सके। एक और बेसिक बात यह है कि यह अनुसंधान करने वाले यह नहीं समझते हैं कि जब बड़ी मिलों के हित के लिये कोई अनुसंधान किया जाता है तो उनके बड़े-बड़े एसोसिएशन्स हैं, उनकी बड़ी शक्ति है, वह उससे लाभ उठाने के लिये अपने विशेषज्ञों द्वारा तैयार रहते हैं और उसका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन अगर गुड़ और खांडसारी में कोई अनुसंधान किया जायगा वह तब ही सफल हो सकेगा जब अनुसंधानों को हम काश्तकारों के दरवाजे तक ले जा सकें, उनको ऐसे रूप में रख सकें जिससे वह यह समझें कि उनके हित की चीज है, उनके कंजरवेटिज्म में कमी हो और अपनी स्लो रिसीविंग कैपेसिटी के बावजूद भी उसको वह डाइजेस्ट कर सकें। यह चीज हमारे सामने रहनी चाहिये। इन लिमिटेशन्स को अगर हमने ध्यान में नहीं रखा तो जो कुछ हम करते हैं उससे कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे।

दो एक बातों की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी पिछले साल सन् १९५६ में एक डेलीगेशन डेवलपमेंट काउन्सिल गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया गयी थी। उसने इस बात की रिकमेंडेशन की थी कि गुड़ को एक्सपोर्ट करने की बड़ी सम्भावना है। अभी पिछली दफा जब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर यहां के उस ही आल इंडिया गुड़ और खांडसारी कान्फ्रेन्स में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने स्वयं आश्वासन दिया था कि सरकार इस ओर ध्यान देगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ध्यान नहीं दिया गया।

एक मोटी सी बात आपकी आज्ञा से माननीय सदन के सम्मुख और रखना चाहता हूं। जब गुड़ की फसल होती है उस समय गुड़ को प्राथमिकता नहीं मिलती है और प्राथमिकता न मिलने के कारण काश्तकार को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मिडिलमैन, बीच का आदमी, तसवीर में आ जाता है और जब कि गुड़ सस्ता होता है, जबकि वह कंज्यूमिंग सेंटर्स

को नहीं जा पाता है तो मिडिलमेन उसको खरीद लेते हैं और जब वह मंगहा होता है तो उसको बाहर भेज देते हैं और उस फायदे को अपनी जेब में रखते हैं। तो उसको प्राथमिकता दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मैंने प्रश्न किया था कि क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह करने की कृपा करेगी कि वह सीजन में गुड़ ट्रैफिक को वही प्राथमिकता दें जो चीनी मिल की शुगर को दी जाती है, तो उत्तर दिया गया कि प्रदेशीय सरकार इसको जरुरी नहीं समझती।

मैं इतना कहकर समाप्त करता हूं कि इंडियन शुगरकेन सेंटर कमेटी एक आल इंडिया बाडी है जिसका १९४४ से मैं सदस्य हूं। वह एक टेक्निकल बाडी है। जब उसके सामने मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो मिलों के नुमाइंदे बिरला जी जो उसके सदस्य थे वह तक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि गुड़ के लिये वह प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो क्रिस्टल शुगर को मिलती है। मन में जो कुछ भी सोचते हों, वे इस तथ्य को काट नहीं सके। लकिन मुझे शोक है कि उत्तरप्रदेश की सरकार जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, इस गुड़ और खांडसारी की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की वह इसकी आवश्यकता नहीं समझती। मैं समझता हूं कि वे मदद करना तो चाहते हैं लेकिन इस बारे में जानकारी नहीं है। इन तमाम बातों का एक ही तरीका इतने थोड़े समय में मैं बता सकता हूं कि कम से कम इतना स्टेप तो अविलम्ब लिया जाय कि एक कमेटी बनायी जाय जिसमें इस माननीय सदन के सदस्य और इस विषय के एक्सपर्ट्स हों और वे बैठ करके अब तक जो विभिन्न एजेन्सीज ने इस विषय में ज्ञान प्राप्त किया है उसको एक जगह पूल करें और उसको काश्तकार के दरवाजे तक ले जाने के साधन बतायें जिससे हमारे प्रदेश में १ नहीं, २०-२५ करोड़ रुपये की आय-वृद्धि हो सके और हमारे प्रदेश की नेशनल इन्कम बढ़ सके।

श्री अधिष्ठाता---माननीय उद्योग मंत्री।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जो और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनके लिये भी २-३ मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---सबको मिलेगा।

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---अधिष्ठाता महोदय, मैं अग्रवाल साहब का आभारी हूं कि इस सदन के सम्मुख उन्होंने गुड़ और खांडसारी से संबंधित कुछ बातें व्यक्त कीं। यदि इस इंडस्ट्री को देखा जाय तो इसमें दो रायें नहीं हैं कि जितनी तरक्की इस इंडस्ट्री के द्वारा पिछले ४,५, ६, साल में हुई है उससे पहले उतनी नहीं थी। १९३७ में यह विभाग आया, थोड़ा-थोड़ा उसमें कार्य होता रहा। बीच में १९५२ से पहले ४,५ वर्षों के लिये यह समाप्त हो गया था और सन १९५२ से आज तक यह पूर तरीक से जहां तक गुड़ और खांडसारी का संबंध है कार्य हो रहा है। मैं सदन के सम्मुख उन आंकड़ों को पेश करूंगा जिनसे यह सिद्ध हो सकेगा कि उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा इस दिशा में जब कि इस प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या का उस पर भार है क्या क्या प्रगति हुई है। लेकिन यह बात कुछ हद तक मानी जा सकती है कि इसमें बहुत व्यापकता है, इसमें बहुत काम हो सकता था, इससे गरीबों को बहुत लाभ हो सकता है, इससे जो हमारे यहां बेकारी है वह बहुत हद तक दूर हो सकती है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन यह कहना कि इसमें जो कार्य हुआ है वह बहुत कम है, मैं इतना कह देना चाहता हूं कि यदि मैं आपके सामने आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो उससे यह बात पूरे तरीके से जाहिर होगी कि इसमें जैसा कि मैंने कहा, पिछले ५-६ वर्षों में काफी प्रगति हुई है।

बात कही गयी कि काश्तकारों के घर पर जाकर तमाम बातों को बताया जाय। तो माननीय सदस्य की इत्तला के लिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि लखनऊ में ही एक आल

[श्री धर्मसिंह]

इंडिया शुगर-केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका एक हिस्सा इस बात की सर्वे करता है कि किस तरह से हम गन्ने से ज्यादा से ज्यादा रस निकाल सकें और गुड़ की पैदावार को बढ़ा सकें। इस तरह के जो भी आल इंडिया बेसिस पर कोल्हुओं का निर्माण होता है उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा किसानों के पास तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। प्रदर्शनियां होती हैं, प्रैक्टिकल डिमान्सट्रेशन्स होते हैं और इस तरह के बहुत से कार्य किये जाते हैं जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। उदाहरण के तौर पर इस सदन के सन्मुख यदि हम अपने आंकड़ों को देखें तो सन् १९५६-५७ में जो हमने पैसा खर्च किया है वह किन एजेन्सीज के द्वारा खर्च किया गया है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़ खांडसारी का डेवलेपमेंट करने के लिये तकावी और लोन के रूप में इस सरकार के द्वारा १९५६-५७ में ५,२९,७४० रुपया दिया गया है। पब्लिसिटी प्रोपैगन्डा पर कि किस प्रकार से हमारे यहां प्रोत्साहन मिले और कैसे अच्छा कार्य हो उसके २,४८,००० रुपया इसी १९५६-५७ में खर्च किया गया है। सबसिडी के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज को कि वह गड़ का ठीक प्रकार से निर्माण कर सकें और उसमें तरक्की कर सकें, उसके लिये ९६,८०० रुपया दिया है। कामर्शियल परपजेज के लिये १ हजार दिया गया है। खादी कमीशन के द्वारा ३५ हजार रुपया दिया गया है। लोन की ग्रान्ट के रूप में ३ हजार रुपया दिया गया है। फाइनेंशियल कारपोरेशन के द्वारा इस इंडस्ट्री को २,५३,००० रुपया दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पहले १९५३-५४-५५ के आंकड़ों को देखा जाय तो आज जो मैंने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनके आधार पर बहुत काम किया गया है और ११,६०,५४० रुपया इस इन्डस्ट्री के डेवलेपमेंट के लिये इस सरकार के द्वारा खर्च हुआ है। इसी प्रकार से १९५७-५८ में तकावी और लोन के लिये . . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जितना संक्षेप में हो सके उतना कहने का प्रयत्न करें क्योंकि समय बहुत कम है, और भी माननीय सदस्य जानकारी हासिल करना चाहते हैं।

श्री धर्म सिंह—उसी तरीके से १९५७-५८ में भी इस सरकार के द्वारा १३,६०,१६० रुपया इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये खर्च हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, यदि मैं और आगे जाने की थोड़ी कोशिश करूं तो हमने कितने ही लोगों को ट्रेनिंग दी है कि किस प्रकार से कोल्हू को इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से रस निकाला जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मन्त्री कृपया बैठ जायं, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री धर्म सिंह—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि १९५७-५८ में क्या कार्य हुआ है। उदाहरण के तौर पर जैसा मैंने निवेदन किया, मेरे पास उसके कुछ फीगर्स हैं। हमने इस स्कीम को ३८ जिलों में ले रखा है। ६,५३५ गांवों में सर्वे किया है कि किस प्रकार से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाय। हमने कुछ माडेल विलेजेज को चुना है जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में २०२ है। हमने कुछ लोकल आनरेरी वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी है जिनकी संख्या २५५ है। देवला जो खंडसारी और गुड़ बनाने में बहुत सहायक होता है वह हमने ४,८५९ आदमियों में बांटा है। ५९८ गुड़ बनाने के कोल्हू हमने बांटे हैं जिससे ठीक तरह से रस निकल सके और गुड़ अच्छा बन सके। १८६ कड़ाहों का भी हमने इन्तजाम किया है। १२ अच्छी किस्म की भट्ठियों के लिये भी प्रबन्ध किया है ताकि इसकी किस्म अच्छी हो। इसके अलावा और बहुत से कार्य इसके द्वारा हुए हैं। तो मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन इस के लिये यह कहना कि बिलकुल कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक नहीं है। हां, यह ठीक है कि इसके लिये स्कोप है और म माननीय जगदीश शरण जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि इसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाय ताकि गरीबों और किसानों का

फायदा हो। और जहां तक कमेटी की बात है उस पर सरकार पूरे तरीके से विचार कर लेगी, लेकिन मैंने निवेदन किया कि इसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसका एक मुहकमा है। यदि कमेटी बनी भी और उसके द्वारा ठीक प्रकार से सर्वे न हो सका, ठीक प्रकार से इसकी महत्ता को स्थापित न किया जा सका तो उस से कोई लाभ न होगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जगदीश शरण जी को मैं भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, इसलिये कि उन्होंने बहुत जरूरी सवाल की तरफ सदन का ध्यान दिलाया। शायद हम ध्यान दिलाते-दिलाते थक जाते और ध्यान न दिला पाते। मैं यह कहूंगा कि हमारे पास तो केवल धन्यवाद है लेकिन माननीय मन्त्री जी के पास केवल धन्यवाद ही नहीं है, वरन् कुछ करने को भी है। उन्होंने जगदीश शरण जी को धन्यवाद तो दिया लेकिन उनके सुझाव को स्वीकार करने की मेहरबानी नहीं की। कहा कि कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि कमेटी बनाने की जरूरत है। ६ करोड़ मन गुड़ उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और १२ लाख आदमी इस से रोजगार पाते हैं। इसलिये यह एक बड़ा भारी मसला है। १२ लाख आदमियों की रोजी का सवाल इससे संबंधित है और ६ करोड़ मन गुड़ के कारण यह ऐग्रीकल्चरल इकोनामी को काफी हद तक एफेक्ट करता है। इसलिये यह एक भारी समस्या है। पिछले वर्षों में सरकार ने कुछ नहीं किया और जो कुछ उन्होंने कहा है वह तो आंसू पोंछना है। इस समय वक्त नहीं है कि मैं कुछ अधिक निवेदन कर सकूं? लेकिन मैं एक बात की ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर सरकार यह कहती है कि सीजन के वक्त बन्दोबस्त भिजवाने का नहीं किया जा सकता तो कहीं इस बात के पीछे किन्हीं स्थापित स्वार्थों का हाथ तो नहीं है? सीजन के वक्त अगर भिजवाने का बंदोबस्त नहीं हो सकता तो गांव का किसान मजबूर हो कर अपना गन्ना मिल मालिक को देगा। अगर पश्चिमी जिलों में गुड़ और खांडसारी का बंदोबस्त न होता तो मिल वाले और ऐंठ करते, लेकिन गुड़ और खांडसारी वालों ने मिल वालों से ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया और इसके लिये अगर सरकार यह सोचे कि इस वक्त ट्रान्सपोर्ट फैसिलिटी नहीं देंगे, तो हम यह समझने के लिये मजबूर होंगे कि कारखाने वालों से धर्मसिंह जी की और सरकार की ---मैं धर्मसिंह जी की बात नहीं कहता और अपनी बात वापस लेता हूं, लेकिन सरकार का कोई गठ बंधन जरूर है और वह चाहती है कि गांव वाले मजबूर हो कर मिल मालिक को ही अपना सारा गन्ना दें। तो सरकार को इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है। बल्कि इस बात पर सोच कर किसी प्रकार से लाखों करोड़ों रुपया लोगों का बचाया जा सकता है, हमें कोई रास्ता निकालना है।

***श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)---माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो यह कहा कि माननीय मन्त्री जी कमेटी का निर्माण करें ....

श्री अधिष्ठाता---विभव जी, मैं आपका एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह आधा घंटे का समय केवल प्रश्नोत्तर के लिये है। हरएक माननीय सदस्य अगर बोलना शुरू कर दें तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। आप जानकारी हासिल करना चाहें तो करें और अगर आप को कोई राय जाहिर करना है तो आप अपनी राय जाहिर करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री देवकीनन्दन विभव--मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या जो खांडसारी की है कि इसका परसेंटेज आफ प्रोडक्शन बहुत ही कम है, यानी ६ परसेंट के करीब है जब कि हम देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में वह १० प्रतिशत से भी ज्यादा हो जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी से वह मालूम करना चाहता हूं कि क्या वह इस बारे में कोई यत्न कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कोल्हू बांटे गये, लेकिन पुराने तरीके के कोल्हुओं से कुछ होने वाला नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता था और सुझाव भी देना चाहता था कि गवर्नमेंट को खांडसारी के संबंध में अपना एक विशिष्ट प्रोग्राम बनाना चाहिये और उसमें विशेष-रूप से इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि खांडसारी उद्योग में शुगर का परसेंटेज काफी बढ़े, क्योंकि जब तक वह नहीं बढ़ेगा, तब तक यह इंडस्ट्री जीवित रहने वाली नहीं है और न उससे कोई ज्यादा लाभ ही होगा। इस विषय में अगर वे कोई अन्वेषण करा सकें तो करायें। वे इस बात को भी स्वीकार कर लें कि एक कमेटी का निर्माण हो।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि कोल्हू के जरिये से जो रस निकलता है वह ५५ प्रतिशत निकलता है, जब कि मिल के अन्दर ८५ प्रतिशत तक निकाला जाता है? इसलिये ऐसी जानकारी हासिल की जाय जिससे ज्यादा रस निकल सके।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि सरकार गुड़ की सफाई के लिये ज्यादा कोशिश करे। गुड़ इतना साफ हो कि चीनी की तरह चमके। अगर इस प्रकार का गुड़ बनाकर तैयार किया जाय तो १२ आना सेर तक बिक सकता है।

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जब गुड़ हिन्दुस्तान से जापान गया था तो वहां के साइंटिस्ट्स ने गुड़ में से बहुत सी चीजें ईजाद की थीं। स्पिरिट निकालने की कोशिश की थी। वहां के साइंटिस्ट्स ने कहा था कि गुड़ के मैले में से बहुत सी चीजें निकल सकती हैं-- एक मोम निकल सकता है। इसी प्रकार से खोई से कागज बनाया जा सकता है। इस प्रकार से कम से कम ११ उद्योग उसमें से पैदा किये जा सकते हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कमेटी बनायेगी जो खांडसारी के सिलसिले में ऐसे उद्योगों की स्थापना कर सके?

एक बात यह भी है कि फसल के मौके पर गुड़ इतना सस्ता हो जाता है कि किसानों की कमर टूट जाती है लेकिन चीनी का भाव नहीं गिरता है, साल भर तक वही रहता है जब कि हर साल देश में चीनी की पैदावार ज्यादा होती जा रही है और ३ करोड़ मन से ज्यादा चीनी होती है। लेकिन फिर भी चीनी का भाव नहीं गिरा लेकिन गुड़ का भाव क्यों गिर गया, इसकी जानकारी सरकार दे।

श्री अधिष्ठाता--अब केवल दो मिनट रह गये हैं, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बलवान सिंह--मैं तो सिर्फ जानकारी के लिये संक्षेप में यही माननीय मन्त्री जी से सुनना चाहता हूं कि गुड़ के अन्दर परसेंटेज निकाला जाय, मैली से चीजें बनायी जायं, खोई से काटेज इंडस्ट्रीज कायम की जायं, किसानों के लिये अच्छे किस्म के गन्ने सप्लाई किये जायं और गन्ने में रस का परसेंटेज ज्यादा आये, इसके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री धर्मसिंह--अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि एक-एक करके प्रश्न किया जाता तो उसका मैं ठीक से जवाब दे सकता था लेकिन फिर भी जो कुछ हो सकेगा इतने कम समय में संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन---चूंकि समय कम था इसलिये एक साथ ही इन्होंने सवाल कर दिया।

श्री धर्म सिंह---जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है, मैंने शुरुआत में ही निवेदन किया था कि सरकार की तरफ से इस तरह का प्रबन्ध किया गया है कि गन्ना जो पैदा होता है उसका रस निकालने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो ताकि उससे ज्यादा रिकवरी हो सके। इसके लिये इस तरह के कोल्हुओं का प्रबन्ध किया गया है जिससे ज्यादा रस की रिकवरी हो सके।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---डिस्टर्ब न करें।

श्री धर्मसिंह---यह कहा गया कि सरकार किसी चीज में पकड़ जाती है उसी से दाम गिरता है, और इम्पोर्ट का भी जिक्र किया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी सदस्यों को मालूम होगा कि कई वर्ष पहले जब गुड़ का दाम गिरने लगा तो सरकार ने शुरू में ही गुड़ का खरीदना शुरू कर दिया, जिससे गुड़ के भाव नीचे नहीं गिर सके। हालांकि और चीजों के दाम गिरे लेकिन गुड़ का दाम बढ़ा ही रहा। तो जहां तक काटेज इंडस्ट्रीज का सम्बन्ध है, सरकार इसके लिये पूरी तरह से सचेष्ट है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ मार्च, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८८ पर)

राजनीतिक पेन्शन उन व्यक्तियों को स्वीकृत की गई है जिनके मामले निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :—

१—वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जो अपाहिज और जो बीमारी अथवा शारीरिक अयोग्यता के कारण जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं। इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र आवश्यक है। इसमें वय आदि की कैद नहीं है।

२—वे विधवाएं जिनके पतियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया है। वे विधवायें जो कि वृद्धि हैं और जिनके कोई पुत्र नहीं है, उनको आजीवन पेन्शन स्वीकृत की जा सकती है। वे विधवाएं जो कि अल्प वयस्क हैं और जिन के नाबालिग पुत्र हैं, उनको उस समय तक पेन्शन स्वीकृत की जाती है जब तक कि उनके पुत्र की २२ वर्ष की अवस्था न हो जाय।

३—वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक है और जो सन् १९२०-२१, १९३०-३२ और १९४०-४२ के आन्दोलन में जेल यात्रा कर चुके है।

४—वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका वय ५० वर्ष से अधिक है और जो स्वतंत्रता आन्दोलन में ४ वर्ष से अधिक जेल में रहे हों।

५—वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका वय ७० वर्ष से अधिक है।

६—वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक है और १९४० और १९४२ दोनों में जेल यात्रा कर चुके हों।

७—वे स्वतंत्रा संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक है और जो सन् १९४२ के आन्दोलन में एक बार भी जेल यात्रा कर चुके हों।

८—वे स्वतंत्रा संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक हो और जो सन् १९३० और १९३२ के दोनों आन्दोलनों में जेल यात्रा कर चुके हों।

९—वे स्वतंत्रा संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक है और जो सन् १९२० और १९२२ में दो बार जेल गये हों।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९९–१०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०२ पर)

विभाग का नाम	वर्ष	प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या	(डि० एस० पी० स० सी०) द्वारा जांच की गई शिकायतों की संख्या	सत्य पाई गई शिकायतों की संख्या	कर्मचारियों को दंड का विवरण	दिये गये
१–पुलिस	१९५६	१७२	१३४	४१	(१) ३ कान्स्टेबिल, १ ग्राम चौकीदार बरखास्त किये गये, (२) ४ एस० आई, २ हे० कां० और ४ कां० का सच्चरित्रता प्रमाणपत्र रोक दिया गया, (३) २ एस० आई, ३ हे० कां० और १० कां० की वेतन वृद्धि रोक दी गई। (४) २ एस० आई०, ५ हे० कां० और २ कां० की चरित्र पंजी में दुराचरण प्रविष्टी की गई, (५) १ एस० आई०, १ हे० कां० और ५ कां० को अन्य क्षुद्र दंड दिये गये।	
	१९५७	१६५	१६४	४४	(१) १ हे० कां० और २ कां० बरखास्त किये गये, (२) १ एस० आई०, १ हे० कां० और ८ कां० पद या वेतन में घटाये गये, (३) ४ एस० आई०, ७ हे० कां० और १५ कां० का सच्चरित्रता प्रमाण पत्र रोक दिया गया, (४) १० एस० आई०, ५ हे० कां० की चरित्र पंजी में दुराचरण प्रविष्टी कर दी गई, और (५) १२ एस० आई०, ६ हे० कां० और १९ कां० को अन्य क्षुद्र दंड दिये गये।	
२–माल	९५६	७८	४९	९	(१) २ असिस्टेन्ट कन्सालिडेशन आफिसर, १ कोर्ट क्लर्क, ए० सी० ओ० का, १ कन्सालिडेटर, ४ कंसालिडेशन लेखपाल और १ इन्क्वायरी इं० आफ कस्टोडियन बरखास्त किये गये, और (२) १ लेखपाल और २ कन्सालिडेशन लेखपालों की वेतन वृद्धि रोक दी गई।	
	१९५७	२७	१६	२	(१) २ पेशकार, ३ कन्सालिडेशन लेखपाल और एक नायब तहसीलदार बरखास्त किये गये और (२) १ पेशकार और १ चपरासी की चरित्रपंजी में दुराचरण प्रविष्टी की गई।	
३–सिंचाई	१९५६	९	३	२	१ अमीन और २ पतरौल पद या वेतन में घटाये गये।	
	१९५७	२	..	..		

कर्मचारियों को दिये गये दंड का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष	प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या (डि० एस० पी० सी०) द्वारा	जांच गई शिकायतों की संख्या	सत्य पाई गई शिकायतों की संख्या	
४—जेल ..	१९५६	१	१	१	१ मेहतर बरखास्त किया गया।
	१९५७	..	..	..	
५—(केन्द्रीय) आबकारी	१९५६	३	१	१	सम्बन्धित कर्मचारी को दी गई सजा मालूम नहीं है।
..	१९५७	..	..	..	
६—रजिस्ट्रेशन	१९५६	१	१	..	
	१९५७	..	..	..	
७—आबकारी	१९५६	१	१	..	
	१९५७	..	..	..	
८—जुडीशियरी	१९५६	१०	२	२	२ कर्मचारी बरखास्त किये गये।
	१९५७	..	..	..	
९—जिला सप्लाई आफिस	१९५६	..	..	..	
	१९५७	२	१	१	१ आफिस क्लर्क को चेतावनी दी गई।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०५ पर)

जिला सूचना अधिकारी, बदायूं द्वारा १९५६ में तथा जून, १९५७ तक किये गये मुख्य कार्यों की रूपरेखा।

क्रमांक	विवरण	कार्यान्वित सीमा
(१)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपर्युक्त अवधि में किये गये भ्रमणों की संख्या (दिन)	३६०
(२)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में किये गये भ्रमण (ग्राम)	५२५
(३)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में आयोजित सभाओं की संख्या	४६६
(४)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्सों की संख्या	५
(५)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में वितरित रेडियोज की संख्या	६०
(६)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में समूल्य प्रकाशन का कुल विक्रय	२१५ रु० ६८ न० पै०
(७)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में निःशुल्क साहित्य का कुल वितरण	३५,०००
(८)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में दिखाये गये चलचित्रों की संख्या	३८
(९)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में किये गये रेडियो निरीक्षणों की संख्या	१३५
(१०)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रसारित प्रेस नोटों की संख्या	११५
(११)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में सांस्कृतिक कार्यों में दिये गये सहयोगों की संख्या	५४
(१२)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रेस कटिंग द्वारा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की संख्या (जिलाधीश का)	२३०
(१३)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में बदली गई बैट्रीज की संख्या	११
(१४)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में बिगड़े हुये सेटों की मरम्मत कराने की संख्या	६
(१५)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में विशिष्ट कार्यों में काम करने की संख्या	७५

क्रमांक	विवरण	कार्यान्वित सीमा
(१६)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में भ्रमणों की संख्या (जो समाचार प्राप्त करने के लिये किये गये और उसका प्रचार भी किया गया)	९६
(१७)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में उन मेलों की संख्या जिनमें प्रचार कार्य किया गया	२७
(१८)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में सूचना केन्द्र से लाभान्वित पुरुषों की संख्या।	१ लाख
(१९)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में पंचवर्षीय योजना के प्रचारार्थ उन संस्थाओं की संख्या जिनका सहयोग लिया गया	७२५
(२०)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में सहयोग प्रदत्त राष्ट्रीय एवं विराट पर्वों की संख्या	१८
(२१)	जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में उन प्रशासकीय सम्मेलनों की संख्या जिनमें सहयोग दिया गया ..	५४

जिला सूचना अधिकारी, बदायूं द्वारा १९५६ में तथा जून १९५७ तक निम्नलिखित विशेष कार्य किये गये

(१) जिला सूचना अधिकारी ने जिले के विभिन्न स्थानों पर १६७ रात्रि विश्राम किये।

(२) जिले की प्रमुख पाक्षिक नियोजन पत्रिका 'नव निर्माण' का सफलता पूर्वक सम्पादन किया।

(३) जिला सूचना अधिकारी ने अपने भ्रमणकाल में ३ लाख ६ हजार व्यक्तियों के जन समूह तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सन्देश पहुंचाया।

(४) एक सूचना केन्द्र उझानी में खोला गया जिसकी सजावट तथा उपस्थिति संख्या की प्रशंसा स्वयं श्री कैलाश प्रकाश, उपमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों से की है।

(५) जिले के रचनात्मक कार्यकर्ताओं व जिले के पत्रकारों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जिसकी कि प्रशंसा लिखित रूप से उनके द्वारा की गई।

(६) 'बदायूं जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की एक झलक' नामक पुस्तिका लिखी, उसका प्रकाशन कराया और उसका वितरण किया।

(७) मेलों में प्रचार शिविरों के साथ सूचना स्टाल व सूचना केन्द्र लगाये गये और नियोजन प्रदर्शनियों में आशातीत सहयोग दिया।

(८) जिला सूचना अधिकारी ने ग्राम सभा प्रधानों के प्रशिक्षण शिविरों, नवयुवक दल के कैम्पों, लोक सहायक सेना के शिविर तथा सर्वोदय सम्मेलनों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित विषयों पर भाषण दिये।

(९) द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी लेख व कवितायें लिखकर जिले के तथा प्रान्त के पत्र पत्रिकाओं के अंकों में प्रकाशित कराई और प्रचार कार्य में योग दिया।

(१०) अल्प बचत योजना के विशेष प्रचार पखवारे को निर्धारित करके जिले के विभिन्न भागों में इस योजना का व्यापक प्रचार किया गया।

(११) जिलेकी मोटरगाड़ी की दशा शोचनीय होते हुए भी जिला सूचना अधिकारी द्वारा किये गये भ्रमणों व रात्रि विश्रामों की संख्या निर्धारित संख्या से कहीं अधिक है ।

(१२) राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में सूचना केन्द्रों को खोलने, चलाने व सजाने में विशेष सहायता दी गई ।

(१३) जिले के पुस्तकालयों, वाचनालयों, स्कूलों, कालेजों, ग्राम सभाओं, पंचायती अदालतों तथा सार्वजनिक संस्थाओं को सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य व पोस्टर्स दिये गये ।

(१४) जिला सूचना अधिकारी ने १९५७ के आम चुनाओं में प्रेसाइडिंग आफीसर के रूप में कार्य किया तथा पोलिंग स्टेशनों की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिये भ्रमण किया ।

(१५) जिला सूचना अधिकारी ने जिले के उप-निर्वाचनों में सौंपे गये कार्य को पूर्ण योग्यता से सम्पन्न किया ।

(१६) जिले के पत्रकारों को आम चुनाव में पोलिंग स्टेशनों की व्यवस्था दिखाने के लिये संगठित किया और उन्हें चुनाव के समय में स्थान-स्थान पर चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण कराया ।

(१७) जिले में विभिन्न स्थानों पर 'हमारा गांव' 'ड्रामा तथा 'नव निर्माण' दिखलाये जाने की शासन से स्वीकृति प्राप्त की तथा उनका स्थान-स्थान पर प्रदर्शन कराया गया ।

(१८) जिले में आयोजित सभी सरकारी उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वों के विभिन्न कार्य-क्रमों का संचालन किया ।

(१९) जिले में रायफल क्लब की शूटिंग प्रतियोगिता के कार्यक्रमों का प्रचार किया और उनके आयोजनों में सहायता की ।

(२०) सूचना केन्द्र से लाभान्वित १ लाख व्यक्तियों की संख्या में प्रचार शिविरों में लगाये सूचना केन्द्रों की संख्या भी सम्मिलित है ।

(२१) सूचना अधिकारी ने समय-समय पर समाचार पत्रों के प्रेस कटिंग, जिलाधीश, बदायूं की सेवा में प्रस्तुत किये और इस प्रकार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया ।

(२२) सूचना अधिकारी ने जिले को निर्धारित किये हुये रेडियो अपनी पूरी संख्या में वितरित किये जितना कि लक्ष्य वित्तीय वर्षों में इस जिले को निश्चित किया गया था ।

(२३) जिले की विभिन्न सभाओं में सूचना अधिकारी ने अपने भाषण द्वारा योजना का प्रचार किया ।

(२४) सूचना अधिकारी द्वारा आयोजित पंचवर्षीय योजना के प्रचारार्थ संस्थाओं के सहयोग की संख्या में ग्राम सभाओं, पंचायती अदालतों, स्कूल व कालेजों तथा सार्वजनिक संस्थायों की संख्या सम्मिलित हैं ।

(२५) सूचना अधिकारी द्वारा खोले गये उज्ञानी सूचना केन्द्र की स्थापना तथा प्रबन्ध उसी दिन से प्रारम्भ हो गया जिस दिन से खोले जाने का आदेश प्राप्त हुआ था ।

(२६) सूचना अधिकारी ने कवि सम्मेलनों में स्वरचित कविता पाठ के द्वारा पंचवर्षीय योजना के प्रचार में काफी योगदान दिया ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

जिला नैनीताल में १९५६ व १९५७ में स्थानांतरित अथवा मुअत्तल हुये पुलिस कांस्टेबिलों का विवरण

स्थानान्तरण

१९५६	जिले के भीतर	१८९
	जिले के बाहर	३६
१९५७	जिले के भीतर	१८०
	जिले के बाहर	२०

मुअत्तल

१९५६	में	१४
१९५७	में	१२

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३३ का उत्तर पीठे पृष्ठ ७०७ पर)

सीमान्त भागों की रोकथाम के लिये निम्न कदम उठाए गए हैं :—

(१) उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर हथियार बन्द सिपाहियों की गश्ती का प्रबन्ध ।

(२) गश्ती पुलिस द्वारा सीमा से मिले हुये बिहार के थानों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है ।

(३) ग्राम रक्षा दल को व्यावहारिक प्रदर्शन का अनुभव देकर उनकी कार्य प्रणाली में वृद्धि की गई है ।

(४) स्थानीय व्यवसायी सेंध लगाने वालों, पुराने हिस्ट्री शीटरों तथा दुराचारियों की कार्यवाहियों पर विशेषकर देख-रेख रक्खी गई है ।

(५) उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अभियुक्तों के विवरण उत्तर प्रदेश तथा बिहार की पुलिस द्वारा एक दूसरे को दिये जा रहे हैं तथा उनके विरुद्ध उनके द्वारा अपराधों की रोक-थाम के लिये वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

(६) जिला बलिया में एक नया थाना मनियर की स्थापना की गई है जो बिहार की सीमा के अपराधों की रोक थाम करे ।

———

संसद पुस्तकालय